दिनांक – 11.12.2025

कार्यसूची

षष्ठम झारखण्ड विधान-सभा के चतुर्थ (शीतकालीन) सत्र

सत्यमेव जयते

षष्टम्
झारखण्ड विधान-सभा

चतुर्थ (शीतकालीन) सत्र

अल्प-सूचित प्रश्न

वर्ग--4

गुरूवार, दिनांक 20 अग्रहायण, 1947 (श०)
11 दिसम्बर, 2025 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या-36 (छत्तीस)

(1)	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	...	...	05
(2)	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग	...	...	05
(3)	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	...	...	05
(4)	ऊर्जा विभाग	...	...	05
(5)	श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग	...	...	05
(6)	जल संसाधन विभाग	...	...	04
(7)	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	...	...	04
(8)	विधि विभाग	...	...	03
			कुल योग-	36

DPR तैयार करना ।

86. श्री अमित कुमार यादव--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिला अंतर्गत तिलैया नहर योजना का निर्माण कार्य राज्य सरकार के समक्ष वर्ष 1950 से विचाराधीन है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य गठन के पश्चात् इस योजना के निर्माण कार्य हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने का निर्णय वर्ष 2014-15 में लिया गया था, परंतु अबतक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार नहीं किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में तिलैया नहर योजना का (DPR) शीघ्र तैयार करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

बिल राशि को नियंत्रित करना ।

87. श्री सुरेश कुमार बैठा--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गाँवों में झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा स्मार्ट मीटर लगाया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद गरीबों के बिजली बिल में अनियमित एवं असीमित बढोत्तरी हुई है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिजली वितरण निगम के कम्पनियों पर लगाम लगाकर असीमित बिल राशि को नियंत्रित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

अनुमोदित करना ।

88. श्री राज सिन्हा--क्या मंत्री, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विभाग अन्तर्गत 52 परियोजनाओं में वर्ष 2005 से संविदा पर कार्यरत आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिकाओं का नियमितीकरण नहीं हो पाई है, जबकि अन्य विभागों में वर्ष 2014 से कार्य करने वाले संविदा कर्मियों का नियमितीकरण किया जा चुका है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड (01) में वर्णित परियोजना अन्तर्गत कार्यरत संविदा आधारित पदों को 24 जनवरी'' 2024 को प्रशासी पदवर्ग द्वारा प्रत्यर्पित कर नियमित पद पर परिवर्त्तित किया जा चुका है, फिर भी मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किये जाने की प्रत्याशा में मामला लम्बित है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित पद के नियमितीकरण हेतु खण्ड (02) में वर्णित प्रशासी पदवर्ग द्वारा प्रत्यर्पित निर्णय पर मंत्रीपरिषद द्वारा अविलम्ब अनुमोदित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

विशेष कार्यक्रम लागू करना ।

89. श्रीमती रागिनी सिंह--क्या मंत्री, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झरिया विधान-सभा क्षेत्र सहित धनबाद जिले में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न, घरेलू हिंसा तथा दुर्व्यवहार की घटनाएँ लगातार सामने आ रही है, जिन पर त्वरित कार्रवाई नहीं हो पा रही है;

(2) क्या यह बात सही है कि कई मामलों में पीड़ित द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बावजूद स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस द्वारा आवश्यक सहयोग, संरक्षण तथा कानूनी सहायता समय पर उपलब्ध नहीं कराई जाती है;

(3) क्या यह बात सही है कि उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को न्याय प्राप्त करने में गंभीर कठिनाइयाँ है और वे सुरक्षा के अभाव में मानसिक एवं सामाजिक संकट का सामना करती है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार झरिया संहित पूरे राज्य में महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाने तथा पीड़ित महिलाओं को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए विशेष क्षेत्र कार्यक्रम लागू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

अविलंब भुगतान करना ।

90. श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से पूरे झारखण्ड में 67 लाख कार्डधारियों के बीच 25000 पी०डी०एस० दुकानदारों के माध्यम से अनाज बंटवाने/वितरण करवाने का काम करता है;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त अनाज वितरण के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य के सभी पी०डी०एस० दुकानदारों को अनाज के कमीशन की राशि नहीं दी गई है;

(3) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2024 के कंडिका-19 में दुकानदारों को राशन सामग्री के उठाव/वितरण की समाप्ति के तीन माह के अन्दर कमीशन की राशि भुगतान का अनुपालन हो राह है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त दोनों योजनाओं से पी०डी०एस० दुकानदारों को मिलने वाले कमीशन की राशि का अविलंब भुगतान करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

वेंडर्स सिस्टम खत्म करना ।

91. श्री प्रदीप प्रसाद--क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा झारखण्ड के कृषकों के लाभार्थ एक लोककल्याणकारी योजना संचालित है, जिसके तहत् कृषकों और पशुपालकों को बत्तख, बकरी, गाय, बैल, इत्यादि कृषि और रोजगार हेतु अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है;

(2) क्या यह बात सही है कि वेंडर्स और दलालों के कारण उक्त योजना हजारीबाग सहित अन्य जिलों में धरातल पर नहीं दिखाई पड़ रहीं है और हजारीबाग में कृषकों और पशुपालकों को विभाग द्वारा कहा जाता है कि उनको एक निश्चित वेन्डर से ही खरीदारी करनी होगी अन्यथा उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, जिस कारण मजबूरन उन्हें विभाग द्वारा चिन्हित वेंडरों से ही उक्त पशुओं की खरीदारी हेतु बाध्य होना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में तत्काल ऐसे वेंडर्स को उक्त योजना से हटाते हुए इस वेंडर्स सिस्टम को खत्म करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

समस्या का निराकरण करना ।

92. श्री अरूप चटर्जी--क्या मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में श्रम अधीक्षक, सहायक श्रमायुक्त और श्रम प्रर्वतन पदाधिकारियों की भारी कमी होना लम्बे समय से एक गंभीर प्रशासनिक समस्या है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित कारणों से राज्य में श्रमिकों से जुड़े श्रमिक पंजीकरण, श्रमिक कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन, औद्योगिक विवादों का निपटारा, श्रम कानूनों का निरीक्षण सह अनुपालन के साथ दुर्घटना, वेतन संबंधी शिकायतों का समय पर समाधान नहीं हो पाता है जिसमें विशेष कर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अविलम्ब प्रशासनिक स्तर नीतिगत स्तर के साथ तकनीकी एवं व्यवहारिक स्तर पर उक्त गंभीर समस्या के निराकरण का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

छात्रवृत्ति भुगतान करना ।

93. श्री नागेन्द्र महतो--क्या मंत्री, अनुसूचित जन जाति अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रदेश उच्च एवं व्यवासायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले ST, SC, OBC एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को विगत 3 वर्षों से सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है, जिससे हजारों गरीब छात्रों को बीच में अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है;

(2) क्या यह बात सही है कि इस तरह प्रदेश के गरीब छात्रों के साथ विभाग द्वारा की जा रही ऐसी लापरवाही पर त्वरित कार्रवाई कर छात्रों को अविलम्ब छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए, जिससे गरीब छात्र अपनी पढ़ाई पूरी कर अपना जीवन संवार सकने में सक्षम हो सकें;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अविलम्ब वैसे छात्रों को सभी बकाया छात्रवृत्ति एक साथ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

राशि का दुरूपयोग रोकना ।

94. श्री राजेश कच्छप--क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकारी कर्मचारियों को अनुमान्य देय सुविधाओं के लाभ प्राप्त करने में निदेशालय एवं सचिवालय के हठधर्मी रवैया के कारण माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार सामान्य प्रक्रिया में अनुमान्य सुविधाएँ न देकर बार-बार उनके विरूद्ध माननीय उच्च से उच्चतम न्यायालय तक अनावश्यक रूप से जाने के उपरांत जनता के पैसों को खर्च कर अंततः लाभ देने को मजबूर होती है;

(3) क्या यह बात सही है कि विगत पाँच वर्षों में ऐसे हजारों मुकदमों में जनता के हिस्से की काफी बड़ी राशि का अपव्यय हुआ है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस राशि का दुरूपयोग रोकने हेतु कोई ठोस नीतिगत निर्णय लेने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

मुआवजा अविलंब देना ।

95. श्री नागेन्द्र महतो--क्या मंत्री, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखंड प्रदेश में मोंथा चक्रवात (Montha Cyclone) का आगमन 28 अक्टूबर, 2025 से शुरू होकर 31 अक्टूबर, 2025 तक विभिन्न जिलों में जारी रहा;

(2) क्या यह बात सही है कि मोंथा चक्रवात से हुई असामयिक वर्षा एवं तेज हवा के चलते किसानों की तैयार धान की फसल को काफी क्षति हुआ है, जिससे किसानों की धान की पैदावार में काफी क्षति के चलते झारखंड के विभिन्न जिलों के साथ-साथ गिरिडीह जिला के किसान भी हताश-निराश हो गये हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मोंथा चक्रवात से प्रभावित झारखंड के सभी जिलों के किसानों को धान की पैदावार में हुई क्षति का उचित मुआवजा अविलंब दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

छात्रवृत्ति देना ।

96. श्री चन्द्रदेव महतो--क्या मंत्री, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को 2 वर्षों से छात्रवृत्ति राशि नहीं मिला है;

(2) क्या यह बात सही है कि छात्रवृत्ति की राशि जारी नहीं होने से विद्यार्थियों को पढ़ाई पर सीधा असर पड़ रहा है;

(3) क्या यह बात सही है कि कल्याण विभाग का पैसा राज्य सरकार दूसरी योजनाओं में खर्च कर रही है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गरीब परिवार के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति राशि देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

लक्ष्य को बढ़ाना ।

97. श्री प्रदीप प्रसाद--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि हजारीबाग सहित झारखण्ड राज्य कृषि प्रधान है, लेकिन हजारीबाग जिला सहित पूरे प्रदेश में निर्धारित सिंचाई क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है;

(2) क्या यह बात सही है कि हजारीबाग के कटकमदाग प्रखण्ड के गोदा डैम और अन्य डैम वर्षों से उपेक्षित पड़ें हैं, जहाँ वर्षों से गाद जमा हुआ है, जिसके वजह से इसकी जल संचय की क्षमता घट गई है और इस कारण इस क्षेत्र की सिंचाई प्रभावित हो रही है;

(3) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के सभी डैम अपने निर्माण वर्ष से लेकर आज तक पूर्ण नहीं हुए हैं और न ही कभी उनमें वर्षों से जमे गाद की सफाई करवाकर उनका जीर्णोद्धार कराया गया है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में तत्काल गोदा डैम सहित राज्य के सभी डैम के गाद सफाई करवाते हुए इनके जल संचयन की क्षमता को बढ़ाते हुए इनका जीर्णोद्धार करवाते हुए झारखण्ड के सभी जिलों में सिंचाई क्षमता के लक्ष्य को अगले वित्तीय वर्ष तक प्राप्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

कॉलेज के रूप में परिवर्तित करना ।

98. श्री अरूप चटर्जी--क्या मंत्री, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि उपायुक्त महोदय, धनबाद के पत्रांक-4923, दिनांक 13 नवम्बर, 2025 द्वारा निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा योजना राँची को वर्तमान समय में रूग्न पड़े कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल मैथन, धनबाद को एक मेडिकल कॉलेज के रूप में परिर्तित करने हेतु एक प्रतिवेदन प्रतिवेदित किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 के उक्त वर्णित प्रतिवेदन में मैथन अवस्थित Esi Hospital क्षेत्र के संबंधित अंचल एगारकुण्ड के अंचल अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये भूमि का प्रस्ताव व ट्रेस नक्शा सहित प्रतिवेदन के साथ-साथ Civil Surgeon, धनबाद का भी मंतव्य/प्रतिपुष्टि प्रस्ताव भी संलग्न है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मैथन अवस्थित Esi Hospital के जनसंख्या एवं भौगोलिक दृष्टिकोण को देखते हुए अविलम्ब इसे एक बहु-विशिष्ट अस्पताल-सह-कॉलेज के रूप में परिवर्तित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

एक मुश्त राशि देना ।

99. श्री सुदीप गुड़िया--क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लैम्पस पैक्स के द्वारा धान खरीद में 50 प्रतिशत राशि त्वरित एवं अन्य राशि का भुगतान एक माह पश्चात दी जाती है;

(2) क्या यह बात सही है कि अन्य राशि का भुगतान एक माह पशचात भी नहीं हो पाता है, जिससे किसान अपना धान बिचौलियों के पास कम दर पर बेचने के लिए मजबूर हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों को धान अधिप्राप्ति की राशि एकमुश्त देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

कार्यों की जाँच कराना ।

100. श्री रोशन लाल चौधरी--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि ऊर्जा विभाग एवं इसकी अधीनस्थ वितरण कंपनियों द्वारा Empanelled कंपनियों को कार्य आवंटन करते समय GFR-2017,CVC नियम 2012 एवं 2016 तथा स्वीकृत निविदा प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण कार्य आवंटन में मनमानी, अपारदर्शिता तथा नियमों का उल्लंघन हो रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि GFR-2017 में Empanelment को केवल "रेट कॉन्ट्रैक्ट अथवा प्री-क्वालिफाइड सूची" माना गया है CVC नियम 2012 एवं 2016 में स्पष्ट है कि Empanelled सूची से क्रार्य आवंटन Competitive Bidding के बिना नहीं किया जा सकता, के बावजूद हजारीबाग प्रक्षेत्र में मनपसंद Empanelment कंपनी M/s Western infra project Pvt. Ltd., M/S Rahul Enterprises जैसे कंपनियों को S.O.S आधारित निविदा निस्तारित कर मनमाने ढंग से कार्य आवंटित किए जा रहे है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भविष्य में ऊर्जा विभाग के निविदाओं में GFR-2017, CVC Guidelines एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा हजारीबाग प्रक्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में Empanelled कंपनियों को आवंटित कार्यों की जांच कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

कार्रवाई करना ।

101. श्री नमन बिक्सल कोनगाड़ी--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिलान्तर्गत विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि विद्युतीकरण का कार्य बिजली विहीन गाँवों/टोलों एवं विद्युतीकरण हुए गाँवों/टोलों के जर्जर बिजली खंभों/खुले तारों को केवल तारों एवं गाँवों/टोलों में लोड के आधार पर ट्रांसफर्मर अपग्रेड करने की योजना है;

(3) क्या यह बात सही है कि विद्युतीकरण का कार्य प्राक्कलन के अनुरूप नहीं हो रहा है जिससे संबंधित शिकायतें आये दिन दैनिक अखबारों के माध्यम से एवं ग्रामीणों की तरफ से आते रही है;

(4) क्या यह बात सही है कि विद्युतीकरण ऐजेंसी का कार्य बहुत ही धीमा चल रहा है;

(5) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऐसे ठेकेदारों एवं बिजली विभाग के संबंधित कर्मी एवं पदाधिकारियों पर जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

योजना प्रदान करना ।

102. डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता--क्या मंत्री, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कक्षा-8वीं से 12वीं की छात्राओं एवं 19 वर्ष तक की युवतियों को सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ प्रदान किया जाता है;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला समाज कल्याण विभाग, पलामू को 20 करोड 95 लाख 68 हजार रुपये का आवंटन प्राप्त होने के बावजूद एक भी बच्ची को खण्ड-1 में वर्णित योजना का लाभ नहीं मिल पाया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कक्षा-8वीं से 12वीं की छात्राओं एवं 19 वर्ष तक की युवतियों को सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ अविलम्ब प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पदाधिकारी नामित करना ।

103. श्री प्रदीप यादव--क्या मंत्री, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जिला नियोजनालयों में झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी का जिला स्तरीय कार्यालय खोले जाने का निर्णय मिशन निदेशक का पत्रांक-881, दिनांक 16 मई, 2023 के द्वारा जारी किया गया है जो पूर्व में भी इस कार्य को करते आ रहे थे;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त आदेश के बावजूद भी राज्य के कई जिलों में श्रम अधीक्षकों को नियम विरूद्ध जिला कौशल विकास पदाधिकारी नामित किया गया है;

(3) क्या यह बात सही है कि जिला नियोजन पदाधिकारी नियोजन एवं प्रशिक्षण कार्यों में अधिक प्रशिक्षित तथा अनुभव के आधार पर प्रभावी भूमिका निभाता है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के 4 लाख निबंधित बेरोजगारों को कौशल विकास का त्वरित प्रशिक्षण देकर नियोजित करने हेतु सभी जिलों में नियोजन सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को ही जिला कौशल विकास पदाधिकारी नामित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

नियुक्ति करना ।

104. श्री शत्रुध्न महतो--क्या मंत्री, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के छः जिलों में पोषण परामर्शी के रूप में पोषण सखियां कार्यरत हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि पोषण सखियों का 3000/- (तीन हजार रुपए) प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है जिसे बढ़ाकर 10,000 (दस हजार रुपए) करने पर सरकार द्वारा सहमती बनी थी;

(3) क्या यह बात सही है कि पोषण सखियों को राज्य के 24 जिलों में सेवा उपलब्ध कराने की मांग लगातार की जा रही है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पोषण सखियों का मानदेय बढ़ाकर 10,000 (दस हजार रु०) प्रतिमाह करने तथा राज्य के सभी 24 जिलों में पोषण सखियों की नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

बाल मित्र जिला घोषित करना ।

105. श्री सरयू राय--क्या मंत्री, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सलाह पर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा जिला में बच्चों की स्थिति जानने के लिए 7000 बच्चों को मैपिंग किया गया है, जिसमें अनेक ऐसे बच्चे चिन्हित हुए हैं जो विकट एवं जोखिमपूर्ण परिस्थिति में जीवनयापन कर रहे हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि इनमें से अधिकांश बच्चे शिक्षा से वंचित, बाल श्रम में संलग्न, नशा से ग्रस्त, उपेक्षित, असुरक्षित तथा बाल विवाह के जोखिम में पाये गये है;

(3) क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला को बाल मित्र जिला घोषित कर ऐसे बच्चों को शिक्षा एवं कौशल विकास की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु बाल संरक्षण के लिए स्थायी एवं प्रभावपूर्ण तंत्र स्थापित कर ऐसे बच्चों को उपर्युक्त जोखिम से निकाला जा सकता है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पूर्वी सिंहभूम जिला को बाल मित्र जिला घोषित कर बच्चों को उपर्युक्त जोखिम से निकालने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

बिजली मुहैया कराना ।

106. श्री मंगल कालिन्दी--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दलमा पहाड़ों की तराई में आदिवासी एवं सबर जाति बाहुल्य कोंकादासा गाँव में देश की आजादी के 75 वर्षों बाद भी आज तक बिजली नहीं पहुँच पाई है;

(2) क्या यह बात सही है कि बिजली नहीं रहने के कारण रात्रि में सम्पूर्ण गाँव जंगली हाथियों एवं जंगली जानवरों के आतंक एवं अनहोनी से भयभीत रहते है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लोकहित में वर्णित गाँव में बिजली व्यवस्था मुहैया कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

कार्य पूर्ण कराना ।

107. श्री उदय शंकर सिंह--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि देवघर जिलान्तर्गत अजय मुख्य नहर का निर्माण कार्य वर्ष-2018 में पूर्ण किया जा चुका है, जबकि अजय मुख्य नहर 0.00 किलोमीटर से 15.00 किलोमीटर तक P.C.C लाईनिंग कार्य जिसकी एकरारनामा की राशि 95.8145 करोड़ रुपये है, प्रशासनिक कारणों से प्रभावित है;

(2) क्या यह बात सही है कि अगले चरण हेतु 15.00 किलोमीटर से 110.08 किलामीटर P.C.C लाईनिंग एवं संरचनाओं के जीर्णोद्धार कार्य हेतु DPR अभी तक तैयार नहीं किया गया है;

(3) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 एवं 2 में वर्णित कार्य पूर्ण हो जाने पर लगभग 40,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो पायेगी;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित लाईनिंग कार्य एवं खण्ड 2 में वर्णित DPR शीघ्र तैयार कराते हुए लंबित कार्य शीघ्र पूर्ण कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

शर्त्तों को संशोधित करना ।

108. श्री प्रदीप यादव--क्या मंत्री, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोगता मामले विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प्रत्येक वर्ष की भांति वित्तीय वर्ष-2025-26 में भी सरकार ने किसानों के धान की खरीदारी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर राज्य में कार्यरत लैम्पस एवं पैक्स के माध्यम से करने का फैसला लिया है;

(2) क्या यह बात सही है कि लैम्पस एवं पैक्स द्वारा भण्डारण क्षमता 50 मे० टन, 100 मे० टन एवं 200 मे० टन के लिए क्रमशः 12 लाख, 24 लाख एवं 48 लाख रुपये की बैंक गारंटी देने पर धान अधिप्राप्ति केन्द्र बनाने का फैसला किया है;

(3) क्या यह बात सही है कि सरकार उक्त फैसले से इस राज्य के लैम्पस/पैक्स धारक अपने आप को असहाय एवं अक्षम महसूस कर रहे हैं एवं किसानों के धान की खरीदारी बूरी तरह प्रभावित होगी;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लैम्पस/पैक्स के लिए निर्धारित भण्डारण क्षमता एवं बैंक गारण्टी राशि की शर्त्तों को संशोधित करना चाहती है जिससे धान क्रय एवं अधिप्राप्ति योजना प्रभावित नहीं हो हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) अस्वीकारात्मक ।

(3) कंडिका-2 में अंकित उत्तर के आलोक में अस्वीकारात्मक ।

(4) कंडिका-2 में अंकित उत्तर के आलोक में आवश्यक नहीं है ।

सुचारू रूप से संचालन करना ।

109. श्री भूषण बड़ा--क्या मंत्री, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना राज्य के ST/SC/OBC/EBC/ MBC-minorities की स्वरोजगार के लिए "पायलट योजना" है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित योजना का बजट आवंटित नहीं होने से राज्य के सभी जिलों में आवेदन हजारों की संख्या में लंबित पड़ी हुई है;

(3) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित वर्ग के बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार स्वावलम्बन कठिन होता जा रहा है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित अति महत्वाकांक्षी योजना का सुचारू रूप से संचालन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

मानदेय देना ।

110. श्री समीर कुमार मोहन्ती--क्या मंत्री, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य में सरकार द्वारा संचालित योजना जैसे मजदूर तथा प्रवासी मजदूरों का निबंधन, निबंधित मजदूरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाना, मजदूरों के ई-श्रम से जोड़ना जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि श्रमिक मित्रों को पारिश्रमिक के रूप में प्रोत्साहन राशि के नाम पर अति नगण्य रकम का भुगतान दिया जाता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार श्रमिक मित्रों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर से मानदेय देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

बकाया भुगतान करना ।

111. श्री शत्रुध्न महतो--क्या मंत्री, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कुल लगभग 25,000 जनवितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा मानदेय भुगतान एवं कमीशन बढ़ाने की मांग की जा रही है;

(2) क्या यह बात सही है कि मार्च, 2023 एवं दिसम्बर, 2024 से नवम्बर, 2025 तक जनवितरण प्रणाली दुकानदारों का कमीशन बकाया है जिसके भुगतान की मांग भी की जा रही है;

(3) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा दुकानदारों की मांग पर अविलम्ब भुगतान का आश्वासन दिया गया था जो पुरा नहीं किया गया;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनवितरण प्रणाली दुकानदारों के बकाया कमीशन का भुगतान करने एवं मानदेय निर्धारण या कमीशन बढ़ाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

जिला आवंटन करना ।

112. श्री जयराम कुमार महतो--क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के अधिकतम किसान अपने परंपरागत खेती के अतिरिक्त कैश क्रोप की खेती की ओर नहीं जा पा रहे हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में कैश क्रोप जैसी खेती की अपार संभावनाएँ है;

(3) क्या यह बात सही है कि राज्य में कृषि संबंधित योजनाओं को किसानों तक पहुँचाने के लिए डिप्टी डायरेक्टर जैसे बड़े पदों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र तो मिला लेकिन नियुक्ति नहीं हुई;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के किसानों के कैश क्रोप की खेती के लिए मनरेगा के तहत मजदूर उपलब्ध करवाने तथा नियुक्ति पत्र मिले अभ्यर्थियों का जिला आवंटन पर विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

सुरक्षा जिम्मेदारी रखना ।

113. श्री हेमलाल मुर्मू--क्या मंत्री, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विभिन्न देशों एवं राज्यों में फंसे झारखण्ड के श्रमिकों को सरकार के द्वारा राज्य वापस लाया गया और इससे सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना पड़ा है;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार के द्वारा झारखण्ड के श्रमिकों को रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा आदि की व्यवस्थाएँ करने के बाद भी काफी अधिक संख्या में राज्य के बाहर पलायन कर रहे हैं, जबकि ऐसे मजदूरों को राज्य से बाहर पूर्व निबंधन की व्यवस्था है;

(3) क्या यह बात सही है कि श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन से उन्हें सरकार द्वारा आर्थिक लाभ दिया जाता है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में श्रमिकों का पलायन रोकने से बाहर जाने वाले श्रमिकों का प्रखण्ड-वार, जिला-वार अभिलेख उपलब्ध कराने और उनकी सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी रखने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

समुचित कार्रवाई करना ।

114. श्री राजेश कच्छप--क्या मंत्री, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के कल्याण विभाग द्वारा आदिम जनजातीय एवं आदिवासी छात्र-छात्राओं के लिए संचालित आवासीय विद्यालयों के प्रबंधन की पूरी व्यवस्था कई "स्वयं सेवी संस्थाओं" (NGO) को दे रखी है;

(2) क्या यह बात सही है कि इसी कड़ी में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, तसरिया, सुन्दरपहाड़ी प्रखण्ड, जिला-गोड्डा का प्रबंधन स्वयं सेवी संस्था आसरा (ASRA) के विरूद्ध गोड्डा जिला उपायुक्त द्वारा कराये गए जांच (14 मई, 2025 को समर्पित) में कई गड़बड़ियाँ सामने आयी है;

(3) क्या यह बात सही है कि विभाग इस रिपोर्ट पर NGO के विरूद्ध कार्रवाई न कर उल्टे शिकायतकर्ता को दंडित करने का प्रयास किया है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त जांच के सापेक्ष में राज्य के अन्य विद्यालयों में विस्तृत जाँच कराकर समुचित ठोस कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

व्यवस्था में सुधार करना ।

115. श्री राज सिन्हा-क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के विद्युत नियामक आयोग में 60 प्रतिश तक की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव दिया है, जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं (ग्रामीण/शहरी) की प्रति यूनिट बिजली दरों के साथ फिक्सड चार्ज में बढ़ोत्तरी की जा रही है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्यान्तर्गत 200 से 300 यूनिट प्रतिमाह खपत करने वाले ग्रामीण एवं शहरी उपभोक्ताओं के तुलना में बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान एवं दिल्ली जैसे राज्यों की तूलना में झारखण्ड में ग्रामीण एवं शहरी विद्युत उपभोगताओं से अधिक दर पर बिजली शुल्क ली जा रही है तथा पिछले पाँच वित्तीय वर्ष (जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26) में तीन बार उपभोक्ताओं के बिजली बिल में बढ़ोत्तरी की गई है;

(3) क्या यह बात सही है कि शुन्य बैलेंस सिस्टम लागू होने के बार प्रीपेड मीटर वाजे उपभोगताओं का बिजली कनेक्शन शून्य बैलेंस होने पर स्वतः कटने और चालू होने की व्यवस्था की गई है, परन्तु उपभोगताओं द्वारा बिजली बिल भुगतान/रिचार्ज के बाद स्वतः बिजली चालू नहीं हो पाती है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड (01) में वर्णित प्रस्ताव को पूर्व के बिजली दरों में यथावत रखने, खण्ड (02) में वर्णित राज्यों की तरह बिजली बिल प्रतियूनिट खपत के समतुल्य करने तथा खण्ड (03) में वर्णित व्यवस्था में सुधार करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

परियोजना चालु करना ।

116. श्री नमन बिक्सल कोनगाड़ी-क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लघु सिंचाई विभाग से AIBP योजना के तहत् माईक्रो लिफ्ट एरिगेशन का एग्रिमेंट एवं कार्यादेश 2013-14 के तहत् कार्य पूर्ण किया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्तमान स्थिति में उक्त सिंचाई योजना बन्द है और संवेदक को भी पूर्ण योजना की राशि का भुगतान नहीं किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संवेदक के द्वारा पूर्ण किये गये योजना की राशि का भुगतान एवं उक्त सिंचाई परियोजना पुनः चालू करने हेतु सार्थक कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

दोषी कर्मियों पर कार्रवाई ।

117. श्री हेमलाल मूर्मू-क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के अधिकांश सरकारी विभागों में लापरवाही एवं अन्य कारणों से मुकदमों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण सरकार के ऊपर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ रहे है, और विभागीय पदाधिकारियों को माननीय न्यायालय के समक्ष क्षमा मांगने के लिए विवश होना पड़ता है;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार के द्वारा ऐसे मामलों की समीक्षा की जाती है और सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार का आकलन किया जाता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऐसे मुकदमों की संख्या में कमी करने हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की लापरवाही से मुकदमों की संख्या बढ़ने के करण दोषी कर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई करने और अर्थ दण्ड देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

समय-सीमा में संशोधन करना ।

118. श्रीमती ममता देवी-क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य में अक्टूबर, 2025 के अंतिम सप्ताह में खरीफ फसल धान एवं आलू "मोंथा चक्रवात" के कारण अतिवृष्टि से फसल की भारी क्षति हुई है;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार ने किसानों के इस नुकसान की भरपाई हेतु "बिरसा फसल बीमा योजना" के तहत करने का फैसला लिया है, और इसके लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश भी जारी किए गए हैं;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त योजना के तहत् किसानों को भरपाई में सबसे बड़ी बाधक "72 घंटे के भीतर एप एवं कार्यालय के माध्यम से फसल हानि की सूचना देने की अनिवार्यता" है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों की भरपाई करने हेतु सूचना देने की समय सीमा अवधि में आवश्यक संशोधन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

सर्किट बेंच स्थापना करना ।

119. श्री आलोक कुमार सोरेन-क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि एकीकृत बिहार राज्य के कार्यकाल में 6 मार्च, 1972 में झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची सर्किट बेंच की स्थापना की गयी थी;

(2) क्या यह बात सही है कि दुमका को उप-राजधानी का दर्जा प्राप्त है दुमका में सर्किट बेंच के लिए 13.64 डी० भूमि का अधिग्रहण कर वन विभाग को मुआवजा का भुगतान किया गया है;

(3) क्या यह बात सही है कि दिनांक 8 जनवरी, 2015 को दुमका उच्च न्यायालय सर्किट बेंच के प्रस्ताव का सदन में पक्ष-विपक्ष द्वारा ध्वनिमत से पारित किया गया था;

(4) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य बनने के 25 वर्षों बाद भी सर्किट बेंच की स्थापना नहीं होना जनहित के लिए गंभीर विषय है, जबकि दुमका प्रमंडल के हजारों मुकदमें लंबित है तथा हर महीने 25-30 मुकदमे प्रमंडलीय आयुक्त के विरूद्ध झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची आते हैं;

(5) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विधि विभाग द्वारा सभी प्रक्रिया पूरी कर चालू वित्तीय वर्ष में सर्किट बेंच स्थापना का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

सुविधा उपलब्ध कराना ।

120. श्री अमित कुमार-क्या मंत्री, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में गैर अनुदानित सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को साईकिल एवं अन्य सहायक पाठ्य सामग्रियाँ सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में सरकार द्वारा अनुदानित विद्यालय के विद्यार्थियों को साईकिल एवं अन्य सहायक सामग्रियों विगत् पाँच-छः वर्षों से उपलब्ध नहीं करायी जा रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (2) में वर्णत विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी खण्ड (1) के विद्यालयों की तरह सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

कार्य पूर्ण करना ।

121. श्री सरयू राय-क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 40 वर्ष पूर्व निर्मित राज्य की महत्वपूर्ण मुराहितर जलाशय योजना से लाभुकों को समुचित लाभ नहीं मिल रहा है, जिसका कारण है कि जलाशय से लगातार जल रिसाव होते रहता है;

(2) क्या यह बात सही है कि मुराहितर जलाशय को रिसाव रहित करने हेतु जियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया ने तकनीकी सुझाव दिया है, जिसे शत-प्रतिशत लागू करने से मुराहितर जलाशय को रिसाव रहित किया जा सकता है;

(3) क्या यह बात सही है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सुझाव के विपरीत मुख्य अभियंता केन्द्रीय रूपांतरण संगठन एवं जल विज्ञान द्वारा जलाशय मरम्मत का कार्य खण्ड-खण्ड में कराने का निर्देश दिया गया है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मुराहितर जलाशय योजना को रिसाव मुक्त करने के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा दिये सुझाव के अनुरूप मरम्मत का पूरा कार्य एकमुश्त कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

राँची:
दिनांक:- 11 दिसम्बर, 2025 (ई०)

रंजीत कुमार,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

झा०रा०मु० राँची (एल०ए०) 47--250--10-12-2025 ।

सत्यमेव जयते

षष्टम्
झारखण्ड विधान-सभा

चतुर्थ (शीतकालीन) सत्र

ताराँकित प्रश्न

वर्ग--4

गुरूवार, दिनांक 20 अग्रहायण, 1947 (श०)
11 दिसम्बर, 2025 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या-25 (पच्चीस)

(1)	जल संसाधन विभाग	...	...	10
(2)	कृषि विभाग	...	...	05
(3)	श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग	...	...	04
(4)	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग	...	...	03
(5)	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	...	...	02
(6)	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	...	...	01
(7)	विधि विभाग	...	...	00
(8)	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	...	...	00
			कुल योग-	25

लिफ्ट एरिगेशन का निर्माण ।

*124. श्री कुमार उज्जवल--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि चतरा जिलान्तर्गत प्रखंड मयूरहंड के ग्राम मंझगावा में किसानों को सिंचाई के लिए आज तक अंजनवा डैम के बनने के साठ वर्षों के बाद भी सिंचाई सुविधा नहीं मिल सकी है, जिसके कारण खेती योग्य जमीन भी बंजर होती जा रही है;

(2) क्या यह बात सही है कि गोबरदाहा नाला में चैकडैम के साथ अंजनवा जलाशय से बड़की आहर तालाब तक पक्का नहर निर्माण अथवा लिफ्ट एरिगेशन निर्माण होने से 1200 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन में खेती का कार्य किया जा सकता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में चेकडैम के साथ-साथ पक्का नहर अथवा लिफ्ट नहर अथवा लिफ्ट एरिगेशन का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

कार्यालय का निर्माण ।

*125. श्री अनन्त प्रताप देव--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला मुख्यालय में Transformor Repair Workshop (T.R.W) नहीं होने के कारण नगर ऊँटारी, डंडई, भवनाथपुर, खरौधी, केतार, विशुनपुरा, रमना, धुरकी, सगमा आदि प्रखण्डों के सुदूर ईलाकों में विद्युत आपूर्ति हेतु लगे ट्रॉस्फार्मर में तकनीकी खराबी हो जाने पर इनकी मरम्मति में विभाग को विलंब होता है और इस कारण विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल गढ़वा- II (नगर ऊँटारी) अंतर्गत निवास कर रहे लगभग 65 हजार विद्युत उपभोक्ताओं प्रभावित होते हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, गढ़वा-II (नगर ऊँटारी) के पत्रांक-17, दिनांक 10 जनवरी, 2025 द्वारा जिला उपायुक्त, गढ़वा को पत्राचार कर T.R.W कार्यालय व अन्य निर्माण हेतु लगभग 01 एकड़ आयताकार भूमि उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया है । जो कि पर्याप्त संसाधन मौजूद रहते हुए जिला प्रशासन विगत् 10 माह से विद्युत विभाग को भूमि उपलब्ध नहीं करवा सकी है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित प्रखण्डों के विद्युत उपभोक्ताओं के हित में नगर ऊँटारी अनुमण्डल अंतर्गत विद्युत विभाग का प्रमण्डल, अवर प्रमण्डल/प्रशाखा/आवास एवं T.R.W कार्यालय के निर्माण का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना ।

*126. श्री जनार्दन पासवान--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि चतरा जिला में कुल कृषि योग्य भूमि 1,22,640 हेक्टेयर है जिसमें Net Sown Area 45 हजार 370 हेक्टेयर है, इसमें Net Arrigated Area 9,360 हजार हेक्टेयर है;

(2) क्या यह बात सही है कि चतरा जिला में मात्र 26.7 प्रतिशत क्षेत्र ही सुनिश्चित सिंचाई सुविधा के तहत् आता है, Dist Arrigation Plan के अनुसार वर्ष 2022 तक 78 प्रतिशत यह लक्ष्य रखा गया था जो अब तक अप्राप्त है;

(3) क्या यह बात सही है कि चतरा जिला अन्तर्गत मात्र 05 जलाशय परियोजना एवं कई ऐसे छोटे जलाशय मौजुद है जिसका Catchment Area बहुत ज्यादा है पर जल संग्रहण कम है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों के व्यापक हित में चतरा जिला के लघु जलाशय का जल संग्रहण क्षेत्र विस्तार कर किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने पर विचर रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

नहर लाइनिंग का निर्माण ।

*127. श्री संजय कुमार सिंह यादव--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि डालटेनगंज जिला के काशी सौत डैम से निकलने वाली दायीं और बायीं नहर का लाइनिंग कार्य 15-20 वर्षों से नहीं कराने के कारण डैम का पानी बर्बाद होता है

(2) क्या यह बात सही है कि डैम के दायीं और बायीं नहर के निर्माण होने से पानी की बर्बादी रूकेगी तथा आस-पास के दो हजार हेक्टेयर क्षेत्र में पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों नहर का लाइनिंग का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

ट्रांसफार्मर लगाना ।

*128. श्री सुदीप गुड़िया--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि तोरपा विधान-सभा अंतर्गत बानो प्रखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे ट्रांसफार्मर खराब है;

(2) क्या यह बात सही है कि इन क्षेत्रों के छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन एवं किसानों को सिंचाई से संबंधित कार्य के लिए कठिनाई हो रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के खराब ट्रांसफार्मर बदलने या नये ट्रांसफार्मर लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

गार्डवाल एवं बियर निर्माण ।

*129. श्री रामचन्द्र सिंह--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला अन्तर्गत मनिका प्रखण्ड के पंचायत दुन्दु ग्राम लाली में अत्यंत ही रमणीय पर्यटक स्थल दोमुहान, जहाँ दो नदियों का संगम स्थल है में सालो भर हजारों की संख्या में सैलानियों का आवागमन बना रहता है एवं इस स्थल पर वर्ष में दो बार वृहद मेला का भी आयोजन किया जाता है;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्तमान में खण्ड-1 में वर्णित पर्यटक स्थल/मंदिर परिसर की भूमि का कटाव तेजी से करकट एवं सुकरी नदी के तेज बहाव से हो रहा है जिससे उक्त स्थल की क्षति का खतरा बना हुआ है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित स्थल के संरक्षण के दृष्टिकोण से नदी के दोनों ओर गॉर्डवाल (Flood Protection Solution) एवं बियर निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

उचित कदम उठाना ।

*130. श्री भूषण बड़ा--क्या मंत्री, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिले में सरकारी स्तर पर धान की खरीदारी अबतक प्रारंभ नहीं हो पाई है, जिसके कारण किसान बेहद परेशान हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में खुदरा बाजार में धान का अधिक मूल्य प्राप्त होता है, दूसरी ओर सिमडेगा के लैम्पस में धान की कीमत कम मिलता है तथा भुगतान में विलंब होता है;

(3) क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला में धान क्रय केन्द्रों की भारी कमी है जिसके कारण समय पर किसानों के धान क्रय में कठिनाई हो रही है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड-1,2,3 में वर्णित विषयों पर उचित कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

नामांकन शुरू कराना ।

*131. श्री रामचन्द्र सिंह--क्या मंत्री, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला अन्तर्गत महुआडांड़ अनुमण्डल सह प्रखण्ड मुख्यालय में स्थानीय छात्रों को तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने हेतु लगभग 5 वर्ष पूर्व औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्वीकृति के तत्पश्चात् यहां भवन का भी निर्माण किया जा चुका है परन्तु आज तक उक्त केन्द्र में पठन-पाठन सुचारू रूप से चालू नहीं किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र में पठन-पाठन का कार्य नहीं होने से स्थानीय युवाओं को तकनीकी शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है साथ ही वर्त्तमान में निर्मित भवन अब खण्डहर का रूप ले रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र में पठन-पाठन हेतु शिक्षक एवं तकनीकी संसाधन बहाल कर नामांकन प्रक्रिया शुरू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

चेकडैम का निर्माण ।

*132. श्री संजय कुमार सिंह यादव--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि हुसैनाबाद अनुमण्डल के सदाबाह नदी पर ग्राम-लोहरपुरवा एवं बरवाडीह ग्राम के बीच में चैकडैम का निर्माण आज तक नहीं कराया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि चैकडैम के निर्माण होने से उक्त गाँव एवं आस-पास के गाँव के 1000 एकड़ भूमि सिंचित होगा;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों के हित में उपर्युक्त स्थल पर चैकडैम का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

4. संलेखः- यह किसानों के हित में अति महत्वपूर्ण है ।

बजट का प्रावधान करना ।

*133. श्री अमित कुमार यादव--क्या मंत्री, अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति एवं अल्प संख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के समान अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग बाहुल क्षेत्रों में धार्मिक स्थल एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की घेराबंदी कराने हेतु योजना का प्रस्ताव वित्त वर्ष 2024-25 से स्वीकृत किया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि वित्त वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में राज्य के सभी जिलों से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग क्षेत्रों में धार्मिक स्थल एवं अन्य महत्वपूर्ण विकास योजना का करीब 500 प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है;

(3) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 एवं 2 वर्णित मद में बजट का प्रावधान नहीं किया गया है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में प्रश्नगत मद में बजट का प्रावधान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पुर्नबहाल करना ।

*134. श्री दशरथ गागराई--क्या मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला के खूंटपानी प्रखण्ड के अंत्योदय अन्न योजना के कार्ड संख्या-2020006806717 (लाकेश्वर बोदरा), 202006834261 (मुक्ता तियु) समेत 100 से अधिक लाभुकों का राशन कार्ड रद्द (Delete) कर दिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त लाभुकों के कार्ड रद्द होने से उन्हें राशन नहीं मिल रहा है और परेशानियों से जुझना पड़ रहा है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त रद्द कार्डधारियों को पुर्नबहाल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

जाँच कर कार्रवाई करना ।

*135. श्री रोशन लाल चौधरी--क्या मंत्री, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिला अंतर्गत पतरातु प्रखण्ड पीवीवीएनएल (एनटीपीसी) में दिनांक 22 अप्रैल, 2025 को कारखाना निरीक्षक हजारीबाग अंचल-01 के द्वारा विभिन्न श्रम कानून एवं फैक्ट्री एक्ट के तहत निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के क्रम में 50 से अधिक बिंदु पर पाई गई कमियों पर स्पष्टीकरण मांगा गया था लेकिन एजेंसी के द्वारा कमियों पर अभी तक कोई सुधार नहीं किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिला अंतर्गत अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान Jindal Steel & Power Limited (JSPL), Patratu, ब्रहमपुत्रा मैटालिक, IPL, Maa Chhinnmastika Cement and Ispat Private Limited (MCCIPL), सीमेंट फैक्ट्री, टायर फैक्ट्री इत्यादि में भी श्रम कानून एवं फैक्ट्री एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड-1 और 2 में वर्णित संस्थानों में उच्च स्तरीय टीम गठित कर जाँच कराकर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

डैम निर्माण कराना ।

*136. श्री कुमार उज्जवल--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि चतरा जिला अंतर्गत मयूरहंड प्रखण्ड के हुसिया पंचायत स्थित ग्राम करकरा में करकरवा नदी पर डैम निर्माण की आवश्यकता लंबे समय से हमसूस की जा रही है;

(2) क्या यह बात सही है कि डैम निर्माण होने से स्थानीय किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा पानी के अभाव से होने वाली कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान हो सकेगा;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार करकरवा नदी पर डैम निर्माण की योजना का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

शैक्षणिक सत्र शुरू कराना ।

*137. श्री निसात आलम--क्या मंत्री, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि आई०टी०आई० कॉलेज, मयुरकोला, बरहरवा, साहेबगंज का भवन का निर्माण कार्य वर्ष 2020 ई० में पूर्ण हो गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि आई०टी०आई० कॉलेज, मयुरकोला में पढ़ाई अबतक प्रारम्भ नहीं किया गया है, जिससे क्षेत्र के छात्र आई०टी०आई० की पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आई०टी०आई० कॉलेज, मयुरकोला, बरहरवा, साहेबगंज के नव निर्मित भवन में अगले शैक्षणिक सत्र से पढ़ाई प्रारम्भ करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

बिरहोर समुदाय का संरक्षण करना ।

*138. डॉ० नीरा यादव--क्या मंत्री, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कोडरमा समेत राज्य के अन्य इलाकों में रह रहे आदिम जनजाति बिरहोर की स्थिति अबतक नहीं सुधर पायी है और ना ही इस साल उन्हें सरकार की ओर से कम्बल का वितरण किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिला अन्तर्गत मरकच्चों स्थित बिरहोर टोला में अभी तक बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और वहां रह रहे बिरहोर भावग्रस्त जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं;

(3) क्या यह बात सही है कि हाल में उक्त बिरहोर टोला के 35 वर्षीय युवक नरेश बिरहो की मौत एंबुलेंस नहीं पहुँचने और समय पर इलाज नहीं होने के कारण हो गयी;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में विलुप्त हो रहे बिरहोर समुदाय के संरक्षण और उन्हें बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु सभी उपाय करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

सर्किट लाना ।

*139. डॉ० नीरा यादव--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिले के झुमरीतिलैया और अन्य इलाकों में लोग बिजली की कटोती, अनियति बिजली आपूर्ति और मांग के अनुरूप बिजली नहीं मिलने की समस्या से प्रभावित हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि सरिया ग्रिड (132/33) ये एक फीडर 25 एमवीए मरकच्चो आ जाता है और बांझेडीह केटीपीएस (132/33 केवीए) से 25 एमवीए एक और अतिरिक्त सर्किट झुमरीतिलैया ले लिया जाता है तो कोडरमा जिला में बिजली संकट लगभग समाप्त हो जाएगा;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में सरिया ग्रिड से मरकच्चों फीडर को जोड़ने तथा बांझेडीह स्थित केटीपीएस से झुमरीतिलैया के लिए एक अतिरिक्त 25 एमवीए का सर्किट लाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रशिक्षण प्रारंभ कराना ।

*140. श्री अमित कुमार--क्या मंत्री, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विभाग के ज्ञांपाक-341 दिनांक 27 फरवरी, 2025 द्वारा संसूचित है कि राँची जिलान्तर्गत सोनाहातु एवं सिल्ली में 2025-26-27 से प्रशिक्षण प्रारंभ किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है;

(2) क्या यह बात सही है कि इस संबंध में अबतक कोई कार्रवाई नहीं ली गयी है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अपने प्रतिवेदन के अनुसार प्रशिक्षण प्रारंभ करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

कोल्ड स्टोरेज निर्माण कराना ।

*141. श्री चन्द्रदेव महतो--क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला अंतर्गत गोविंदपुर प्रखंड के मोरंगा, कंचनपुर, जयनगर, मरिचो, पथरिया, तिलैया, नगरकियारी और बलियापुर प्रखंड के बाघमारा, पलानी, बड़ादाहा, घड़बड, दोलाबढ़, प्रधानखतां, दूधिया, जगदीश, बिरसिंगपुर कृषि बहुल क्षेत्र है, परंतु किसानों के फसल बीज के भंडारण हेतु कोल्ड स्टोरेज का निर्माण अब तक नहीं कराया गया है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में उपरोक्त वर्णित स्थान सहित राज्य के वैसे प्रखंड मुख्यालय जहां कोल्ड स्टोरेज की सुविधा नहीं है, सरकार अविलंब कोल्ड स्टोरेज निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

डैम का निर्माण ।

*142. श्री अनन्त प्रताप देव--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के डंडई प्रखण्ड अंतर्गत पंचायत-पचौर, ग्राम-सुअरजांघा में "कुशुमदाहा डैम" का निर्माण अति आवश्यक है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित डैम के निर्माण से पचौर पंचायत अंतर्गत पचौर, बालेखांड़, सुअरजंघा, लावादुनी, डेलंगी, लवाहीकला, लवाहीखुर्द, फूलवार, तसरार और जरही के लगभ 20 हजार किसानों को कृषि कार्य का लाभ मिलेगा;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित कुशुमदाहा डैम के निर्माण का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

गॉर्डवाल/Flood Protection Solution निर्माण ।

*143. श्री आलोक कुमार चौरसिया--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिले के बरगड़ प्रखण्ड अन्तर्गत कनहर नदी के कटवा से ग्राम टेंगारी, बरगढ़ उगरा, गोठानी, महुआटिकर की किसानों की भूमि प्रत्येक वर्ष जल समाधि लेता जा रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित ग्रामों में नदी से होने वाले भूमि कटाव से किसानों की कृषि योग्य भूमि लगातार घट रही है, जिससे इनके जीविकोपार्जन पर संकट मंडरा रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित ग्रामों में नदी से होने वाले प्रभावित भूमि का सर्वे कराकर गॉडवाल/Flood Protection Solution निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

किसानों को लाभ देना ।

*144. श्री नरेश प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिलान्तर्गत बरडीहा प्रखण्ड के ग्राम कौवाखोह एवं काडी प्रखण्ड के ग्राम भरत पहाड़ी के बीच से होकर बांयी बांकी सिंचाई योजना नहर का निर्माण हुआ है;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त वर्णित प्रखण्डों के निम्नांकित ग्रामों के बीच सटे पश्चिम दिशा में घने जंगल पहाड़ से बरसात के दिनों में चार कोण से पानी निकलता है जो डेम में जमा न होकर बांयी बाकी नहर के नीचे से बह जाता है जिससे किसानों को सिंचाई का लाभ नहीं मिल पा रहा है;

(3) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त वर्णित ग्रामों के बीच बांयी बांकी नहर के एक साईड वॉल देकर जंगल पहाड़ से निकले हुए पानी के OVER Top कराकर नहर में डाल देने से किसानों को सिंचाई का लाभ दुगना मिलेगा;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्णित ग्रामों के बीच बांयी बांकी नहर के एक साईड वॉल देकर जंगल पहाड़ से निकले हुए पानी को OVER Top कराकर नहर में डालकर किसानों को सिंचाई का दुगुना लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

उद्योग स्थापित कराना ।

*145. श्री जनार्दन पासवान--क्या मंत्री, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार की एक जिला एक उत्पाद (Distict one Product) नीति के तहत् चतरा जिला में टमाटर उत्पाद का चयन है;

(2) क्या यह बात सही है कि चतरा जिला में टमाटर की खेती लगभग 6000 हेक्टेयर में होती है तथा कुल उत्पादन लगभग 3.56 मिट्रीक टन है । जो उत्पादन के क्षेत्र में झारखण्ड के अग्रणी जिला में से है;

(3) क्या यह बात सही है कि चतरा जिला में इतना व्यापक मात्रा में टमाटर का उत्पादन होने के बावजूद जिला में टमाटर के उपयोग जैसे केचअप, टोमेटो सॉस इत्यादि निर्माण का कोई सुक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित नहीं है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चतरा जिला में किसानों के लिए कोई मंडी (बाजार) विकसित करने पर विचार रखती है, साथ ही टमाटर उत्पाद की क्षमता को देखते हुए जिला में इस उत्पाद के उपयोग के लिए कोई लघु उद्योग स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

सुविधा उपलब्ध कराना ।

*146. डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत पांकी विधान-सभा क्षेत्र की 90 प्रतिशत कृषि पर आश्रित जनता, समुचित सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने के कारण अधिकतर किसान आशा अनुरूप खेती नहीं कर पाते हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि चाको, सोनरे एवं जमुने जैसी अत्यंत महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजनाएँ वर्षों से संबंधित मंत्रालय में स्वीकृति हेतु लंबिल है;

(3) क्या यह बात सही है कि पांकी विधान-सभा क्षेत्र अन्तर्गत पिरी सिंचाई परियोजना का डी०पी०आर० बनाने का कार्य वर्षों से लंबित है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार चाको, सोनर एवं जमुने सिंचाई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर ससमय निर्माण कराने तथा पिरी सिंचाई परियोजना का डी०पी०आर० बनवाकर, स्वीकृति प्रदान कर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

कार्य को पूर्ण कराना ।

*147. श्री उदय शंकर सिंह--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारठ विधान-सभा क्षेत्र अन्तर्गत MUJY योजना के तहत 400 नए टोलों-महल्लों में विद्युत आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससें से मात्र 10 प्रतिशत तक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराई जा सकी है;

(2) क्या यह बात सही है कि सारठ विधान-सभा क्षेत्र के प्रखण्ड क्रमशः सारठ, पालोजोरी तथा करमाटाँड़ अन्तर्गत Lumino कम्पनी द्वारा खुले एल०टी० तार एच०टी० तार को अंडरकेबलिंग में बदलने तथा Distribution Transformer मांग के अनुपात में स्थापित नहीं हुई है, जिससे विद्युत संचरण व्यवस्था में कठिनाईयाँ हो रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित कार्य को निर्धारित समय में पूर्ण करने एवं खण्ड-02 में वर्णित कार्य को प्राक्कलन व मांग के अनुरूप अविलम्ब पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

सब-स्टेशन का निर्माण कराना ।

*148. श्री विकास कुमार मुण्डा--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि ऊर्जा विभाग के अपने पत्रांक संख्या-1542 दिनांक 2 अगस्त, 2023 के माध्यम से मांग के पश्चात खूंटी जिला के अड़की प्रखण्ड में एक नए विद्युत सब-स्टेशन 2024-25 में पूर्ण करने का स्वीकार किया था;

(2) क्या यह बात सही है कि 2025 वित्तीय वर्ष बीतने को कुछ माह शेष है परन्तु अब तक उक्त कार्य की निविदा नहीं निकली है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सब-स्टेशन के निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

राँची:
दिनांकः- 11 दिसम्बर, 2025 (ई०)

रंजीत कुमार,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

झा०रा०मु० राँची (एल०ए०) 46--250--10-12-2025 ।

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

षष्ठम् झारखण्ड विधान-सभा — 11 दिसम्बर,2025 (ई०)

गुरूवार,तिथि

[चतुर्थ (शीतकालीन)सत्र] — 20 अग्रहायण,1947(श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

प्रारम्भिक-कार्य

-:प्रश्नोत्तरः-

(01)- सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।

(02)- अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।

(03)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

-: ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य :-

(04)- **श्री हेमलाल मुर्मू**,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार **(राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग)** की ओर से वक्तव्य।

(दिनांकः-**10-12-2025** से स्थगित)

(05)-**श्री अमित कुमार**, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार **(पथ निर्माण विभाग)** की ओर से वक्तव्य।

(दिनांकः-**10-12-2025** से स्थगित)

(06)-**श्री जनार्दन पासवान**,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार **(राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग)** की ओर से वक्तव्य।

(दिनांकः-**10-12-2025** से स्थगित)

(07)-**श्रीमती श्वेता सिंह,श्री अरूप चटर्जी एवं श्रीमती ममता देवी** स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार **(उद्योग विभाग)** की ओर से वक्तव्य।

(दिनांकः-**10-12-2025** से स्थगित)

(08)-**श्रीमती पूर्णिमा साहू**, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार **(अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग)** की ओर से वक्तव्य।

(दिनांकः-**10-12-2025** से स्थगित)

कृ०पृ०उ०......

(09)- डॉ0 नीरा यादव,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण- सूचना तथा उस पर सरकार (गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(10)-श्री सुरेश पासवान,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (ग्रामीण कार्य विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(11)-सर्वश्री उमाकान्त रजक,अरूप चटर्जी एवं श्री अनन्त प्रताप देव, स0वि0 स0की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(12)-श्री निर्मल महतो एवं श्री कुमार उज्जवल,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण- सूचना तथा उस पर सरकार (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग)की ओर से वक्तव्य।

(13)-सर्वश्री राजेश कच्छप,नमन विक्सल कोनगाड़ी एवं श्री भूषण बाड़ा, स0 वि0स0की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।

-: <u>समितियों का गठन</u> :-

(14)- झारखण्ड विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

-: <u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना</u> :-

(15)-प्रभारी मंत्री (वित्त विभाग) श्री राधाकृष्ण किशोर, प्रस्ताव करेंगे कि मैं "भारत का संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में, 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखण्ड में लघु खनिजों के प्रबंधन पर प्रतिवेदन (झारखण्ड सरकार वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या-4 {निष्पादन लेखा परीक्षा}) एवं झारखण्ड राज्य का वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे (भाग-I एवं II) तथा विनियोग लेखे से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जिसे विधान सभा के समक्ष रखने हेतु भारत सरकार के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने माननीय राज्यपाल महोदय के पास भेजा है, को सदन पटल पर रखता हूँ।

झारखण्ड विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य-संचालन के नियम-238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथा समय सदन में उपस्थापित किया जायेगा।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उन पर लोक लेखा समिति द्वारा परिनिरीक्षण किये जाने के पूर्व यह जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो।

(16)-झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।

(17)- याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

कृ0पृ0उ0.....

-: गैर-सरकारी संकल्प :-

(18)- लोकहित के विषयों पर गैर-सरकारी संकल्प।

(संकल्प की सूची अलग से वितरित की जा रही है।)

-: प्रश्नों के संबंध में विवरण :-

(19)- वर्तमान सत्र में प्राप्त प्रश्नों के विवरण का सभा नेता द्वारा पढ़ा जाना।

(20)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

(21)- अध्यक्ष का समापन भाषण।

रंजीत कुमार
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-कार्य0का0सू0-11/2025-3465/वि0स0,राँची,दिनांक-10:12:25

प्रतिलिपिः-माननीय सदस्यगण,झारखण्ड विधान-सभा,राँची/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय नेता प्रतिपक्ष,झारखण्ड विधान सभा/ मुख्य सचिव,झारखण्ड/ माननीय राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ महासचिव लोकसभा, नई दिल्ली/ महासचिव राज्य सभा, नई दिल्ली/ झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/12/2025

(हरेन्द्र कुमार साह)
उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-कार्य0का0सू0-11/2025-3465/वि0स0,राँची,दिनांक-10:12:25

प्रतिलिपिः-अवर सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

10/12/2025

उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-कार्य0का0सू0-11/2025-3465/वि0स0,राँची,दिनांक-10:12:25

प्रतिलिपिः-झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाईट शाखा/ पुस्तकालय शाखा ,जनसम्पर्क शाखा एवं झारखण्ड विधान-सभा टी0वी0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/12/2025

उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा,राँची।

10/12/25

झारखण्ड विधान-सभा
جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی

فہرست امور

ششم جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی
{چوتھا (سرمائی) اجلاس}

جمعرات، مورخہ: 11/دسمبر، 2025 (عیسوی)
20/اگہن، 1947 (شک)

[کاروائی شروع ہونے کا وقت 11:00/بجے دن]

ابتدائی امور

سوال و جواب

01۔ ایوان کے گذشتہ اجلاس کے غیر علامتی اور غیر موجود سوالوں کے جواب کا اسمبلی سکریٹری کے ذریعہ ایوان کے میز پر رکھا جانا (اگر ہو)۔

02۔ مختصر میعادی و علامتی سوال اور ان کے جواب۔

03۔ وقفہ صفر کے اطلاعات۔

توجہ طلب اطلاع اور ان پر سرکاری بیان

04۔ جناب ہیم لال مرمو، رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ محصولات رجسٹریشن اور اصلاح اراضی) کی جانب سے بیان۔

[مورخہ۔10/دسمبر، 202 سے ملتوی]

05۔ جناب امیت کمار، رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ تعمیرات شاہراہ) کی جانب سے بیان۔

[مورخہ۔10/دسمبر، 202 سے ملتوی]

06۔ جناب جنادرن پاسوان، رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ محصولات رجسٹریشن اور اصلاح اراضی) کی جانب سے بیان۔

[مورخہ۔10/دسمبر، 202 سے ملتوی]

07۔ محترمہ شویتا سنگھ، جناب اروپ چٹرجی اور محترمہ ممتا دیوی، اراکین قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ صنعت) کی جانب سے بیان۔

[مورخہ۔10/دسمبر، 202 سے ملتوی]

08۔ محترمہ پرنیا ساہو، رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ درج فہرست ذات و درج فہرست قبائل

برائے مہربانی صفحہ الٹیں

،اقلیتی اور پسماندہ طبقہ فلاح) کی جانب سے بیان۔

[مورخہ۔10 ر دسمبر، 202 سے ملتوی]

09۔ ڈاکٹر نیرا یادو، رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ داخلہ، جیل اور منتظمہ آفات) کی جانب سے بیان۔

10۔ جناب سوریش پاسوان، رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ دیہی امور) کی جانب سے بیان۔

11۔ جناب اوما کانت رجک، جناب اروپ چٹرجی اور جناب امت پرتاپ دیو، اراکین قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ صحت، معالجہ تعلیم اور خاندانی فلاح) کی جانب سے بیان۔

12۔ جناب نرمل مہتو اور جناب کمار اجول، اراکین قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ درج فہرست ذات و درج فہرست قبائل، اقلیتی اور پسماندہ طبقہ فلاح) کی جانب سے بیان۔

13۔ جناب راجیش کچھپ، جناب نمل وکسل کونگاڑی اور جناب بھوشن بڑا، اراکین قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ اسکولی تعلیم اور خواندگی) کی جانب سے بیان۔

کمیٹیوں کی تشکیل

14۔ جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی کے ضابطہ نامہ اور دستور العمل کے تناظر میں کمیٹیوں کی تشکیل (اگر ہو)۔

ایوان کے میز پر کاغذات کا رکھا جانا

15۔ وزیر انچارج (محکمہ مالیات)، جناب رادھا کرشن کشور تجویز کریں گے کہ میں ''دستور ہند کے دفعہ۔151 (2) کے تناظر میں، 31 مارچ، 2022 کو ختم ہونے والے سال کے لیے جھارکھنڈ میں معمولی معدنیات کے انتظام سے متعلق رپورٹ (جھارکھنڈ حکومت سال 2025 کی رپورٹ شمارہ۔4 نپٹارہ اور اڈٹ) اور جھارکھنڈ ریاست کی مالی سال 25-2024 کے لیے آڈیٹر جنرل آف انڈیا کے فنانس اکاؤنٹس (حصہ I اور II) اور تصرف آڈٹ کار پورٹ، جسے قانون ساز اسمبلی کے روبرو رکھنے کے لئے حکومتِ ہند کے ناظم محاسب اعلی نے عزت مآب گورنر کے پاس بھیجا ہے، کو ایوان کے میز پر رکھتا ہوں۔

جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی کے ضابطہ نامہ اور دستور العمل کے آئین۔238 کے شرط کے مطابق عوامی احتسابی کمیٹی کا رپورٹ حسبِ وقت ایوان میں رکھا کیا جائے گا۔

میں تجویز کرتا ہوں کہ قانون ساز اسمبلی کے روبرو رکھے جانے کے بعد اور ان پر عوامی احتسابی کمیٹی کی طرف معائنہ کئے جانے کے قبل یہ عوام میں فروخت کے لئے وصول ہو۔

16۔ جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی کی کمیٹیوں کے رپورٹوں کا ایوان کے میز پر رکھا جانا (اگر ہو)۔

17۔ عرضیوں کی پیشی (اگر ہو)۔

غیر سرکاری عہد

18۔ عوامی مفاد کے موضوعات پر غیر سرکاری عہد۔

[عہدوں کی فہرست الگ سے تقسیم کی جا رہی ہے]

سوالات کے متعلق تفصیلات

19۔ موجودہ اجلاس میں حاصل شدہ سوالات کے تفصیلات کا ایوان کے لیڈر کے ذریعہ پڑھا جانا۔

20۔ دیگر نہایت ضروری امور (اگر ہو)۔

برائے مہربانی صفحہ الٹیں

21۔ اسپیکر کا اختتامی خطبہ۔

(رنجیت کمار)
کارگزار سکریٹری،
جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی، رانچی۔

یادداشت نمبر: فہرست امور۔11 / 2025 / 3465 ج ق۔س۔ا، رانچی مورخہ: 10 دسمبر، 2025 (عیسوی)

نقل تحریر: معزز اراکین حضرات، جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی، رانچی/ معزز وزیر اعلیٰ/ معزز وزراء حضرات/ سرکار کے چیف سکریٹری، جھارکھنڈ/ عزت مآب گورنر کے پرنسپل سکریٹری/ ایڈوکیٹ جنرل، جھارکھنڈ، رانچی/ لوک سبھا، نئی دہلی/ راجیہ سبھا، نئی دہلی/ جھارکھنڈ سرکار کے تمام محکموں کے پرنسپل سکریٹری/ سکریٹری کو اطلاعات اور ضروری کاروائی کرنے کے لئے مرسلہ۔

(سید شیراز وجیہ بنٹی)
ڈپٹی سکریٹری
شعبہ اردو، جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی، رانچی

یادداشت نمبر: فہرست امور۔11 / 2025 / 3465 ج ق۔س۔ا، رانچی مورخہ: 10 دسمبر، 2025 (عیسوی)

نقل تحریر: انڈر سکریٹری، اسپیکر دفتر اور ماہر معتمد، سکریٹری دفتر کو بالترتیب عزت مآب اسپیکر صاحب اور کارگزار سکریٹری کو اطلاعات مرسلہ۔

(سید شیراز وجیہ بنٹی)
ڈپٹی سکریٹری
شعبہ اردو، جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی، رانچی

یادداشت نمبر: فہرست امور۔11 / 2025 / 3465 ج ق۔س۔ا، رانچی مورخہ: 10 دسمبر، 2025 (عیسوی)

اردو ترجمہ: جاری کردہ "شعبہ اردو" جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی، رانچی۔

نقل تحریر: جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی کے تمام افسران/ شعبہ ویب سائٹ/ شعبہ لائبریری، شعبہ تعلقات عامہ اور جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی کے ٹی وی کو اطلاعات اور ضروری کاروائی کرنے کے لئے مرسلہ۔

(سید شیراز وجیہ بنٹی)
ڈپٹی سکریٹری
شعبہ اردو، جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی، رانچی

झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

षष्टम् झारखण्ड विधान सभा
चतुर्थ (शीतकालीन) सत्र
वर्ग–04

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न गुरूवार, दिनांक– **20 अग्रहायण,1947 (श0)** ..... को **11 दिसम्बर 2025 (ई0)**

झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0	विभागों को भेजी गई सां0 सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
86.	अ0सू0–31	श्री अमित कुमार यादव,	DPR तैयार करना।	जल संसाधन	06.12.2025
87.	अ0सू0–21	श्री सुरेश कुमार बैठा,	बिल राशि को नियंत्रित, करना।	ऊर्जा विभाग	03.12.2025
88.	अ0सू0–30	श्री राज सिन्हा,	अनुमोदित करना।	म0बा0 विकास एवं समाजिक सुरक्षा	06.12.2025
89.	अ0सू0–32	श्रीमती रागिनी सिंह,	विशेष कार्यक्रम लागू करना।	म0बा विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	06.12.2025
90.	अ0सू0–17	श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह,	अविलम्ब भुगतान करना।	खा0,सार्व0वि0 एवं उपभोक्ता मामले	03.12.2025
91.	अ0सू0–19	श्री प्रदीप प्रसाद,	वेंडर्स सिस्टम खत्म करना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	03.12.2025
92.	अ0सू0–13	श्री अरूप चटर्जी,	समस्या का निराकरण करना।	श्रम,नि0 प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	02.12.2025
93.	अ0सू0–11	श्री नागेन्द्र महतो,	छात्रवृत्ति भुगतान करना।	अनु0जन0,अनु0जा0 एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	02.12.2025
A.94.	अ0सू0–01	श्री राजेश कच्छप,	राशि का दुरूपयोग रोकना।	विधि विभाग।	25.11.2025

कृ0पृ0उ0/

01	02	03	04	05	06
95.	अ0सू0—08	श्री नागेन्द्र महतो,	मुआवजा अविलम्ब देना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	02.12.2025
96.	अ0सू0—05	श्री चन्द्रदेव महतो,	छात्रवृत्ति देना।	अनु0जन0अनु0जा0, अ0 एवं पि0वर्ग क0	25.11.2025
97.	अ0सू0—20	श्री प्रदीप प्रसाद,	लक्ष्य को बढ़ाना	जल संसाधन	03.12.202
98.	अ0सू0—12	श्री अरूप चटर्जी,	कॉलेज के रूप में परिवर्तित करना।	श्रम,नियोजन एवं कौशल विकास	02.12.2025
99.	अ0सू0—25	श्री सुदीप गुड़िया,	एकमुश्त राशि देना	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता।	04.12.2025
100.	अ0सू0—34	श्री रोशन लाल चौधरी,	कार्यों की जाँच कराना।	ऊर्जा	06.12.2025
101.	अ0सू0—36	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी,	कार्रवाई करना।	ऊर्जा	06.12.2025
102.	अ0सू0—10	डॉ0कुशवाहा शशिभूषण मेहता,	योजना प्रदान करना।	महिला,बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	02.12.2025
103.	अ0सू0—02	श्री प्रदीप यादव,	पदाधिकारी नामित करना।	श्रम,नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	25.11.2025
104.	अ0सू0—23	श्री शत्रुघ्न महतो,	नियुक्ति करना।	महिला,बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	03.12.2025
105.	अ0सू0—26	श्री सरयू राय,	बाल जिला घोषित करना।	महिला,बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	06.12.2025
106.	अ0सू0—16	श्री मंगल कालिन्दी,	बिजली मुहैया कराना।	ऊर्जा	03.12.2025
107.	अ0सू0—29	श्री उदय शंकर सिंह,	कार्य पूर्ण कराना।	जल संसाधन	06.12.2025
☆108.	अ0सू0—03	श्री प्रदीप यादव,	शर्तों को संशोधित करना।	खाद्य,सार्व0 वितरण एवं उपभोक्ता मामले	25.11.2025
109.	अ0सू0—09	श्री भूषण बाड़ा,	सुचारू रूप से संचालन करना।	अनु0जन0,अनु0जा0 अ0एवं पि0वर्ग कल्याण	02.12.2025
110.	अ0सू0—07	श्री समीर कु0 मोहन्ती,	मानदेय देना।	श्रम,नि0, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	02.12.2025
111.	अ0सू0—22	श्री शत्रुध्न महतो,	बकाया भुगतान करना।	खाद्य,सार्व0वितरण एवं उपभोक्ता मामले	03.12.2025
112.	अ0सू0—14	श्री जयराम कु0महतो,	जिला आवंटन करना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	02.12.2025

कृ0पृ0उ0/

113.	अ0सू0–06	श्री हेमलाल मुर्मू,	सुरक्षा की जिम्मेदारी	श्रम,नि0, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	02.12.2025
114.	अ0सू0–04	श्री राजेश कच्छप,	समुचित कर्रवाई करना।	अनु0ज00अनु0जा0 अल्प0एवं पि0वर्ग क0	25.11.2025
115.	अ0सू0–27	श्री राज सिन्हा,	व्यवस्था में सुधार करना।	ऊर्जा	06.12.2025
116.	अ0सू0–35	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी,	परियोजना चालू करना।	जल संसाधन	06.12.2025
117.	अ0सू0–18	श्री हेमलाल मुर्मू,	दोषी कर्मियों पर कार्रवाई करना।	विधि	03.12.2025
118.	अ0सू0–15	श्रीमती ममता देवी,	समय सीमा में संशोधन करना।	कृषि,पशु0एवं सहकारिता	03.12.2025
119.	अ0सू0–24	श्री आलोक कुमार सोरेन,	सर्किट बेंच स्थापन करना।	विधि	04.12.2025
B-120.	अ0सू0–33	श्री अमित कुमार,	सुविधा उपलब्ध कराना।	अनु0जन0,अनु0 ज0अ0एवं पि0व0क0	06.12.2025
121.	अ0सू0–28	श्री सरयू राय,	कार्य पुर्ण कराना।	जल संसाधन	06.12.2025

नोट :–

☆– **उत्तर मुद्रित।**

A- विधि विभाग के ज्ञापांक–2299,दिनांक–26.11.2025 के द्वारा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाष विभाग में हस्तांतरित।

B- अनूसचित जनजाति,अनुसूचित जाति,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के पत्रांक–4089, दिनांक–08.12.2025 के द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में हस्तांतरित।

– –

राँची

दिनांक–11 दिसम्बर ,2025 (ई0)।

रंजीत कुमार
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0प्रश्न–10/2025–......3420......./वि0स0,रांची,दिनांक–08-12-25

प्रतिलिपि :– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/मा0 मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/माननीय नेता प्रतिपक्ष/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08.12.25

(महेश नारायण सिंह)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची।

कृ0पृ0उ0/

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0 प्रश्न–10/2025–....3420..../वि0स0,रांची,दिनांक–08.12.25

प्रतिलिपि :– अवर सचिव अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय, झारखण्ड विधान–सभा, रांची को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

08.12.25

अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या– झा0वि0स0 प्रश्न–10/2025–....3420..../वि0स0,रांची,दिनांक–08.12.25

प्रतिलिपि :– कार्यवाही शाखा/सरकारी आश्वासन समिति शाखा/बेवसाईट शाखा/ ऑनलाईन शाखा/JVS. TV. शाखा/अनागत प्रश्न एवं क्रियान्वयन समिति शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

08.12.25

अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

08/12

Ray/

श्री अमित कुमार यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–11.12.2025 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– अ०सू०–31 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि, कोडरमा जिला अंतर्गत तिलैया नहर योजना का निर्माण कार्य राज्य सरकार के समक्ष वर्ष 1950 से विचाराधीन है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि, राज्य गठन के पश्चात् इस योजना के निर्माण कार्य हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने का निर्णय वर्ष 2014–15 में लिया गया था, परन्तु अबतक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार नहीं किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में तिलैया नहर योजना का DPR शीघ्र तैयार करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्त्तमान में तिलैया मेगालिफ्ट सिंचाई परियोजना Phase-I, Phase-II एवं Phase-III प्रस्तावित है। Phase-I में कोडरमा जिला के जयनगर एवं चंदवारा प्रखण्ड के 22 पंचायतों के 108 गाँव सम्मिलित है, जिससे 9183 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। Phase-I के Final PPR की जाँच की जा रही है। जाँचोपरान्त तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायगी। Phase-II में बराकर नदी पर पीरटाँड़ मेगालिफ्ट सिंचाई योजना की स्वीकृति दी गई है। योजना का कार्य प्रगति पर है। योजना के पूर्ण होने पर गिरिडीह जिला के पीरटाँड़ प्रखण्ड में 17 पंचायतों के 8531 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। Phase-III में हजारीबाग जिला के बरही एवं बरकट्ठा प्रखण्ड के 63 गाँव सम्मिलित है, जिससे 8130 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। Phase-III के PPR की जाँच की जा रही है। जाँचोपरान्त तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–10–अ०सू०–12/2025 – 6063 /राँची, दिनांक 10.12.2025

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– ...., वि०स० दिनांक .... के प्रसंग में अतिरिक्त 20 (बीस) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/12/25

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

E:\Boss\Vidhan Sabha\Dec 25\Alpsuchit 81 Amit Kumar Yadav.docx

श्री सुरेश कुमार बैठा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 11.12.2025 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–21 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री सुरेश कुमार बैठा, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि गाँवों में झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा स्मार्ट मीटर लगाया गया है;	अस्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद गरीबों के बिजली बिल में अनियमित एवं असीमित बढ़ोतरी हुई है;	अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बिजली वितरण निगम के कम्पनियों पर लगाम लगाकर असीमित बिल राशि को नियंत्रित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	• ग्रामीण क्षेत्रों में झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) द्वारा स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जा रहे हैं। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर स्थापना का कोई कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं है। स्मार्ट मीटर केवल शहरी टैरिफ–घरेलु, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक श्रेणियों के उपभोक्ताओं के परिसरों में ही लगाए जा रहें हैं। • यदि किसी उपभोक्ता को यह प्रतीत होता है कि स्मार्ट मीटर तेज चल रहा है अथवा बिजली बिल अधिक आ रहा है, तो JBVNL के हेल्पलाईन नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित एजेंसी उपभोक्ता के परिसर में जाकर मीटर का परीक्षण करती है, और यदि मीटर में किसी प्रकार की त्रुटि या दोष पाया जाता है तो नियमानुसार मीटर बदला जाता है।

झारखण्ड सरकार
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक.....1681...../ दिनांक...09/12...../2025

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–3350, दिनांक–03.12.2025 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/12/25

(मो. मुस्तकिम अंसारी)
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री राज सिन्हा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–11.12.2025 को पूछा जाने वाले प्रश्न संख्या–अ0सू0–30 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है कि, विभाग अन्तर्गत 52 परियोजनाओं में वर्ष 2005 से संविदा पर कार्यरत आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिकाओं का नियमितीकरण नहीं हो पाई है, जबकि अन्य विभागों में वर्ष 2014 से कार्य करने वाले संविदा कर्मियों का नियमितीकरण किया जा चुका है;	आंशिक स्वीकारात्मक विभागान्तर्गत आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका का कोई पद नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि, खण्ड (01) में वर्णित परियोजना अन्तर्गत कार्यरत संविदा आधारित पदों को 24 जनवरी, 2024 को प्रशासी पदवर्ग द्वारा प्रत्यर्पित कर नियमित पद पर परिवर्त्तित किया जा चुका है, फिर भी मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किये जाने की प्रत्याशा में मामला लंबित है;	आंशिक स्वीकारात्मक वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक–195/वि0, दिनांक–23.01.2024 के द्वारा निर्गत प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक की कार्यवाही में संविदा पर कार्यरत **महिला पर्यवेक्षिका (अराजपत्रित)** के पदों को प्रत्यार्पित कर नियमित पदों के सृजन की सशर्त्त स्वीकृति प्राप्त है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित पद के नियमितीकरण हेतु खण्ड (02) में वर्णित प्रशासी पदवर्ग द्वारा प्रत्यर्पित निर्णय पर मंत्रिपरिषद द्वारा अविलंब अनुमोदित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो?	विभागान्तर्गत आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका का कोई पद नहीं है। विभागान्तर्गत 52 परियोजनाओं में वर्ष 2005 से संविदा पर **"महिला पर्यवेक्षिका"** कार्यरत हैं। वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक–195/वि0, दिनांक–23.01.2024 के द्वारा निर्गत प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक की कार्यवाही में उक्त पदों को प्रत्यार्पित कर नियमित पदों के सृजन की सशर्त्त स्वीकृति प्राप्त है। संविदा पर कार्यरत **"महिला पर्यवेक्षिका (अराजपत्रित)"** के पदों के प्रत्यर्पण एवं नियमित पदों के सृजन का मामला सम्प्रति सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 04/म0स0/विधान सभा– 423/2025–3724 राँची, दिनांक :10-12-2025

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके पत्र सं0–3406, दिनांक–06.12.2025 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.12.25

(प्रीति सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

श्रीमती रागिनी सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–11.12.2025 को विधान सभा में पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– 32 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झरिया विधान सभा क्षेत्र सहित धनबाद जिले में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न, घरेलू हिंसा तथा दुर्व्यवहार की घटनाएँ लगातार सामने आ रही है, जिन पर त्वरित कार्रवाई नहीं हो पा रही है ;	अस्वीकरात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि, कई मामलों में पीड़ित द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बावजूद स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस द्वारा आवश्यक सहयोग, संरक्षण तथा कानूनी सहायता समय पर उपलब्ध नहीं कराई जाती है ;	अस्वीकरात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि उत्पीड़न कि शिकार महिलाओं को न्याय प्राप्त करने में गंभीर कठिनाइयाँ है और वे सुरक्षा के आभाव में मानसिक एवं सामाजिक संकट का सामना करती है ;	अस्वीकरात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झरिया सहित पूरे राज्य में महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाने तथा पीड़ित महिलाओं को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए विशेष तंत्र कार्यक्रम लागू करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आवश्यक सुविधा/सहयोग यथा आश्रय, कानूनी सहायता, संरक्षण इत्यादि प्रदान किए जाने हेतु जिलान्तर्गत "वन स्टॉप सेन्टर" संचालित है, जहाँ पीड़ित महिलाओं को आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करते हुए उनके शिकायतों का निराकरण किया जाता है। साथ ही निजी एवं लोक कार्य स्थलों में महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न रोकने एवं शिकायत निवारण हेतु सभी जिलों में एक नोडल पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर Local Committee का गठन किया गया है। उक्त से संबंधित विवरणी भारत सरकार द्वारा निर्मित SHe- Box पोर्टल पर भी अद्यतन किया गया है। विभागीय अधिसूचना संख्या– 843, दिनांक– 11.06.2007 द्वारा घरेलु हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा–8 एवं घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2006 के नियम–3 में निहित प्रावधान के अनुसार राज्य हित में प्रत्येक कार्यरत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को उनके क्षेत्राधिकार के लिए "संरक्षण पदाधिकारी" नियुक्त किया गया है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 04/म0स0/विधान सभा–425/2025 –3725 राँची, दिनांक : 10-12-2025

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–3408/वि०स०, दिनांक– 06.12.2025 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.12.25

(प्रीति सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 11.12.2025 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या– अ०सू० 17 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह,
स०वि०स०

उत्तरदाता
डॉ० इरफान अंसारी
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग. झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से पूरे झारखण्ड में 67 लाख कार्डधारियों के बीच 25000 पी०डी०एस० दुकानदारों के माध्यम से अनाज बटंवाने/वितरण करवाने का काम करता है;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही कि उपर्युक्त अनाज वितरण के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य के सभी पी०डी०एस० दुकानदारों को अनाज के कमीशन की राशि नहीं दी गई है;	आंशिक स्वीकारात्मक। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह अप्रैल 2025 से जुलाई, 2025 तक के सभी जिलों के डीलर कमीशन भुगतान किया जा चुका है/विपत्र कोषागार भेजा जा चुका है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची द्वारा अगस्त 2025 से अक्टूबर, 2025 तक के डीलर कमीशन के भुगतान हेतु 14 जिलों का विपत्र कोषागार भेजा जा चुका है, शेष 10 जिलों का विपत्र कोषागार में प्रेषित करने की कार्रवाई की जा रही है। झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS)- वित्तीय वर्ष 2024–25 के जून 2024 से सितम्बर, 2024 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में अप्रैल, 2025 से जुलाई, 2025 तक की अवधि का सभी डीलरों के डीलर कमीशन का भुगतान किया जा चुका है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची द्वारा अगस्त 2025 से अक्टूबर, 2025 तक के डीलर कमीशन के भुगतान हेतु 14 जिलों का विपत्र कोषागार भेजा जा चुका है, शेष 10 जिलों का विपत्र कोषागार में प्रेषित करने की कार्रवाई की जा रही है।
(3) क्या यह बात सही कि झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2024 के कंडिका–19 में दुकानदारों को राशन सामग्री के उठाव/वितरण की समाप्ति के तीन माह के अन्दर कमीशन की राशि भुगतान का अनुपालन हो रहा है;	आंशिक स्वीकारत्मक।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त दोनों योजनाओं से पी०डी०एस० दुकानदारों को मिलने वाले कमीशन की राशि का अविलंब भुगतान करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

ह0/–
(लालो प्रसाद कुशवाहा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–4/ज०वि०प्र०/वि०स०/56/2025 3257 /राँची, दिनांक 10/12/25

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या–3354/वि०स०, दिनांक 03.12.2025 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/12/2025
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 11.12.2025 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या– अ०सू० 17 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह,
स०वि०स०

उत्तरदाता
डॉ० इरफान अंसारी
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से पूरे झारखण्ड में 67 लाख कार्डधारियों के बीच 25000 पी०डी०एस० दुकानदारों के माध्यम से अनाज बटंवाने/वितरण करवाने का काम करता है;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही कि उपर्युक्त अनाज वितरण के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य के सभी पी०डी०एस० दुकानदारों को अनाज के कमीशन की राशि नहीं दी गई है;	आंशिक स्वीकारात्मक। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह अप्रैल 2025 से जुलाई, 2025 तक के सभी जिलों के डीलर कमीशन भुगतान किया जा चुका है/विपत्र कोषागार भेजा जा चुका है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची द्वारा अगस्त 2025 से अक्टूबर, 2025 तक के डीलर कमीशन के भुगतान हेतु 14 जिलों का विपत्र कोषागार भेजा जा चुका है, शेष 10 जिलों का विपत्र कोषागार में प्रेषित करने की कार्रवाई की जा रही है। झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS)- वित्तीय वर्ष 2024–25 के जून 2024 से सितम्बर, 2024 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में अप्रैल, 2025 से जुलाई, 2025 तक की अवधि का सभी डीलरों के डीलर कमीशन का भुगतान किया जा चुका है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची द्वारा अगस्त 2025 से अक्टूबर, 2025 तक के डीलर कमीशन के भुगतान हेतु 14 जिलों का विपत्र कोषागार भेजा जा चुका है, शेष 10 जिलों का विपत्र कोषागार में प्रेषित करने की कार्रवाई की जा रही है।
(3) क्या यह बात सही कि झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2024 के कंडिका–19 में दुकानदारों को राशन सामग्री के उठाव/वितरण की समाप्ति के तीन माह के अन्दर कमीशन की राशि भुगतान का अनुपालन हो रहा है;	आंशिक स्वीकारत्मक।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त दोनों योजनाओं से पी०डी०एस० दुकानदारों को मिलने वाले कमीशन की राशि का अविलंब भुगतान करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

ह0/–
(लालो प्रसाद कुशवाहा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–4/ज०वि०प्र०/वि०स०/56/2025 3257 /राँची, दिनांक 10/12/25

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या–3354/वि०स०, दिनांक 03.12.2025 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/12/2025
सरकार के अवर सचिव।

श्री प्रदीप प्रसाद, मा० सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–11.12.2025 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न सं०– अ०सू०–19 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री प्रदीप प्रसाद, माननीय सदस्य विधान सभा	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा झारखण्ड के कृषकों के लाभार्थ एक लोककल्याणकारी योजना संचालित है, जिसके तहत् कृषकों और पशुपालकों को बत्तख, बकरी, गाय, बैल इत्यादि कृषि और रोजगार हेतु अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है;	स्वीकारात्मक। सरकार द्वारा झारखण्ड के कृषकों/पशुपालकों के लाभार्थ मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना संचालित है।
2	क्या यह बात सही है कि वेंडर्स और दलालों के कारण उक्त योजना हजारीबाग सहित अन्य जिलों में धरातल पर नहीं दिखाई पड़ रही है और हजारीबाग में कृषकों और पशुपालकों को विभाग द्वारा कहा जाता है कि उनको एक निश्चित वेन्डर से ही खरीदारी करनी होगी अन्यथा उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, जिस कारण मजबूरन उन्हें विभाग द्वारा चिन्हित वेंडरों से ही उक्त पशुओं की खरीदारी हेतु बाध्य होना पड़ता है;	अस्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प एवं स्वीकृत्यादेश में निहित प्रावधान के अनुसार इच्छा की अभिव्यक्ति के माध्यम से पशुओं की आपूर्ति हेतु नियमानुसार आपूर्तिकर्त्ताओं को निदेशालय स्तर से सूचीबद्ध किया जाता है। लाभुक जिलों के लिये सूचीबद्ध किसी भी आपूर्तिकर्त्ता से पशु–पक्षी क्रय करने के लिये स्वतंत्र है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में तत्काल ऐसे वेंडर्स को उक्त योजना से हटाते हुए इस वेंडर्स सिस्टम को खत्म करने का विचार रखती है, हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक – 5 बजट (1) 53/2025 ....1397..../ राँची, दिनांक 10.12.2025

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–3352 दिनांक–03.12.2025 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.12.2025

(शिव कुमार केडिया)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक – 5 बजट (1) 53/2025 ....1397..../ राँची, दिनांक 10.12.2025

प्रतिलिपि– अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, विधायी प्रशाखा, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञापांक–1379 दिनांक–04.12.2025 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.12.2025

सरकार के अवर सचिव

श्री अरूप चटर्जी, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–11.12.2025 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– अ0सू0–13 का उत्तर सामग्री।

2047
04/12/2025

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में श्रम अधीक्षक, सहायक श्रमायुक्त और श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों की भारी कमी होना लम्बे समय से एक गंभीर प्रशासनिक समस्या है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि खण्ड–1 वर्णित कारणों से राज्य में श्रमिकों से जुड़े श्रमिक पंजीकरण, श्रमिक कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन, औद्योगिक विवादों का निपटारा, श्रम कानुनों का निरक्षण सह अनुपालन के साथ दुर्घटना, वेतन संबंधी शिकायतों का समय पर समाधान नहीं हो पाता है जिसमें विशेष कर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब प्रशासनिक स्तर नीतिगत स्तर के साथ तकनीकि एवं व्यवहारिक स्तर पर उक्त गंभीर समस्या के निराकरण का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	182 श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों की नियुक्ति झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित झारखण्ड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, 2023(नियमित) का अंतिम रूप से परीक्षाफल का प्रकाशन प्रक्रियाधीन है जबकि श्रम अधीक्षक की नियुक्ति दिनांक–28.11.2025 को हो चुकी है।

07/12/2025

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02/श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–70/2025श्र0नि0– 2047 राँची, दिनांक–04/12/2025

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–3311, दिनांक–02.12.2025 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

07/12/2025

सरकार के अवर सचिव।

श्री नागेन्द्र महतो मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–11.12.2025 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–11 का उत्तर सामग्री–

<table>
<tr><th>क्रं० सं०</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रदेश में उच्च एवं व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले ST, SC, OBC एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को विगत 3 वर्षों से सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है, जिससे हजारों गरीब छात्रों को बीच में अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है ;</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक।
विगत 3 वर्षों में वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2024–25 में छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या निम्नवत् है:–
<table>
<tr><th rowspan="2">Category</th><th rowspan="2">Year</th><th colspan="2">ST</th><th colspan="2">SC</th><th colspan="2">BC</th></tr>
<tr><th>No of Beneficiaries</th><th>Amount Disbursed (In Lakhs)</th><th>No of Beneficiaries</th><th>Amount Disbursed (In Lakhs)</th><th>No of Beneficiaries</th><th>Amount Disbursed (In Lakhs)</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Post Matric</td><td>2022-23</td><td>143712</td><td>20916.67</td><td>48880</td><td>2329.68</td><td>333182</td><td>52569.23</td></tr>
<tr><td>2023-24</td><td>144294</td><td>24169.28</td><td>53156</td><td>2814.89</td><td>392410</td><td>65854.36</td></tr>
<tr><td>2024-25</td><td>96909</td><td>17020.95</td><td>46807</td><td>2573.94</td><td>19996</td><td>1870.16</td></tr>
</table>
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए केन्द्रीय योजनान्तर्गत दो छात्रवृत्ति योजनाएं यथा पोस्ट–मैट्रिक एवं मेरिट–कम–मीन्स संचालित है, जिसके लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर आवेदन प्राप्त किये जाते हैं, तथा भारत सरकार द्वारा शत्–प्रतिशत छात्रवृत्ति की राशि सीधे छात्र–छात्राओं के बैंक खाता में हस्तान्तरित की जाती है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि इस तरह प्रदेश के गरीब छात्रों के साथ विभाग द्वारा की जा रही ऐसी लापरवाही पर त्वरित कार्रवाई कर छात्रों को अविलम्ब छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए, जिससे गरीब छात्र अपनी पढ़ाई पूरी कर अपना जीवन संवार सकने में सक्षम हो सकें ;</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक।
I. पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना केन्द्रांश एवं राज्यांश के समेकित राशि से किया जाता है एवं छात्रवृत्ति का भुगतान केन्द्रांश की विमुक्ति पर निर्भर है। अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु पर्याप्त राशि प्राप्त होती है एवं अनुसूचित जाति के लाभुकों को छात्रवृत्ति का केन्द्रांश सीधे उनके खाते में DBT के माध्यम से किया जाता है।
II. पिछड़ा वर्ग के छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्र से प्राप्त सहायता राशि राज्य के वास्तविक आवश्यकताओं की तुलना में अत्याधिक कम है। वर्ष 2023–24 में राज्य द्वारा BC वर्ग के लिए पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु 2024–25 में याचित 353. 21 करोड़ रूपये के एवज में केन्द्र द्वारा मात्र 33.87 करोड़ रूपये विमुक्त किया गया। इस कारण कई छात्र–छात्राओं के छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जा सका। केन्द्र सरकार से केन्द्रांश प्राप्त होने के उपरान्त शेष वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा सकेगा।
III. अल्पसंख्यक छात्र–छात्राओं के छात्रवृत्ति के संबंध में उपरोक्त कंडिका I के अनुसार भारत सरकार द्वारा शत्–प्रतिशत छात्रवृत्ति की राशि सीधे छात्र–छात्राओं के बैंक खाता में हस्तान्तरित की जाती है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अविलम्ब वैसे छात्रों को सभी बकाया छात्रवृत्ति एक साथ देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</td><td>उपरोक्त कंडिका में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापांक–09/छात्रवृत्ति विधानसभा–18/2025 - 4122. राँची, दिनांक– 10/12/2025

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–3313, दिनांक– 02.12.2025 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/12/25

(जया रेचल मिंज)
सरकार के उप सचिव।

श्री राजेश कच्छप, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–11.12.2025 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–01 से संबंधित उत्तर सामग्री

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सरकारी कर्मचारियों को अनुमान्य देय सुविधाओं के लाभ प्राप्त करने में निदेशालय एवं सचिवालय के हठधर्मी रवैया के कारण माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है;	**अस्वीकारात्मक।** राज्य के सरकारी कर्मियों को उनकी सेवाशर्त्त नियमावलियों आदि में विहित प्रावधानों एवं इस संबंध में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों के आलोक में अनुमान्य देय सुविधाएँ नियमानुसार प्रदान किया जाता है। अपने अधिकारों के लिए माननीय न्यायालय में वाद दायर करना किसी भी सरकारी कर्मी का संवैधानिक अधिकार है।
2.	क्या यह बात सही है कि सरकार सामान्य प्रक्रिया में अनुमान्य सुविधाएँ न देकर बार–बार उनके विरूद्ध माननीय उच्च से उच्चतम न्यायालय तक अनावश्यक रूप से जाने के उपरांत जनता के पैसों को खर्च कर अंततः लाभ देने को मजबूर होती है;	
3.	क्या यह बात सही है कि विगत पाँच वर्षों में ऐसे हजारों मुकदमों में जनता के हिस्से की काफी बड़ी राशि का अपव्यय हुआ है;	सरकारी कर्मी के द्वारा माननीय न्यायालय में वाद दायर करने के उपरान्त ही स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी को दृष्टिपथ में रखते हुए सरकार के द्वारा अपना पक्ष माननीय न्यायालय में रखा जाता है।
4.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार इस राशि का दुरूपयोग रोकने हेतु कोई ठोस नीतिगत निर्णय लेने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०प्र०–08–01/2025 का०–**7089** /राँची, दिनांक–**04.12.2025**

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप संख्या–3152 दिनांक–25.11.2025 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.12.2025
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री नागेन्द्र महतो, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–11.12.2025 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–08 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता–श्री नागेन्द्र महतो, मा0स0वि0स0		उत्तरदाता–माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रदेश में मोंथा चक्रवात (Montha Cyclone) का आगमन 28 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 31 अक्टूबर 2025 तक विभिन्न जिलों में जारी रहा ?	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि मोंथा चक्रवात से हुई असामयिक वर्षा एवं तेज हवा के चलते किसानों की तैयार धान की फसल को काफी क्षति हुआ है, जिससे किसानों की धान की पैदावार में काफी क्षति के चलते झारखण्ड के विभिन्न जिलों के साथ–साथ गिरिडीह जिला के किसान भी हताश–निराश हो गये हैं ?	राज्य में धान के फसल का Insurance बिरसा फसल बीमा योजना से आच्छादित है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार मोंथा चक्रवात से प्रभावित झारखण्ड के सभी जिलों के किसानों को धान की पैदावार में हुई क्षति का उचित मुआवजा अविलंब दिलाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–03/कृ0वि0स0(अ0सू0)–07/2025 2698 कृ0, राँची, दिनांक–10-12-2025

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–3316 दिनांक–02.12.2025 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.12.25

(बिभाष चन्द्र सिंह)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–03/कृ0वि0स0(अ0सू0)–07/2025 2698 कृ0, राँची, दिनांक–10-12-2025

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, प्रशाखा–09, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.12.25

सरकार के उप सचिव।

श्री चन्द्रदेव महतो मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–11.12.2025 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–05 का उत्तर सामग्री–

<table>
<tr><th>क्रं० सं०</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि एससी. एसटी और ओबीसी छात्रों को 2 वर्षों से छात्रवृत्ति राशि नहीं मिला है;</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक।
विगत 2 वर्षों में वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 में छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या निम्नवत् है:–
<table>
<tr><th rowspan="2">Category</th><th rowspan="2">Year</th><th colspan="2">ST</th><th colspan="2">SC</th><th colspan="2">BC</th></tr>
<tr><th>No of Beneficiries</th><th>Amount Disbursed (In Lakhs)</th><th>No of Beneficiries</th><th>Amount Disbursed (In Lakhs)</th><th>No of Beneficiries</th><th>Amount Disbursed (In Lakhs)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Pre Matric (1 to 8)</td><td>2023-24</td><td>910642</td><td>16972.60</td><td>390194</td><td>7498.56</td><td>1475265</td><td>27932.555</td></tr>
<tr><td>2024-25</td><td>860975</td><td>16164.43</td><td>362197</td><td>6831.93</td><td>1405041</td><td>26686.39</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Pre Matric (9 to 10)</td><td>2023-24</td><td>105005</td><td>4725.225</td><td>49503</td><td>1188.072</td><td>201982</td><td>9089.19</td></tr>
<tr><td>2024-25</td><td>115535</td><td>5196.105</td><td>50640</td><td>1214.352</td><td>103581</td><td>4661.145</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Post Matric</td><td>2023-24</td><td>144294</td><td>24169.28</td><td>53156</td><td>2814.89</td><td>392410</td><td>65854.36</td></tr>
<tr><td>2024-25</td><td>96909</td><td>17020.95</td><td>46887</td><td>2573.94</td><td>19996</td><td>1870.16</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि छात्रवृत्ति की राशि जारी नहीं होने से विद्यार्थियों को पढ़ाई पर सीधा असर पड़ रहा है;</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>क्या यह बात सही है कि कल्याण विभाग का पैसा राज्य सरकार दूसरी योजनाओं में खर्च कर रही है;</td><td>अस्वीकारात्मक।</td></tr>
<tr><td>4</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गरीब परिवार के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति राशि देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?</td><td>I. प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति (1 to 8) योजना पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा संचालित है। इसके अन्तर्गत योग्य छात्र–छात्राओं के छात्रवृत्ति का भुगतान नियमित है। वित्तीय वर्ष 2025–26 की समाप्ति तक सभी छात्र–छात्राओं का भुगतान पूर्ण कर लिया जायेगा।
II. प्री–मैट्रिक (9 एवं 10) छात्रवृत्ति एवं पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना केन्द्रांश एवं राज्यांश के समेकित राशि से किया जाता है एवं छात्रवृत्ति का भुगतान केन्द्रांश की विमुक्ति पर निर्भर है। अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु पर्याप्त राशि प्राप्त होती है एवं अनुसूचित जाति के लाभुकों को छात्रवृत्ति का केन्द्रांश सीधे उनके खाते में DBT के माध्यम से किया जाता है।
III. पिछड़ा वर्ग के छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्र से प्राप्त सहायता राशि राज्य के वास्तविक आवश्यकताओं की तुलना में अत्याधिक कम है। वर्ष 2023–24 में राज्य द्वारा BC वर्ग के प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु 66.14 करोड़ की अधियाचना की गयी जबकि केन्द्र द्वारा मात्र 12.61 करोड़ की राशि विमुक्त की गई। इसी प्रकार BC वर्ग के लिए पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु 2024–25 में याचित 353.21 करोड़ रूपये के एवज में केन्द्र द्वारा मात्र 33.87 करोड़ रूपये विमुक्त किया गया। इस कारण कई छात्र–छात्राओं के छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जा सका।
केन्द्र सरकार से केन्द्रांश प्राप्त होने के उपरान्त शेष वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा सकेगा।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापांक– 4118 राँची, दिनांक–10/12/2025

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–3156, दिनांक–25.11.2025 के क्रम में 200 प्रतियों के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

(जया रेचल मिंज)
सरकार के उप सचिव।

श्री प्रदीप प्रसाद , माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–11.12.2025 को पूछा जाने वाला
अल्प सूचित प्रश्न संख्या – अ०सू०–20 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग सहित झारखण्ड राज्य कृषि प्रधान है, लेकिन हजारीबाग जिला सहित पूरे प्रदेश में निर्धारित सिंचाई क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग के कटकमदाग प्रखण्ड के गोंदा डैम और अन्य डैम वर्षों से उपेक्षित पड़े है, जहाँ वर्षों से गाद जमा हुआ है, जिसके वजह से इसकी जल संचय की क्षमता घट गई है और इस कारण इस क्षेत्र की सिंचाई प्रभावित हो रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के सभी डैम अपने निर्माण वर्ष से लेकर आज तक पूर्ण नहीं हुए हैं और न ही कभी उनमें वर्षों से जमे गाद की सफाई करवाकर उनका जीर्णोद्धार कराया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में तत्काल गोंदा डैम सहित राज्य के सभी डैम के गाद सफाई करवाते हुए इनके जल संचयन की क्षमता को बढ़ाते हुए इनका जीर्णोद्धार करवाते हुए झारखण्ड के सभी जिलों में सिंचाई क्षमता के लक्ष्य को अगले वित्तीय वर्ष तक प्राप्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सर्वेक्षणोपरान्त इस पर निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–10–अ०सू०–08/2025 – 6003 /राँची, दिनांक 6/12/2025

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 3351 वि०स० दिनांक 03.12.2025 के प्रसंग में अतिरिक्त 20 (बीस) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड (लघु सिंचाई सहित)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/12/25

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

F:\Bos\Vidhan Sabha\Dec-25\Asuchit-20 Pradip Prasad.docx

श्री अरूप चटर्जी, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–11.12.2025 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– अ0सू0–12 का उत्तर सामग्री।

2045
07/12/2025

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि, उपायुक्त महोदय, धनबाद के पत्रांक–4923 दिनांक–13.11.2025 द्वारा निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, राँची को वर्तमान समय में रूग्न पड़े कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल मैथन, धनबाद को एक मेडिकल कॉलेज के रूप में परिवर्तित करने हेतु एक प्रतिवेदन प्रतिवेदित किया गया है;	**स्वीकारात्मक।**
2	क्या यह बात सही है, कि खण्ड–1 के उक्त वर्णित प्रतिवेदन में मैथन अवस्थित ESI Hospital क्षेत्र के संबंधित अंचल एगारकुण्ड के अंचल एगारकुण्ड के अंचल अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये भूमि का प्रस्ताव व ट्रेस नक्शा सहित प्रतिवेदन के साथ–साथ Civil Surgeon धनबाद का भी मंतव्य/प्रतिपुष्टि प्रस्ताव भी संलग्न है;	**स्वीकारात्मक।**
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मैथन अवस्थित ESI Hospital के जनसंख्या एवं भौगोलिक दृष्टिकोण को देखते हुए अविलम्ब इसे एक बहु–विशिष्ट अस्पताल–सह–कॉलेज के रूप में परिवर्तित कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोगजार मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नामकुम, राँची के पत्रांक–60/N/17/11/Med./2022-Cord, दिनांक–30.05.2025 के आलोक में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल मैथन को मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित करने संबंधी प्रतिवेदन निम्नवत् है:– मैथन अस्पताल के 25 किमी0 की त्रिज्या (radius) में बीमितों की संख्या 10,000 (दस हजार) से भी कम है। जबकि वहाँ 100 शय्या का अस्पताल के निर्माण एवं संचालन के लिए निर्धारित बीमितों की संख्या 50,000 होनी चाहिए। ज्ञातव्य हो कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (National Medical Commission) जो देश में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी नीति बनाती है एवं चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए जरूरी मापदंड तय करती है, के अनुसार 50 MBBS सीट के साथ चिकित्सा महाविद्यालय के संचालन के लिए न्यूनतम 220 शय्या के अस्पताल का कार्यान्वित होना जरूरी है। ऐसे में देखा जा सकता है कि मैथन में 220 शय्या के अस्पताल हेतु भूमि एवं भवन की उपलब्धता के बावजूद चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु बीमितों की न्यूनतम संख्या 1,50,000 से अधिक होनी चाहिए। मैथन अस्पताल, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित है। अतः मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर्मचारी राज्य बीमा निगम (भारत सरकार) के अधिकार क्षेत्र में आता है जिसके लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना, झारखण्ड के पत्रांक–382 दिनांक–08.09.2025 के द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम को प्रस्ताव भेजी जा चुकी है।

11/12/2025

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–69 / 2025श्र0नि0– 2045 राँची, दिनांक– 07/12/2025

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–3312, दिनांक– 02.12.2025 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

07/12/2025

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 11.12.2025 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या– अ०सू० 25 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री सुदीप गुड़िया,
स०वि०स०

उत्तरदाता
डॉ० इरफान अंसारी
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग. झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि लैम्पस पैक्स के द्वारा धान खरीद में 50 प्रतिशत राशि त्वरित एवं अन्य राशि का भुगतान एक माह पश्चात् दी जाती है;	खरीफ विपणन मौसम 2025–26 में किसानों से क्रय किए गए धान के विरूद्ध भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य रूपये 2,369/– प्रति क्विंटल एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त बोनस रूपये 81/– प्रति क्विंटल कुल रूपये 2,450/– प्रति क्विंटल की दर से किसानों को एकमुश्त एवं त्वरित भुगतान की व्यवस्था की गई है।
(2) क्या यह बात सही है कि अन्य राशि का भुगतान एक माह पश्चात् भी नहीं हो पता है, जिससे किसान अपना धान बिचौलियों के पास कम दर पर बेचने के लिए मजबूर है;	उपर्युक्त कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार किसनों को धान अधिप्राप्ति की राशि एकमुश्त देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	

ह0/–
(संजय कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–4/ज०वि०प्र०/वि०स०/63/2025 3249. /राँची, दिनांक 10/12/25

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या–3370/वि०स०, दिनांक 04.12.2025 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/12/25
सरकार के अवर सचिव।

श्री रोशन लाल चौधरी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 11.12.2025 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–34 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री रोशन लाल चौधरी, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि ऊर्जा विभाग एवं इसकी अधीनस्थ वितरण कंपनियों द्वारा Empanelled कंपनियों को कार्य आवंटन करते समय GFR-2017, CVC नियम 2012 एवं 2016 तथा स्वीकृत निविदा प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण कार्य आवंटन में मनमानी, अपारदर्शिता तथा नियमों का उल्लंघन हो रहा है;	अस्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि GFR-2017 में Empanelment को केवल "रेट कॉन्ट्रैक्ट अथवा प्री–क्वालिफाईड सूची" माना गया है, CVC नियम 2012 एवं 2016 में स्पष्ट है कि Empanelled सूची से कार्य आवंटन Competitive Bidding के बिना नहीं किया जा सकता, के बावजूद हजारीबाग प्रक्षेत्र में मनपसंद Empanelment कंपनी M/S Western Infra Project Pvt. Ltd. M/S Rahul Enterprises जैसे कंपनियों को S.O.S आधारित निविदा निस्तारित कर मनमाने ढंग से कार्य आवंटित किये जा रहे हैं;	अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भविष्य में ऊर्जा विभाग के निविदाओं में GFR-2017, CVC Guidelines एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा हजारीबाग प्रक्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में Empanelled कंपनियों को आवंटित कार्यों की जांच कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	Empanelment प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन ई–टेंडर के माध्यम से पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक रूप से GFR-2017 एवं अद्यतन CVC guidelines तथा निगम के DoFP प्रावधानों के तहत सम्पादित की गई है। साथ ही सूचिबद्ध एजेंसियों को जो कार्य आवंटित किया जाता है, वो GFR-2017 एवं CVC guidelines के अनुसार विधिसम्मत् है। विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, हजारीबाग एवं इसके अन्तर्गत सभी कार्यालयों में M/s Weststone Infra Project Pvt. Ltd., M/s Rahul Enterprises एवं अन्य कंपनियों को कार्य आवंटन उनकी उपलब्धता, तकनीकी क्षमता, निर्धारित guidelines एवं निगम के DoFP के आधार पर पूर्णतः नियमानुसार किया गया है। सभी आवंटित कार्यों का वर्षवार अंकेक्षण Principal Accountant General (Audit) द्वारा किया जाता है।

झारखण्ड सरकार
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक.....1692...../ दिनांक...10/12...../2025

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–3410, दिनांक–06.12.2025 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/12/25

(मो. मुस्तकिम अंसारी)
सरकार के संयुक्त सचिव।

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	विद्युत आपूर्ति अंचल, हजारीबाग के अन्तर्गत O&M, ADP & Deposit Head में कुल आवंटित कार्यों की संख्या			M/s. Weststone Infraproject Pvt. Ltd. को आवंटित कार्यों की संख्या।			M/s. Rahul Enterprises. को आवंटित कार्यों की संख्या।			Status of Audit
		ADP	O&M	DEPOSIT	ADP	O&M	DEPOSIT	ADP	O&M	DEPOSIT	
1	2020-21	13	32	6	-	-	-	1	1	-	Audit completed by Principal Accountant General (Audit), Jharkhand for financial year 2020-21 to 2024-25. No any adverse obeservation found regarding mentioned work.
2	2021-22	20	54	1	2	-	-	6	10	1	
3	2022-23	43	68	-	8	-	-	5	4	-	
4	2023-24	38	29	2	2	-	-	3	2	-	
5	2024-25	24	67	13	-	-	-	1	3	3	
6	2025-26	14	42	15	-	-	-	1	4	2	

Manager (F&A)
Electric Supply Circle, Hazaribag

09/12/25
Electrical Superintending Engineer
Electrical Supply Circle
Hazaribag

श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 11.12.2025 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–36 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिलान्तर्गत विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि विद्युतीकरण का कार्य बिजली विहीन गाँवों/टोलों एवं विद्युतीकरण हुए गाँवों/टोलों के जर्जर बिजली खंभों/खुले तारों को केवल तारों एवं गाँवों/टोलों में लोड के आधार पर ट्रांसफार्मर अपग्रेड करने की योजना है;	MUJY योजना के तहत कुल 678 स्थलों का विद्युतीकरण का कार्य के साथ–साथ नए विद्युत सबंध भी दिए जा रहे है। RDSS योजना के अन्तर्गत सिमडेगा जिला के जिला मुख्यालय, Block मुख्यालय एवं गाँवों/टोलों के जर्जर/खुले (Bare) L.T. तारों को L.T. Arial Bunch Cable से कुल 645CKM बदलने का प्रावधान है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है।
3. क्या यह बात सही है कि विद्युतीकरण का कार्य प्राक्कलन के अनुरूप नहीं हो रहा है, जिससे संबंधित शिकायतें आये दिन दैनिक अखबारों के माध्यम से एवं ग्रामीणों की तरफ से आते रही है;	योजना का कार्य प्राक्कलन के अनुसार किया जा रहा है। जिसकी जाँच विभागीय पदाधिकारी एवं PMA (Third party) द्वारा ससमय किया जाता है। किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर कार्यरत एजेंसी के द्वारा ससमय निराकरण किया जाता है।
4. क्या यह बात सही है कि विद्युतीकरण एजेंसी का कार्य बहुत ही धीमा चल रहा है;	अस्वीकारात्मक।
5. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऐसे ठेकेदारों एवं बिजली विभाग के संबंधित कर्मी एवं पदाधिकारियों का जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	योजना के कार्यों की गुणवत्ता की जाँच PMA (Third party) के द्वारा की जाती है। कार्यों में किसी प्रकार की गुणवत्ता में कमी या त्रुटि पाए जाने पर कार्यरत एजेंसी को सूचना दी जाती है, जिसे ससमय ठीक किया जाता है।

झारखण्ड सरकार
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक.....1691...../ दिनांक.....10/12...../2025

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–3412, दिनांक–06.12.2025 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/12/25

(मो. मुस्तकिम अंसारी)
सरकार के संयुक्त सचिव।

डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मा०सा०वि०स० द्वारा दिनांक–11.12.2025 को विधान सभा में पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– 10 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि कक्षा–8वीं से 12वीं की छात्राओं एवं 19 वर्ष तक की युवतियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ प्रदान किया जाता है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि जिला समाज कल्याण विभाग, पलामू को 20 करोड़ 95 लाख 68 हजार रुपये का आवंटन प्राप्त होने के बावजूद एक भी बच्ची को खण्ड–1 में वर्णित योजना का लाभ नहीं मिल पाया है ;	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कक्षा–8वीं से 12वीं की छात्राओं एवं 19 वर्ष तक की युवतियों को सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ अविलम्ब प्रदान करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वित्तीय वर्ष 2025–26 में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना अन्तर्गत अबतक कक्षा–8वीं से 12वीं तक की 28,322 छात्राओं का आवेदन स्वीकृत किया गया है, जिसके विरुद्ध 26,679 छात्राओं के बीच रु० 10,18,25,000/– का भुगतान करते हुए योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है। शेष 1643 आवेदनों में त्रुटि पाये जाने के कारण, त्रुटि निराकरण हेतु संबंधित परियोजना को वापस कर दिया गया है। त्रुटि निराकरण के पश्चात शेष 1643 किशोरियों को राशि का भुगतान कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 04/म0स0/विधान सभा–414/2025 – 3713 राँची, दिनांक : 09-12-2025

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–3314/वि०स०, दिनांक– 02.12.2025 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09.12.25

(प्रीति सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव।

श्री प्रदीप यादव, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–11.12.2025 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– अ0सू0–02 का उत्तर सामग्री। 2044 07/12/2025

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि राज्य के सभी जिला नियोजनालयों में झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी का जिला स्तरीय कार्यालय खोले जाने का निर्णय मिशन निदेशक का पत्रांक–881 दिनांक–16.05.2023 के द्वारा जारी किया गया है जो पूर्व में भी इस कार्य को करते आ रहे थे;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी का पत्रांक–881 दिनांक–16.05.2023 के माध्यम से झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी द्वारा जिला मुख्यालय में अवस्थित सभी नियोजनालयों में जिला स्तरीय कार्यालय खोले जाने हेतु निदेशित किया गया है।
2	क्या यह बात सही है, कि उक्त आदेश के बावजूद भी राज्य के कई जिलों में श्रम अधीक्षकों को नियम विरूद्ध जिला कौशल विकास पदाधिकारी नामित किया गया है;	**अस्वीकारात्मक।** उक्त पत्र के द्वारा कोई ऐसा नियम निर्धारित नहीं किया गया है कि जिला नियोजन पदाधिकारी को ही जिला कौशल पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा। पूर्व की भाँति उक्त पत्र निर्गत के पश्चात् वर्तमान में भी योजना–सह–वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में जिलों में श्रम अधीक्षक तथा जिला नियोजन पदाधिकारी को जिला कौशल पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाता रहा है।
3	क्या यह बात सही है, कि जिला नियोजन पदाधिकारी, नियोजन एवं प्रशिक्षण कार्यो में अधिक प्रशिक्षित तथा अनुभव के आधार पर प्रभावी भूमिका निभाता है;	**अस्वीकारात्मक।** श्रम अधीक्षक एवं जिला नियोजन पदाधिकारी की नियुक्ति झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा की जाती है तथा दोनों पदों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता समान है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के 4 लाख निबंधित बेरोजगारों को कौशल विकास का त्वरित प्रशिक्षण देकर नियोजित करने हेतु सभी जिलों में नियोजन सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को ही जिला कौशल विकास पदाधिकारी नामित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका 2 एवं 3 में वस्तु–स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

07/12/2025

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–65 / 2025श्र0नि0–2044 राँची, दिनांक– 07/12/2025

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–3153, दिनांक–25.11.2025 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

07/12/2025

सरकार के अवर सचिव।

श्री शत्रुघ्न महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–11.12.2025 को विधान सभा में पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– 23 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के छः जिलों में पोषण मरामर्शी के रूप में पोषण सखियां कार्यरत है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि पोषण सखियों का 3000/–(तीन हजार रूपए) प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है जिसे बढ़ाकर 10,000 (दस हजार रूपए) करने पर सरकार द्वारा सहमती बनी थी ;	एतद् संबंध में कोई सूचना विभाग को प्राप्त नहीं है। राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका–सह–पोषण परामर्शी (पोषण सखी) को पुनर्बहाल करते हुए रु०–3,000/– प्रतिमाह मानदेय भुगतान किया जा रहा है। (संकल्प संख्या–2103, दिनांक–3.8.2024)
3.	क्या यह बात सही है कि पोषण सखियों को राज्य के 24 जिलों में सेवा उपलब्ध कराने की मांग लगातार की जा रही है ;	ऐसा कोई अनुरोध पत्र/अभ्यावेदन विभाग को प्राप्त नहीं है।
4.	यदि उपर्युक्त खंडों को उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पोषण सखियों का मानदेय बढ़ाकर 10,000 (दस हजार रू0) प्रतिमाह करने तथा राज्य के सभी 24 जिलों में पोषण सखियों की नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	एतद् संबंधी कोई मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 04/म0स0/विधान सभा–415/2025 – 3717 राँची, दिनांक : 10-12-2025

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–3348/वि०स०, दिनांक– 03.12.2025 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.12.25

(प्रीति सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

श्री सरयू राय, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–11.12.2025 को विधान सभा में पूछे जाने वाले
अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– 26 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सलाह पर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा जिला में बच्चों की स्थिति जानने के लिए 7000 बच्चों का मैपिंग किया गया है, जिसमें अनेक ऐसे बच्चे चिन्हित हुए हैं, जो विकट एवं जोखिमपूर्ण परिस्थिति में जीवनयापन कर रहे हैं;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि इनमे से अधिकांश बच्चे शिक्षा से वंचित, बाल श्रम में संलग्न, नशा से ग्रस्त, उपेक्षित, असुरक्षित तथा बाल विवाह के जोखिम में पाये गये हैं ;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला को बाल मित्र जिला घोषित कर ऐसे बच्चों को शिक्षा एवं कौशल विकास की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु बाल संरक्षण के लिए स्थायी एवं प्रभावपूर्ण तंत्र स्थापित कर ऐसे बच्चों को उपर्युक्त जोखिम से निकाला जा सकता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। जिला प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निदेश के आलोक में अति संवेदनशील परिस्थिति में रहने वाले बच्चों को चिन्हित कर उनके परिवारों को सरकारी योजना का लाभ दिलाने हेतु कार्रवाई की गई है। जिले के तीन प्रखण्डों में यथा–बोडाम, पटमदा, घाटशिला में जिला प्रशासन, बाल कल्याण संघ एवं मिरैकल फाउण्डेशन द्वारा 1000 बच्चों एवं परिवारों को सरकार के विभिन्न योजनाओं से जोड़ने, समुदाय में जागरुकता एवं बाल संरक्षण से संबंधित पंचायतों एवं प्रखण्ड स्तरीय समितियों के साथ क्षमतावर्द्धन प्रशिक्षण का आयोजन लगातार किया जा रहा है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार पूर्वी सिंहभूम जिला को बाल मित्र जिला घोषित कर बच्चों को उपर्युक्त जोखिम से निकालने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पूर्वी सिंहभूम जिले को बाल मित्र जिला घोषित करने संबंधी मामला सम्प्रति सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 04/म0स0/विधान सभा–424/2025 – 3726 राँची, दिनांक : 10-12-2025

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–3402/वि०स०, दिनांक– 06.12.2025 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.12.25

(प्रीति सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

श्री मंगल कालिन्दी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 11.12.2025 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–16 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री मंगल कालिन्दी, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि दलमा पहाड़ों की तराई में आदिवासी एवं सबर जाति बाहुल्य कोंकादासा गाँव में देश की आजादी के 75 वर्षों बाद भी आज तक बिजली नहीं पहुँच पाई है;	आंशिक स्वीकारात्मक। कोंकादासा, ग्राम–बोटा (C.Code 363310) का टोला है। ग्राम–बोटा विद्युतीकृत है एवं कोंकादासा टोला अविद्युतीकृत है।
2. क्या यह बात सही है कि बिजली नहीं रहने के कारण रात्रि में सम्पूर्ण गाँव जंगली हाथियों एवं जंगली जानवरों के आतंक एवं अनहोनी से भयभीत रहते है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लोकहित में वर्णित गाँव में बिजली व्यवस्था मुहैया कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रखण्ड–बोड़ाम, ग्राम–बोटा (C.Code 363310) का टोला–कोंकादोसा को विद्युतीकृत करने का कार्य मुख्यमंत्री उज्जवल झारखण्ड योजना (MUJY) के अन्तर्गत स्वीकृत है। जिससे उक्त कार्य हेतु अदद 300 पोल गिराया गया है जिसमें 13 पोल को गाड़ दिया गया है चूँकि यह क्षेत्र दलमा पहाडी के तराई (Dalma Wildlife) के अन्तर्गत सघन वन क्षेत्र है जो वन विभाग के अन्तर्गत है। बिना वन विभाग की अनुमति से कार्य को निष्पादित कर पाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में उपवन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर को NOC हेतु पत्राचार किया गया है। जिसकी प्रति उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को भेजी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त Online के माध्यम से भी Parivesh Portal में NOC हेतु Dalma Wildlife sanctuary को दिनांक–29.07.2025 को अनुरोध किया गया है। वन विभाग से अनुमति नहीं मिलने के कारण विद्युतीकरण का कार्य वाधित है। अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त त्वरित गति से मुख्यमंत्री उज्जवल झारखण्ड योजना (MUJY) के अन्तर्गत विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक.....1678...../ दिनांक ..09/12/2025

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं.–3355, दिनांक–03.12.2025 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/12/25

(मो. मुस्तकीम अंसारी)
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री उदय शंकर सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–11.12.2025 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– अ०सू०–29 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि देवघर जिलान्तर्गत अजय मुख्य नहर का निर्माण कार्य वर्ष 2018 में पूर्ण किया जा चुका है, जबकि अजय मुख्य नहर 0.00 कि०मी० से 15.00 कि०मी० तक P.C.C. लाईनिंग कार्य जिसकी एकरारनामा की राशि 95.8145 करोड़ रूपये है, प्रशासनिक कारणों से प्रभावित है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि अगले चरण हेतु 15.00 कि०मी० से 110.08 कि०मी० P.C.C. लाईनिंग एवं संरचनाओं के जीर्णोद्धार कार्य हेतु DPR अभी तक तैयार नहीं किया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 एवं 2 में वर्णित कार्य पूर्ण हो जाने पर लगभग 40,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो पायेगी ;	स्वीकारात्मक। अजय बराज योजना से 36,460 हेक्टेयर खरीफ एवं 4050 हेक्टेयर रब्बी सिंचाई सुविधा देने का प्रावधान है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित लाईनिंग कार्य एवं खण्ड–2 में वर्णित DPR शीघ्र तैयार करते हुए लंबित कार्य शीघ्र पूर्ण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	1. अजय मुख्य नहर के कि०मी० 0.00 से 15.00 कि०मी० तक पी०सी०सी० लाईनिंग कार्य हेतु एकरारनामा दिनांक 14.03.2024 को किया गया एवं कार्य प्रारम्भ किया गया था। किंतु इस कार्य के संवेदक को विभागीय आदेश सं०– 7036 दिनांक 03.12.2024 द्वारा काली सूची में डाला गया था, जिसके कारण कार्य बंद है। माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड के आदेश के आलोक में विभागीय आदेश सं०– 5510 दिनांक 12.11.2025 द्वारा संवेदक को सशर्त्त काली सूची से हटाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के न्याय निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP दायर किया गया है, जिसके कारण कार्य अभी बन्द है। 2. अजय मुख्य नहर के 15.00 कि०मी० से आगे पी०सी०सी० लाईनिंग कार्य का डी०पी०आर० तैयार कराया जा रहा है। बजटीय उपबंध एवं निधि की उपलब्धता के आलोक में इन कार्यों के क्रियान्वयन चरणबद्ध ढंग से (Phase wise) कराने पर निर्णय लिया जायेगा।

...\Vidhan Sabha\Dec 25\Alpsuchit-29 Uday Shankar Sir ...docx

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–10–अ०सू०–11/2025 – 6062 /राँची, दिनांक 10/12/25

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– .... वि०स० दिनांक .... के प्रसंग में अतिरिक्त 20 (बीस) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/12/25

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

E:\Bou\Vidhan Sabha\Dec 25\Wapsuchi-79 Uday Shankar Singh.docx

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 11.12.2025 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या– अ०सू० 03 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री प्रदीप यादव,
स०वि०स०

उत्तरदाता
डॉ० इरफान अंसारी
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि प्रत्येक वर्ष की भाँति वित्तीय वर्ष–2025–26 में भी सरकार ने किसानों के धान की खरिददारी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर राज्य में कार्यरत लैम्पस एवं पैक्स के माध्यम से करने का फैसला लिया है;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि लैम्पस एवं पैक्स द्वारा भण्डारण क्षमता 50 मे० टन, 100 मे० टन एवं 200 मे० टन के लिए क्रमशः 12 लाख, 24 लाख एवं 48 लाख रूपये की बैंक गारंटी देने पर धान अधिप्राप्ति केन्द्र बनाने का फैसला किया है;	अस्वीकारात्मक।
(3) क्या यह बात सही है कि सरकार उक्त फैसले से इस राज्य के लैम्पस/पैक्स धारक अपने आप को असहाय एवं अक्षम महसूस कर रहे हैं एवं किसानों के धान की खरीदारी बूरी तरह प्रभावित होगी;	कंडिका–2 में अंकित उत्तर के आलोक में अस्वीकारात्मक।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लैम्पस/पैक्स के लिए निर्धारित भण्डारण क्षमता एवं बैंक गारण्टी राशि की शर्त्तों को संशोधित करना चहती है जिससे धान क्रय एवं अधिप्राप्ति योजना प्रभावित नहीं हो हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में अंकित उत्तर के आलोक में आवश्यक नहीं है।

01/12/25

(संजय कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–4/ज०वि०प्र०/वि०स०/50/2025 3161 /राँची, दिनांक 01/12/25

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या–3154/वि०स०, दिनांक 25.11.2025 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/12/25

सरकार के अवर सचिव।

O

श्री भूषण बाड़ा, स0वि0स0 द्वारा दिनांक-11.12.2025 को पूछा जानेवालाअल्प-सूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-09 की उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना राज्य के ST/SC/OBC/EBC/MBC-MINORITIES की स्वरोजगार के लिए "पायलट योजना" हैं;	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि, खंड-1 में वर्णित योजना का बजट आवांटित नहीं होने से राज्य के सभी जिलों में आवेदन हजारों की संख्या में लंबित पड़ी हुई है;	अस्वीकारात्मक वित्तीय वर्ष 2025-26 में **"मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना"** अन्तर्गत कुल ₹160.00 करोड़ (एक सौ साठ करोड़ रुपये मात्र) का आवंटन आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, राँची को दिया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि, खंड-1 में वर्णित वर्ग के बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार स्वावलम्बन कठिन होता जा रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड 1 में वर्णित अति महत्वाकांक्षी योजना का सुचारू रूप में संचालन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	वित्तीय वर्ष 2025-26 में **"मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना"** अन्तर्गत कुल ₹160.00 करोड़ (एक सौ साठ करोड़ रुपये मात्र) का आवंटन आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, राँची को दिया गया है। योजना का सुचारु रूप से कार्यान्वयन हेतु पात्र लाभुकों को स्वरोजगार के उद्देश्य से उक्त राशि अन्तर्गत ऋण-सह-सहायता अनुदान दिया जाता है।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापांक- 05/वि0स0(निगम)08/2025-क- 5117 राँची, दिनांक- 10/12/2025

प्रतिलिपि-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-3315 दिनांक-02.12.2025 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09.12.2025

(विनोद कुमार बाँके)
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री समीर कुमार मोहन्ती, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–11.12.2025 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– अ0सू0–07 का उत्तर सामग्री। 2058 09/12/2025

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि, पूरे राज्य में सरकार द्वारा संचालित योजना जैसे मजदूर तथा प्रवासी मजदूरों का निबंधन, निबंधित मजदूरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाना, मजदूरों के ई–श्रम से जोड़ना जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे है;	**स्वीकारात्मक।**
2	क्या यह बात सही है, कि, श्रमिक मित्रों को पारिश्रमिक के रूप में प्रोत्साहन राशि के नाम पर अति नगण्य रकम का भुगतान दिया जाता है;	**अस्वीकारात्मक।**
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार श्रमिक मित्रों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर से मानदेय देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय अधिसूचना सं0–02/श्र0मा0 का (BOCW Act) -04 /2011श्र0नि0–1817, दिनांक–09.10.2015 के अनुसारः– • श्रमिक मित्र स्वयं एक निर्माण श्रमिक एवं बोर्ड के निबंधित लाभुक है। श्रमिक मित्र न तो सरकारी सेवक है और न ही बोर्ड के नियमित कर्मी। • श्रमिक मित्रों को उनके कार्यो के आधार पर ही प्रति निबंधन 15 रूपये तथा प्रत्येक माह 50 से अधिक श्रमिकों का निबंधन करने पर 50 से ऊपर प्रत्येक लाभुक के लिए 5 रूपये अतिरिक्त अर्थात् कुल 20 रूपये प्रति श्रमिक निबंधन के दर से मानदेय का भुगतान किया जाता है। • जितने लाभुकों के नवीकरण का अंशदान श्रमिक मित्र के माध्यम से जमा किया जाता है, उसपर श्रमिक मित्र को प्रत्येक लाभुक के लिए 10 रूपये का मानदेय दिया जाता है। • मोबाईल Talktime कूपन हेतु श्रमिक मित्र को प्रतिमाह 100 रूपये प्रतिपूर्ति की जाती है।

09/12/2025

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02/श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–68/2025श्र0नि0– 2058 राँची, दिनांक– 09/12/2025–

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–3317, दिनांक–02.12.2025 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

09/12/2025

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 11.12.2025 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या– अ०सू० 22 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री शत्रुघ्न महतो,
स०वि०स०

उत्तरदाता
डॉ० इरफान अंसारी
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग. झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में कुल लगभग 25,000 जनवितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा मानदेय भुगतान एवं कमीशन बढ़ाने की माँग की जा रही है;	वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या–804, दिनांक 11.03.2024 द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को देय डीलर कमीशन की राशि को रूपये 100/– प्रति क्विंटल से बढ़ाकर रूपये 150/– प्रति क्विंटल किया गया है।
(2) क्या यह बात सही कि, मार्च 2023 एवं दिसम्बर 2024 से नवम्बर 2025 तक जनवितरण प्रणाली दुकानदारो का कमीशन बकाया है जिसके भुगतान की माँग भी की जा रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2022–23 तक डीलर कमीशन का भुगतान जिला स्तर से किया गया है, जिसमें कुछ जिलों में वित्तीय वर्ष 2022–23 के कुछ माहों का डीलर कमीशन बकाया है। माह अप्रैल, 2025 से जुलाई, 2025 तक के सभी जिलों के डीलर कमीशन का भुगतान किया जा चुका है/विपत्र कोषागार भेजा जा चुका है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची द्वारा अगस्त 2025 से अक्टूबर, 2025 तक के डीलर कमीशन के भुगतान हेतु 14 जिलों का विपत्र कोषागार भेजा जा चुका है, शेष 10 जिलों का विपत्र कोषागार में प्रेषित करने की कार्रवाई की जा रही है। माह दिसम्बर, 2024 से मार्च 2025 तक के डीलर कमीशन का भुगतान हेतु भारत सरकार से राशि उपलब्ध कराने की अधियाचना प्रेषित की गई है।
(3) क्या यह बात सही कि सरकार द्वारा दुकानदारो की माँग पर अविलंब भुगतान का आश्वासन दिया गया था जो पुरा नहीं किया गया।	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह अप्रैल, 2025 से जुलाई 2025 तक के सभी जिलों के डीलर कमीशन भुगतान किया जा चुका है/विपत्र कोषागार भेजा जा चुका है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची द्वारा अगस्त, 2025 से अक्टूबर, 2025 तक के डीलर कमीशन के भुगतान हेतु 14 जिलों का विपत्र कोषागार भेजा जा चुका है, शेष 10 जिलों का विपत्र कोषागार में प्रेषित करने की कार्रवाई की जा रही है।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनवितरण प्रणाली दुकानदारो के बकाया कमीशन का भुगतान करने एवं मानदेय निर्धारण या कमीशन बढ़ाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

ह0/–
(लालो प्रसाद कुशवाहा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–4/ज०वि०प्र०/वि०स०/57/2025 3252 /राँची, दिनांक 10/12/25

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या–3349/वि०स०, दिनांक 03.12.2025 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/12/2025
सरकार के अवर सचिव।

श्री जयराम कुमार महतो, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–11.12.2025 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–14 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता–श्री जयराम कुमार महतो, मा0स0वि0स0		उत्तरदाता–माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के अधिकतम किसान अपने परंपरागत खेती के अतिरिक्त कैश क्रॉप की खेती की ओर नहीं जा पा रहे है;	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य में कैश क्रॉप जैसी खेती की अपार संभावनाएँ हैं;	स्वीकारात्मक। उद्यान निदेशालय, झारखण्ड, राँची द्वारा संचालित राज्य योजना–"उद्यान विकास की योजना" के तहत राज्य में उद्यानिकी फसलों यथा फल, फूल, सब्जी, मशरूम इत्यादि के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाता है। कृषि निदेशालय द्वारा राज्य में 6657 हे0 में कैश क्रॉप के रूप में गन्ना की खेती की जाती है एवं इसके प्रचार–प्रसार के लिए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से गन्ना विकास की योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। National Mission on Edible Oils (NMEO) योजनान्तर्गत तेलहन की खेती भी की जाती है, जिसके अंतर्गत खरीफ मे मूंगफली, सोयाबीन, तील, सरगुजा एवं रबी में सरसों, अलसी की खेती की जा रही है।
3.	क्या यह बात सही है कि राज्य में कृषि संबंधित योजनाओं को किसानों तक पहुँचाने के लिए डिप्टी डायरेक्टर जैसे बड़े पदों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र तो मिला लेकिन नियुक्ति नहीं हुई;	अस्वीकारात्मक। कृषि निदेशालय में डिप्टी डायरेक्टर के 06 पद सृजित हैं, जिसके विरूद्ध पदाधिकारी पदस्थापित/प्रतिनियुक्त हैं।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार राज्य के किसानों को कैश क्रॉप की खेती के लिए मनरेगा के तहत मजदूर उपलब्ध करवाने तथा नियुक्ति पत्र मिले अभ्यर्थियों का जिला आवंटन पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	1. कृषि विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। 2. उप निदेशक का पद जिला स्तर पर नहीं है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–03/कृ0वि0स0(अ0सू0)–06/2025 2697 कृ0, राँची, दिनांक–10-12-2025

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–3310 दिनांक–02.12.2025 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बिभाष चन्द्र सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–03/कृ0वि0स0(अ0सू0)–06/2025 2697 कृ0, राँची, दिनांक– 10–12–2025

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, प्रशाखा–09, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.12.25

सरकार के उप सचिव।

श्री हेगलाल मुर्मू, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–11.12.2025 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– अ0सू0–06 का उत्तर सामग्री।

2059
09/12/2025

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि विभिन्न देशों एवं राज्यों में फंसे झारखण्ड के श्रमिकों को सरकार के द्वारा राज्य वापस लाया गया और इससे सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार वाहन करना पड़ा है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि सरकार के द्वारा झारखण्ड के श्रमिकों को रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा आदि की व्यवस्थाएँ करने के बाद भी काफी अधिक संख्या में राज्य के बाहर पलायन कर रहे है, जबकि ऐसे मजदूरों को राज्य से बाहर जाने पूर्व निबंधन की व्यवस्था है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है, कि श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन से उन्हें सरकार द्वारा आर्थिक लाभ दिया जाता है;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार, राज्य में श्रमिकों का पलायन रोकने से बाहर जाने वाले श्रमिकों का प्रखण्ड–वार, जिला–वार अभिलेख उपलब्ध कराने और उनकी सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी रखने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रवासी श्रमिकों के निबंधन से संबंधित जानकारी जिलावार/ प्रखंडवार Shramadhan पोर्टल के Dashboard पर संधारित है। विभागीय पोर्टल के अनुसार दिनांक–03.12.2025 तक कुल निबंधित प्रवासी श्रमिकों की संख्या 2,15,296 है। जिससे सभी जिलावार एवं प्रखंडवार अवलोकन किया जा सकता है। विभागीय अधिसूचना सं0–755 दि0–20.06.2022 के द्वारा प्रवासी श्रमिक के सामान्य एवं दुर्घटना मृत्यु होने पर पार्थिव शरीर को पैतृक आवास तक लाने हेतु रू0 50,000/– की राशि उपलब्ध कराई जाती है। दुर्धटना में मृत्यु होने पर निबंधित कामगार के आश्रित को रू0 1,50,000/– एवं अनिबंधित कामगार के आश्रित को रू0 1,00,000/– की अनुदान राशि दी जाती है। निबंधित कामगार के दुर्घटना में दो अंग/दो ऑखो की हानि पर रू0 2,00,000/– एवं एक अंग/ऑख की हानि पर रू0 1,00,000/– तथा अनिबंधित कामगार के दुर्घटना में दो अंग/दो ऑख की हानि पर रू0 1,50,000/– एवं एक अंग/ऑख की हानि पर रू0 75,000/– का अनुदान दिया जाता है। विभागीय अधिसूचना सं0–1911 दि0–30.10.2019 के द्वारा उत्प्रवासी श्रमिकों के विदेश में प्रवास के दौरान असामयिक मृत्यु होने पर आश्रित को एकमुश्त रू0 5,00,000/– का अनुदान दिया जाता है।

09/12/2025
(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02/श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–67/2025श्र0नि0– 2059 राँची, दिनांक– 09/12/2025

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं0–3318, दिनांक–02.12.2025 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

09/12/2025
सरकार के अवर सचिव।

O

श्री राजेश कच्छप मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–11.12.2025 को पूछे जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–अ०सू०–04 का उत्तर सामग्री–

क्रं० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के कल्याण विभाग द्वारा आदिम जनजातीय एवं आदिवासी छात्र–छात्राओं के लिए संचालित आवासीय विद्यालयों के प्रबंधन की पूरी व्यवस्था कई "स्वयं सेवी संस्थाओं" (NGO) को दे रखी है;	आंशिक स्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प संख्या–697, दिनांक–14.03.2024 द्वारा 20 आश्रम आवासीय विद्यालय, 13 आदिम जनजाति (PVTG) प्राथमिक आवासीय विद्यालय, 07 अनुसूचित जनजाति प्राथमिक आवासीय विद्यालय, 03 अनुसूचित जाति प्राथमिक आवासीय विद्यालय तथा 01 अनुसूचित जनजाति को–एड आवासीय विद्यालय का संचालन–संधारण गैर–सरकारी संस्थाओं/ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है। 07 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का संचालन–संधारण गैर–सरकारी संस्थाओं/ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि इसी कड़ी में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, तसरिया, सुन्दरपहाड़ी प्रखण्ड, जिला–गोड्डा का प्रबंधन स्वयं सेवी संस्था 'आसरा' (ASRA) के विरूद्ध गोड्डा जिला उपायुक्त द्वारा कराये गए जांच (14 मई 2025 को समर्पित) में कई गड़बड़ियाँ सामने आयी है;	आंशिक स्वीकारात्मक। उपायुक्त, गोड्डा द्वारा गठित जाँच समिति द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में कतिपय त्रुटियां प्रतिवेदित हैं।
3	क्या यह बात सही है कि विभाग इस रिपोर्ट पर NGO के विरूद्ध कार्रवाई न कर उल्टे शिकायतकर्ता को दंडित करने का प्रयास किया है;	अस्वीकारात्मक। उपायुक्त, गोड्डा द्वारा गठित जाँच समिति द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में कतिपय त्रुटियां दृष्टीगोचर हो रहीं है। जांच प्रतिवेदन के आलोक में आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय के द्वारा संबंधित गैर सरकारी संस्था से स्पष्टीकरण की मांग की गई है एवं प्राप्त स्पष्टीकरण के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में 07 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का संचालन–संधारण गैर–सरकारी संस्थाओं/ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है। राष्ट्रीय आदिवासी शिक्षा समिति के निदेशानुसार आगामी शैक्षणिक सत्र से उक्त विद्यालयों का संचालन गैर–सरकारी संस्थाओं के माध्यम से समाप्त किया जाना है। शैक्षणिक सत्र 2026–27 के उक्त एकल्वय मॉडल आवासीय विद्यालय का संचालन राष्ट्रीय आदिवासी शिक्षा समिति (NESTS) के माध्यम से किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जांच के सापेक्ष में राज्य के अन्य विद्यालयों में विस्तृत जांच कराकर समुचित ठोस कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	सभी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारियों द्वारा समय–समय पर विद्यालय का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय को समर्पित किया जाता है।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापांक–07/EMRS–वि०स०प्र०–10/2025 - 4119 राँची, दिनांक–10.12.2025

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–3155 दिनांक–25.11.2025 के क्रम में 200 प्रतियों के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

09.12.2025

(विनोद कुमार बाँके)
सरकार के संयुक्त सचिव

श्री राज सिन्हा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 11.12.2025 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–27 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री राज सिन्हा, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के विद्युत नियामक आयोग में 60 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है, जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं (ग्रामीण/शहरी) की प्रति यूनिट बिजली दरों के साथ फिक्सड चार्ज में बढ़ोतरी की जा रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। (क) विद्युत नियामक आयोग के समक्ष निगम द्वारा वर्ष 2026–27 के लिए टैरिफ का निर्धारण हेतु प्रस्ताव समर्पित कर दिया है। आयोग द्वारा समर्पित करने की अंतिम दिनांक 30 नवम्बर निर्धारित की गई है। संदर्भित कंडिका निम्नलिखित है:–

S. No.	Description	Filing of the Petition along with all necessary document by	Furnishing additional information/ document as sought by the Commission	Disposal of the Petition
1	Business Plan for the Control Period and MYT Petition for the Control Period for FY 2026-27 to FY 2030-31 with Retail and Wheeling Tariffs for first year of the Control Period	November 30, 2025	Within fifteen (15) days of issue of the letter seeking information by the Commission	Within one hundred and twenty (120) days of acceptance of the filing
2	True-Up for the previous year, Annual Performance Review for the current year and ARR & Tariff Determination for the next year of the Control Period	November 30 of the financial year for which APR has been sought	Within fifteen (15) days of issue of the letter seeking information by the Commission	Within one hundred and twenty (120) days of acceptance of the filing

(ख) वर्ष 2026–27 के लिए टैरिफ का निर्धारण हेतु निगम द्वारा लगभग 59 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव दिया है, क्योंकि निगम का Trued-Up Revenue Gap वर्ष 2023–24 तक रु0 4991.67 करोड़ था, जिसकी विवरणी निम्नलिखित है:–

(1) वर्ष 2023–24 तक निगम का Revenue Gap = रु0 4257.98 करोड़

(2) Reversal of Penalty as per Hon'ble JSERC order dated 07-10-2025= रु0 733.69 करोड

कुल (4257.98+733.69)= रु0 4991.67 करोड़

(3) वर्ष 2024–25 के लिए निगम का Revenue gap रु0 2963.35 करोड है तथा **वर्ष 2024–25 तक Revenue Gap, carrying cost लेकर रु0 8718.88 करोड़ होता है।**

(4) निगम द्वारा वर्ष 2026–27 के लिए अनुमानित खर्च (Annual Revenue Requirement) रु0 12678.17 करोड़ किया गया है, जिसमें Revenue gap का 1/3 तक भाग–रु0 2906.29 करोड़ है तथा

कुल (12678.17+2906.29)= रु0 15584.46 करोड की आवश्यकता है। (माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 2025 INSC 937, दिनांक 6 अगस्त 2025 के अनुसार, राजस्व अंतर (Revenue Gap) को 3 वर्षों के भीतर समाप्त (Liquidate) किया जाना है।)

(5) वर्त्तमान में आयोग द्वारा निर्धारित विद्युत दर के अनुसार निगम की राजस्व की वसूली केवल–रु० 9794.76 करोड होगी। इसलिए वर्ष 2026–27 में 15584.46 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली हेतु 59 प्रतिशत बढ़ोत्तरी करनी पड़ी।

2. क्या यह बात सही है कि राज्यन्तर्गत 200 से 300 यूनिट प्रतिमाह खपत करने वाले ग्रामीण एवं शहरी उपभोक्ताओं के तुलना में बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान एवं दिल्ली जैसे राज्यों की तुलना में झारखण्ड में ग्रामीण एवं शहरी विद्युत उपभोक्ताओं से अधिक दर पर बिजली शुल्क ली जा रही है तथा पिछले पाँच वित्तीय वर्ष (जिसमें वित्तीय वर्ष 2025–26) में तीन बार उपभोक्ताओं के बिजली बिल में बढ़ोतरी की गयी है;

आंशिक स्वीकारात्मक।

(क)

States	Above 200 units (for Domestic Consumers)	
	EC (Rs/unit)	Fixed Cost (Rs/kW/month)
Bihar	9.03	Rs 80/kw/Month
Uttar Pradesh	6.85	Rs 90/ kw /month
Himachal Pradesh	5.90	Rs 85/connection/month
Chhattisgarh	5.6	Rs 20/kW/month (upto 5kW) Rs 30 /kW/ month (5kW to 10kW)
Rajasthan	7	Rs 300/ connection/month
Delhi (Tariff has not been revised since FY 21-22)	4.5	Rs 20/kW/month (upto 2 kW) Rs 50/kW/month (2kW to 5kW)
Jharkhand (Domestic Rural)	6.70	Rs 75/connection/month
Jharkhand (Domestic Urban)	6.85	Rs 100/connection/month

विभिन्न राज्यों में घरेलू श्रेणी के अंतर्गत खपत के लिए अलग–अलग स्लैब निर्धारित हैं। ऊपर दी गई तालिका में तुलना के उद्देश्य से 200 यूनिट से अधिक की खपत पर लागू टैरिफ दरों को दर्शाया गया है। वर्तमान दरों के अनुसार, राजस्थान और बिहार में ऊर्जा शुल्क झारखंड की तुलना में अधिक है। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा शुल्क झारखंड के समान हैं।

फिक्स्ड चार्जेस के लिए, अधिकांश राज्य (बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, प्रति kW के आधार पर फिक्स्ड चार्ज निर्धारित करते हैं, जबकि झारखंड में प्रति कनेक्शन के आधार पर फिक्स्ड चार्ज लिया जाता है।

(ख) हाँ।

FY	Tariff Increment	Order Reference
FY 25-26	6.34%	Tariff Order dated 30/04/2025
FY 24-25	0%	Tariff Order dated 30/09/2024
FY 23-24	7.66%	Tariff Order dated 28/02/2024
FY 22-23	0%	Tariff Order dated 28/02/2024
FY 21-22	6.50%	Tariff Order dated 31/05/2023

पिछले 05 वर्षों में तीन बार झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा टैरिफ बढ़ाया गया है। ज्ञात हो कि प्रति वर्ष नियामक आयोग द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में निगम, स्टेकहोल्डर्स एवं राज्य परामर्शी समिति के पक्षों पर सम्यक विचारोपरांत टैरिफ वृद्धि पर नियामक आयोग द्वारा विचार विमर्श किया जाता है। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2022–23 में नियामक आयोग द्वारा कोई वृद्धि नहीं की गई है।

3. क्या यह बात सही है कि शून्य बैलेंस सिस्टम लागू होने के बाद प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन शून्य बैलेंस होने पर स्वतः काटने और चालू होने की व्यवस्था की गयी है, परंतु उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिल भुगतान/रिचार्ज के बाद स्वतः बिजली चालू नहीं हो पाती है;

अस्वीकारात्मक।

प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं का बकाया Prepaid Wallet Balance Negative होने पर उनका कनेक्शन दुरस्त माध्यम से स्वतः कट जाता है। उपभोक्ता द्वारा अपने बकाया का पूरा भुगतान/ रीचार्ज करने के पश्चात उनका विद्युत कनेक्शन स्वतः चालू भी हो जाता है।

यदि कुछ तकनीकी त्रुटि के कारण, रीचार्ज के पश्चात भी बिजली चालू नहीं हो पाती है तो उपभोक्ता संबंधित कार्यालय को तकनीकी त्रुटि की जाँच एवं सुधार हेतु आवेदन दे सकते हैं।

4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक हैं तो क्या सरकार खण्ड (01) में वर्णित प्रस्ताव को पूर्व के बिजली दरों में यथावत रखने, खण्ड (02) में वर्णित राज्यों की तरह बिजली बिल प्रति यूनिट खपत के समतुल्य करने तथा खण्ड (03) में वर्णित व्यवस्था में सुधार करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

टैरिफ का निर्धारण माननीय झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा किया जाता है जो भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 के तहत बिजली टैरिफ निर्धारित करने के लिए अधिकृत है।

टैरिफ तय करते समय, राज्य आयोग विभिन्न मद में हुई व्यय, विद्युत क्रय लागत, राजस्व अंतर तथा अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखकर झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, राँची के लिए लागत–परिलक्षित (Cost Reflective) टैरिफ निर्धारित करती है।

झारखण्ड सरकार
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक....1690..../ दिनांक..10../12..../2025

प्रतिलिपिः—अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–3403, दिनांक–06.12.2025 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/12/25

(मो. मुस्तकिम अंसारी)
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\WIP\Vihan Sabha (Question & Answer)\Shitkalina 2025\Answer.docx 3

2025 INSC 937

REPORTABLE

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
ORIGINAL/CIVIL APPELLATE JURISDICTION

WRIT PETITION (C) 104 OF 2014

BSES RAJDHANI POWER LTD. & ANR. **...PETITIONER(S)**

VERSUS

UNION OF INDIA AND ORS. **...RESPONDENT(S)**

WITH

WRIT PETITION (C) 105 OF 2014

WITH

CIVIL APPEAL No. 4010 OF 2014

WITH

CIVIL APPEAL No. 4013 OF 2014

WITH

WRIT PETITION (C) 1005 OF 2021

J U D G M E N T

Table of Contents

1. Introduction..4
2. Concept of a Regulatory Asset. 7
3. Facts...9
4. Submissions of Parties. 11
5. Impleadment of the State Commissions and Governments...................20

12. *Directions.*

71. For the reasons state above, we issue the following directions:

(i) As a first principle, tariff shall be cost-reflective;

(ii) The revenue gap between the approved ARR and the estimated annual revenue from approved tariff may be in exceptional circumstances;

(iii) The regulatory asset should not exceed a reasonable percentage, which percentage can be arrived on the basis of Rule 23 of the Electricity Rules that prescribes 3% of the ARR as the guiding principle;

(iv) If a regulatory asset is created, it must be liquidated within a period of 3 years, taking Rule 23 as the guiding principle;

(v) The existing regulatory asset must be liquidated in a maximum of 4 years starting from 01.04.2024, taking Rule 23 as the guiding principle;

(vi) Regulatory Commissions must provide the trajectory and roadmap for liquidation of the existing regulatory asset, which will include a provision for dealing with carrying costs. Regulatory Commissions must also undertake strict and intensive audit of the circumstances in which the

TARIFF SCHEDULE FOR FY 2021-22

S. No.	CATEGORY	FIXED CHARGES	ENERGY CHARGES				
1	DOMESTIC						
1.1	INDIVIDUAL CONNECTIONS		0-200 Units	201-400 Units	401-800 Units	801-1200 Units	>1200 Units
A	Upto 2 kW	20 Rs./kW/month	3.00 Rs./kWh	4.50 Rs./kWh	6.50 Rs./kWh	7.00 Rs./kWh	8.00 Rs./kWh
B.	>2kW and ≤ 5 kW	50 Rs./kW/month					
C	>5kW and ≤ 15 kW	100 Rs./kW/month					
D	>15kW and ≤ 25 kW	200 Rs./kW/month					
E	>25kW	250 Rs./kW/month					
1.2	Single Point Delivery Supply for GHS	150 Rs./kW/month	4.50 Rs./kWh				
2	NON-DOMESTIC						
2.1	Upto 3kVA	250 Rs./kVA/month	6.00 Rs./kVAh				
2.2	Above 3kVA	250 Rs./kVA/month	8.50 Rs./kVAh				
3	INDUSTRIAL	250 Rs./kVA/month	7.75 Rs./kVAh				
4	AGRICULTURE	125 Rs./kW/month	1.50 Rs./kWh				
5	MUSHROOM CULTIVATION	200 Rs./kW/month	3.50 Rs./kWh				
6	PUBLIC UTILITIES	250 Rs./kVA/month	6.25 Rs./kVAh				
7	DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD. (DIAL)	250 Rs./kVA/month	7.75 Rs./kVAh				
8	ADVERTISEMENT & HOARDINGS	250 Rs./kVA/month	8.50 Rs./kVAh				
9	TEMPORARY SUPPLY						
9.1	Domestic Connections including Group Housing Societies	Same rate as that of relevant category	Same as that of relevant category without any temporary surcharge				
9.2	For threshers during the threshing season	Electricity Tax of MCD : Rs. 270 per connection per month	Flat rate of Rs. 5,400 per month				
9.3	All other connections including construction projects	Same rate as that of the relevant category	1.30 times of the relevant category of tariff				
10	CHARGING STATIONS FOR E-RICKSHAW/E-VEHICLE ON SINGLE POINT DELIVERY/ SWAPPING OF BATTERIES						
10.1	Supply at LT	-	4.50 Rs./kWh				
10.2	Supply at HT	-	4.00 Rs./kVAh				

Notes:

Rajasthan

15/0

4.1.26 The proposal of revision in tariff reduces the total revenue but increases the share of fixed charges in the total revenue. The Commission also notes that Discoms are almost in surplus position at current tariff and there is a proposal of Regulatory Surcharge to bridge the existing unfunded gap which will further help to reduce overall cost during coming years.

4.1.27 Based on the above discussions, the existing and approved tariff structure is as under:

DOMESTIC CATEGORY (LT-1 and HT-1)

Existing Tariff			Approved Tariff		
Particulars	Energy Charges	Fixed Charges	Particulars	Energy Charges	Fixed Charges
BPL, Astha Card Holders and Small Domestic			BPL, Astha Card Holders and Small Domestic		
Consumption up to first 50 units per Month	Rs. 4.75 per unit	Rs. 150 per connection per month	Consumption up to first 50 units per Month	Rs. 4.75 per unit	Rs. 150 per connection per month
General Domestic – 1 (Consumption up to 150 units per month)			General Domestic – 1 (Consumption up to 150 units per month)		
Consumption up to first 50 units per month	Rs. 4.75 per unit	Rs. 250 per connection per month	Consumption up to first 50 units per month	Rs. 4.75 per unit	Rs. 150 per connection per month
Consumption above 50 units and up to 150 units per month	Rs. 6.50 per unit		Consumption above 50 units and up to 150 units per month	Rs. 6.00 per unit	
General Domestic – 2 (Consumption up to 300 units per month)			General Domestic – 2 (Consumption up to 300 units per month)		
Consumption up to first 50 units per month	Rs. 4.75 per unit	Rs. 300 per connection per month	Consumption up to first 50 units per month	Rs. 4.75 per unit	Rs. 300 per connection per month
Consumption above 50 units and up to 150 units per month	Rs. 6.50 per unit		Consumption above 50 units and up to 150 units per month	Rs. 6.00 per unit	
Consumption above 150 units and up to 300 units per month	Rs. 7.35 per unit		Consumption above 150 units and up to 300 units per month	Rs. 7.00 per unit	
General Domestic – 3 (Consumption up to 500 units per month)			General Domestic – 3 (Consumption up to 500 units per month)		
Consumption up to first 50 units per month	Rs. 4.75 per unit	Rs. 400 per connection per month	Consumption up to first 50 units per month	Rs. 4.75 per unit	Rs. 500 per connection per month
Consumption above 50 units and up to 150 units per month	Rs. 6.50 per unit		Consumption above 50 units and up to 150 units per month	Rs. 6.00 per unit	
Consumption above 150 units and up to 300 units per month	Rs. 7.35 per unit		Consumption above 150 units and up to 500 units per month	Rs. 7.00 per unit	
Consumption above 300 units and up to 500 units per month	Rs. 7.65 per unit				
General Domestic – 4 (Consumption above 500 units per month)			General Domestic – 4 (Consumption above 500 units per month)		
Consumption up to first 50 units per month	Rs. 4.75 per unit	Rs. 450 per connection per month	Consumption up to first 50 units per month	Rs. 4.75 per unit	Rs. 800 per connection per month

Chattisgarh.

14

1 TARIFF SCHEDULE FOR FY 2025-26

This Tariff Schedule shall be applicable from July 1, 2025.

1.1 Tariff Schedule for Low Voltage (LV) Consumers

This tariff schedule is applicable to all LV consumers as follows:

a) Single-phase, 230 Volts up to a maximum Sanctioned Load of 5 kW (excluding agriculture and industrial consumers), and

b) Three-phase, 400 Volts for maximum demand/Sanctioned Load up to 150 kW in case of demand-based tariff or for maximum Sanctioned Load of 200 HP in case of other tariff, as applicable.

1.1.1 LV-1: Domestic

Applicability

This tariff is applicable to domestic light and fan and power used for all domestic appliances, in residential premises, orphanages, homes for old/physically challenged people and homes for destitute, dharamshalas and working women's hostels run by charitable Trust, Government student hostels, ashrams, offices of National Cadet Core (NCC), Public Libraries and reading rooms, educational institutions and hospitals (including X-rays, etc.) run by charitable trusts , homes for differently abled and mentally retarded, de-addiction and rehabilitation centres, Government hospitals/dispensaries, (excluding private clinics and nursing homes), facilities like prayer hall, gymnasium and club house within the housing society, Government Schools, farm houses for own use, mosques, temples, churches, gurudwaras, religious and spiritual institutions, water works and street lights in private colonies and cooperative societies, common facilities such as lighting in staircase, lifts, fire-fighting in multi-storied housing complex, gaushala, light and fan in gauthan and khalihan, kothar, byra where agriculture produce is kept, post office at residence of a villager, residential premises of professionals such as advocates, doctors, artists, consultants, weavers, bidi makers, beauticians, stitching and embroidery workers including their chambers, public toilets, fractional HP motors used for Shailchak by Kumhars in their residences, zero waste centre compost unit.

This tariff shall also be applicable to Stay Homes recognised by the Government in Bastar avem Dakshin Kshetra Adivasi Vikas Pradhikaran, and Sarguja avem Uttar Kshetra Adivasi Vikas Pradhikaran Notified Vide Order dated August 22, 2005.

Tariff:

Category of Consumers	Units Slab	Fixed Charge (Rupees per kW)	Energy Charge (Rs. per kWh)
LV-1: Domestic			
	0 -100 units	Rs. 20/- per kW/month for Sanctioned Load up to 5 kW;	4.10
	101-200 units		4.20

Category of Consumers	Units Slab	Fixed Charge (Rupees per kW)	Energy Charge (Rs. per kWh)
Domestic including BPL Consumers	201 - 400 units	Rs. 30/- per kW/month for Sanctioned Load above 5 kW and up to 10 kW;	5.60
	401 – 600 units		6.60
	601 and above units	Rs. 40/- per kW per month for Sanctioned Load above 10 kW	8.30

Notes:

i. Energy Charges are telescopic. For example, if consumption in any month is 150 units, then for first 100 units, rate of slab 0-100 shall be applicable and for remaining 50 units, rate of slab 101-200 shall be applicable;

ii. Fixed Charges is a monthly minimum charge, whether any energy is consumed during the month or not;

iii. Fixed Charges are telescopic. For example, if Sanctioned Load is 7 kW, then the rate of Rs. 20/- per kW/month shall be applicable for the first 5 kW and the rate of Rs. 30/- per kW/month shall be applicable for the balance 2 kW;

iv. If the Recorded Demand exceeds the Sanctioned Load for any three consecutive months, then the Sanctioned Load shall automatically be restated to the highest demand recorded in these three months. In such cases of upward restatement of Sanctioned Load, the load enhancement charges shall be applicable; however, the Security Deposit shall not be required to be increased correspondingly.

v. If the Recorded Demand is lower than the Sanctioned Load for any three consecutive months, then the Sanctioned Load can be restated to the highest demand recorded in these three months at the option of the consumer.

vi. Domestic consumers shall be entitled for subsidy as per State Government Order, and their consumption shall be billed as per tariff LV-1.

vii. If a portion of the dwelling is used for the conduct of any business other than those stipulated above, the billing should be done as per clause 11.12 (a) of the Supply Code.

1.1.2 LV-2: Non-Domestic

Applicability

This tariff is applicable to light and fan and power to shops, showrooms, business houses, offices, educational institutions (except those included in LV-1 and LV-5), public buildings, Warehouses, town halls, clubs, gymnasium and health clubs, meeting halls, places of public entertainment, circus, hotels, cinemas, railway stations, private clinics and nursing homes including X-rays plant, diagnostic centres, pathological labs, juice centres, billboards/hoardings and advertisement services, typing institutes, internet cafes, STD/ISD PCO's, Mobile Towers, coaching centres, FAX/photocopy shops, tailoring shops, photographers and colour labs, laundries, cycle shops, compressors for filling air, nickel plating on small scale, restaurants, eating establishments, Government circuit houses/rest houses, guest houses, marriage gardens,

p) MES and other military establishment

Note:

(i) Where a portion of the dwelling is used regularly for the conduct of a business, the consumption in that portion shall be separately metered and billed under the appropriate Category, whichever is applicable. If separate circuits are not provided, the entire supply will be classified under the relevant Category.

(ii) Resale and supply to tenants, other flats, etc. is strictly prohibited.

(iii) For Residential Societies, which wish to take a single point supply, this would be permitted, and the Energy Charges shall be applicable as approved by the Commission for Domestic Tariff.

2 Character of Service: *Applicable as per the relevant provisions of Himachal Pradesh Electricity Supply Code, 2009, as amended from time to time.*

3 Single Part Tariff

A) Domestic Supply Consumers

a) Fixed Charges (Charges-1)

Description	Fixed Charge (Rs/Month)
Lifeline Consumers and Consumers in Tribal & Difficult Areas	55.00
Other Consumers	85.00

a) Energy Charges

Description	Slabs (kWh per month)	Energy Charge (Rs/kWh)
Lifeline Consumers	0-60	4.72
Other Consumers		
	0-125	5.45
	126 and Above	5.90

Note:

1. *In the case of **Lifeline Consumers,** the concessional Tariff will be available for use of electricity by these families up to a maximum of 60 units per month. In case this limit is exceeded, the normal Domestic Tariff will apply.*

2. *Heritage hotels, Incredible India Bed-and-Breakfast, Homestay units in rural areas are to be charged under Domestic Category with Energy Charges for such Consumers to be levied at the domestic tariff for energy consumption between 0 to 125 units. Further, for energy consumption above 125 units, the energy charges shall be 8% higher than the net Energy Charges payable (net off subsidy, if any).*

required for lifts, water pumps and common lighting.

b. Military Engineer Service (MES) for Defence Establishments (Mixed load without any load restriction).

ii. Less than 50 kW

Except for the case as specified in Regulation 2.3 (e) of UP Electricity Supply Code, 2005 as amended from time to time, if any portion of the load is utilized for conduct of business for non-domestic purposes, then the entire energy consumed shall be charged under the rate schedule of the category under which the use of non-domestic purpose falls.

2. CHARACTER AND POINT OF SUPPLY:

As per the applicable provisions of UP Electricity Supply Code, 2005 and its amendments.

3. RATE:

Rate is the fixed and energy charges at which the consumer shall be billed during the billing period applicable to the category.

(a) Consumers getting supply as per 'Rural Schedule'

i. Lifeline consumers: Consumers with contracted load of 1 kW, energy consumption up to 100 kWh / month.

S. No.	Description	Tariff Excluding Subsidy		Subsidy (as per GoUP Letter No. 1307/2020 (E-1382876) Dated 05.08.2025)		Tariff Payable by Consumer	
		Fixed Charge	Energy Charge	Fixed Charge	Energy Charge	Fixed Charge	Energy Charge
		A	B	A1	B1	A - A1	B - B1
	Load of 1 kW and for consumption up to 100 kWh / month	Rs. 50.00 / kW / month	Rs. 6.50 / kWh		Rs. 3.50 / kWh	Rs. 50.00 / kW / month	Rs. 3.00 / kWh

The consumer bill will be prepared on the basis of Tariff Payable and GoUP Subsidy.

If the consumption in a financial year, of a lifeline consumer on the basis of correct meter reading throughout the financial year (not including any kind of assessment bill), crosses 1200 units, then the consumer shall be converted to 'others'.

consumer under Rural Schedule – 3(a)(2) in the next financial year.

2. Others: Other than Lifeline consumers (i.e. consumers who do not qualify under the criteria laid above for lifeline consumers)

Description	Consumption Range	Tariff Excluding Subsidy and Cross Subsidy adjustment*		Subsidy (as per GoUP Letter No. 1307/2020 (E-1382876) Dated 05.08.2025)		Cross Subsidy adjustment	Tariff Payable by Consumer	
		Fixed Charge	Energy Charge	Fixed Charge	Energy Charge	Energy Charge	Fixed Charge	Energy Charge
Metered	Up to 100 kWh / month	Rs. 90.00/ kW / month	Rs. 6.65 / kWh		Rs. 3.30 / kWh		Rs. 90.00/ kW / month	Rs. 3.35 / kWh
	101 - 150 kWh / month		Rs. 6.85 / kWh		Rs. 3.00 / kWh			Rs. 3.85 / kWh
	151 - 300 kWh / month		Rs. 6.85 / kWh			Rs. 1.85 / kWh		Rs. 5.00 / kWh
	Above 300 kWh / month		Rs. 6.85 / kWh			Rs. 1.35 / kWh		Rs. 5.50 / kWh

The rate provided under cross subsidy adjustment is only adjusting value and shall not be shown in the bills of the consumers. The consumer bill will be prepared on the basis of tariff payable and GoUP Subsidy.

(b) Supply at Single Point for bulk loads:

Description	Fixed Charge	Energy Charge
For Townships, Registered Societies, Residential Colonies, multi-storied residential complexes (including lifts, water pumps and common lighting within the premises) with loads 50 kW and above with the restriction that at least 70% of the total contracted load is meant exclusively for the domestic light, fan, and power purposes and for Military Engineer Service (MES) for defence establishments (Mixed load without any load restriction).	Rs. 110.00/ kW / Month	Rs. 7.00 / kWh

The body seeking the supply at single point for bulk loads under this category shall be considered as a deemed franchisee of the Licensee.

The deemed franchisee shall have to prepare the reports provided as under:

BIHAR ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
Existing, Proposed and Approved retail tariff (Without Govt Subsidy) for NBPDCL and SBPDCL for FY 2025-26
SCHEDULE OF TARIFF RATES

Sl No.	Category/Subcategory of Consumers	Approved Tariff for NBPDCL and SBPDCL for FY 2024-25 (Existing)			Proposed by Discom for FY 2025-26			Approved Tariff for NBPDCL and SBPDCL area for FY 2025-26		
		Fixed charge	Energy Charge		Fixed charge	Energy Charge		Fixed charge	Energy Charge	
			Energy Rate	Unit slabs		Energy Rate	Unit slabs		Energy Rate	Unit slabs
A	LOW TENSION SUPPLY									
1	Domestic									
1.1	Kutir Jyoti	Rs.20/Month/ Connection	Rs.7.42/kWh As per DS I or DS-II	0-50 units Above 50 units	Rs.20/Month/ Connection	Rs.7.42/kWh As per DS I or DS-II	0-50 units Above 50 units	Rs.20/Month/ Connection	Rs.7.42/kWh As per DS I or DS-II	0-50 units Above 50 units
1.2	DS-I Rural	Rs. 40/kW or part/month	Rs.7.42/ kWh Rs.7.96/ kWh	0-50 units Above 50 units	Rs. 40/kW or part/month	Rs.7.42/ kWh	For entire consumption	Rs. 40/kW or part/month	Rs.7.42/ kWh	For entire consumption
1.3	DS-II (Demand based)	Rs.80/kW or part/month	Rs.7.42/ kWh Rs.8.95/ kWh	1-100 Above 100	Rs.80/kW or part/month	Rs.7.42/ kWh Rs.8.95/ kWh	1-100 Above 100	Rs.80/kW or part/month	Rs.7.42/ kWh Rs.8.95/ kWh	1-100 Above 100
1.4	DS-III (Demand based) (optional)	Rs.80/kW or part/month	Rs.9.03/ kWh	All Units	Rs.80/kW or part/month	Rs.9.03/ kWh	All Units	Rs.80/kW or part/month	Rs.9.03/ kWh	All Units
2	Non-Domestic									
2.1	NDS-I Rural (Metered)									
2.1.1	NDS-I Rural (Metered)	Rs. 60/kW or part/month	Rs.7.79/kWh Rs.8.21/kWh	1-100 Above 100	Rs..60/kW or part/month	Rs.7.79/kWh Rs.8.21/kWh	1-100 Above 100	Rs. 60/kVA or part/ month	Rs.7.79/kVAh Rs.8.21/kVAh	1-100 Above 100
2.2	NDS-II (Demand based)									
2.2.1	NDS-II Contract load upto 0.5 kW	Rs. 200/ month/ connection	Rs.7.73/ kWh	All Units	Rs. 200/month/ connection	Rs.7.73/ kWh	All Units	Rs. 200/month/ connection	Rs.7.73/ kWh	All Units
2.2.2	NDS-II Contract demand above 0.5 kW and upto 70kW	Rs. 300/kW or part/month	Rs.7.73/kWh Rs.8.93/kWh	1-100 Above 100	Rs. 300/kW or part/ month	Rs.7.73/kWh Rs.8.93/kWh	1-100 Above 100	Rs. 300/kVA or part/month	Rs.7.73/kVAh Rs.8.93/kVAh	1-100 Above 100
3	Irrigation and Agriculture Services (Connected load based)									
3.1	IAS-I (Unmetered)	Rs.1350/HP or part/month	–		Rs.1350/HP or part/month	–		Rs.1350/HP or part/month	–	
3.2	IAS-I (Metered)	Rs. 100/HP or part/month	Rs.6.74/ kWh	All Units	Rs. 100/HP or part/month	Rs.6.74/ kWh	All Units	Rs. 100/HP or part/month	Rs.6.74/ kWh	All Units
3.3	IAS-II (Metered) (Demand based)	Rs. 500/kVA or part/month	Rs.7.17/kVAh	All Units	Rs. 500/kVA or part/month	Rs.7.17/kVAh	All Units	Rs. 500/kVA or part/month	Rs.7.17/kVAh	All Units
4	Low Tension Industrial (Demand based kVAh)									
4.1	LTIS-I	Rs.288/kVA or part/month	Rs.7.79/kVAh	All Units	Rs.288/kVA or part/month	Rs.7.79/kVAh	All Units	Rs.288/kVA or part/month	Rs.7.79/kVAh	All Units
4.2	LTIS-II	Rs 360/kVA or part/month	Rs.7.79/kVAh	All Units	Rs 360/kVA or part/month	Rs.7.79/kVAh	All Units	Rs 360/kVA or part/month	Rs.7.79/kVAh	All Units
5	Public Water Works									

Table 3 Revised Revenue Gap/Surplus for FY 2023-24 (in Rs. Cr.)

Particulars	FY 2023-24
Opening Gap / (Surplus)	3315.47
Revenue Gap / (Surplus) created during the Year	942.51
Reversal of Penalty	733.69
Total Revenue Gap/(Surplus)	**4991.67**

CONCLUSION

19. In view of the aforesaid discussion and in compliance with Hon'ble APTEL order, 2% penalty earlier imposed on ARR for True-up of FY 2015-16 (in Case (Tariff) No.: 09 of 2017) and subsequent years are reversed. Total penalty, thus occurred, is added to the total revenue gap/surplus of FY 2023-24 as shown in Table 3.

20. However, Case (Tariff) No.: 13 of 2017 pertains to Annual Performance Review for FY 2016-17 and determination of Revised ARR and Tariff for FY 2017-18 and FY 2018-19, which has been overwritten by the True up order issued in later year for FY 2018-19. So the Commission finds no merit in reversing the deducted penalty for the said year. Instead, the penalty deducted in the ARR in the True-up year of FY 2018-19 is reversed to the Petitioner.

21. The closing gap for FY 2023-24 as shown in Table 3 shall form the opening gap for FY 2024-25 as and when the true-up for the same year is issued.

22. In terms of order of Hon'ble APTEL vide Appeal No 364 of 2024, in place of deducting 2% from ARR, action U/s 142 of the Act ought to have been taken and hence a separate case is registered for their default and non-compliance of Renewable Purchase Obligation.

Sd/-
Member (Tech)

Sd/-
Member (Law)

Appeal No. 222 of 2018 & Appeal No. 223 of 2018, on May 01, 2025. Where Hon'ble APTEL remanded the matter to the Commission with a direction to pass an order in line with its earlier order passed in Appeal No. 364 of 2024.

15. It is also observed by the Commission that no penalty was levied on ARR on the said matter for FY 2016-17 and FY 2017-18.

16. The Commission further observed that Case (Tariff) No.: 13 of 2017 pertains to Annual Performance Review for FY 2016-17 and determination of Revised ARR and Tariff for FY 2017-18 and FY 2018-19. That is the said case doesn't pertain to the true-up of any particular year.

17. Above excerpts (pt. no. 12 to 16) have been tabulated in Table 1 for better clarity.

18. Accordingly, the Commission has considered the judgement of Hon'ble APTEL and the 2% penalty on ARR, deducted earlier, is reversed to the Petitioner as shown in Table 2 and 3 below.

Table 1 Summary of various cases regarding deduction of 2% in ARR (in Rs. Cr.)

True-up Year	Case (T) No.	Respective case in APTEL	Remarks
FY 2015-16	09 of 2017	APL No 222/2018	Remand Order issued on May 01, 2025 by Hon'ble APTEL for refund of the Penalty
FY 2016-17			No Penalty levied
FY 2017-18			No Penalty levied
FY 2018-19*	13 of 2017	APL No. 223/2018	The case pertains to APR for FY 2016-17, Revised ARR and Tariff for FY 2017-18 and FY 2018-19 which is overwritten by the true-up order issued in later year.
FY 2019-20	04 of 2020	APL No. 367/ 2024	Remand Order issued on Jan 02, 2025 by Hon'ble APTEL for refund of the Penalty
FY 2020-21	03 of 2022	APL No. 364/2024	Remand Order issued on Jan 02, 2025 by Hon'ble APTEL for refund of the Penalty
FY 2021-22	15 of 2022	APL No. 365/2024	Remand Order issued on Jan 02, 2025 by Hon'ble APTEL for refund of the Penalty
FY 2022-23	10 of 2023	APL No. 23/2025	Remand Order issued on Feb 24, 2025 by Hon'ble APTEL for refund of the Penalty

**Penalty in ARR deducted in the True-up order of FY 2018-19 is also reversed in the instant order*

Table 2 Total Penalty levied on ARR in True-up for FY 2015-16 to FY 2022-23 (in Rs. Cr.)

Financial years	Penalty @2% of ARR
FY 2015-16	115.83
FY 2016-17	0
FY 2017-18	0
FY 2018-19	117.05
FY 2019-20	135.2
FY 2020-21	105.28
FY 2021-22	119.85
FY 2022-23	140.48
Total Penalty for FY 2015-16 to FY 2022-23	**733.69**

Jharkhand State Electricity Regulatory Commission

Order on
True-up for FY 2023-24,
Annual Performance Review for FY 2024-25, and
Aggregate Revenue Requirement & Tariff for FY 2025-26
for
Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited (JBVNL)

Ranchi,
April 30, 2025

Particulars	Revenue Gap FY 2023-24	Revenue Gap estimated FY 2024-25	Revenue Gap estimated FY 2025-26
Closing Gap at end of the Year	7487.44	9589.66	11332.43
Rate of Interest (As per Bank Rate as on 01 April + 350 basis point)	11.45%	0.00%	0.00%
Carrying Cost on Opening Balance	379.62	0.00	0.00
Carrying cost on Additional Gap Created during the Year	238.85	0.00	0.00
Total Gap including carrying cost	**8,105.90**	**9,589.66**	**11,332.43**

8.4 The Petitioner prays to the Commission to approve the cumulative revenue gap till FY 2025-26 as proposed by the Petitioner. The Petitioner has not calculated any carrying cost for the FY 24-25 and FY 25-26 as these are projected figures. However, it is requested to the Commission to provide for the carrying cost in true up for the respective years.

Commission Analysis

8.5 On scrutinizing, analyzing, material, data, information available on record and on prudent check the Commission has considered the total closing revenue Gap of FY 2022-23 as the opening revenue Gap for FY 2023-24.

8.6 Based on the approved value of Truing up for FY 2023-24 and APR for FY 2024-25 the cumulative Revenue Gap/(Surplus) approved by the Commission till FY 2024-25 is given below:

Table 144: Cumulative Gap/(Surplus) (in Rs Crore) as approved by the Commission.

Particulars	FY 2023-24	FY 2024-25
Opening Gap/(Surplus)	3315.47	4257.98
Revenue Gap/(Surplus) created during the Year	942.51	(940.78)
Total Revenue Gap/(Surplus)	**4257.98**	**3317.20**

8.7 Based on the approved ARR and revenue from existing tariff, the

THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

24 AASHWIN 1947 (S)

No. 474 RANCHI THURSDAY 16Th October, 2025

JHARKHAND STATE ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

16th October, 2025

Jharkhand State Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Distribution Tariff) Regulations, 2025

Notification No. 115 --In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 181 and clauses (zd), (ze) and (zf) of sub-section (2) of Section 181, read with Sections 61, 62, and 86, of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in that behalf, the Jharkhand State Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations. The Regulation is guided by the principles contained in Sections 61 and 62 of the Act to encourage competition, efficiency, economical use of resources, good performance and optimum investments by the Distribution Licensees within the State of Jharkhand and for determination of Multi-Year Tariff to be recovered by the Distribution Licensees for the prudent expenses incurred towards providing quality supply of power to consumers within the State of Jharkhand.

A 24. Summary of Timelines

S. No.	Description	Filing of the Petition along with all necessary document by	Furnishing additional information/ documents as sought by the Commission	Disposal of the Petition
1.	Business Plan for the Control Period and MYT Petition for the Control Period for FY 2026-27 to FY 2030-31 with Retail and Wheeling Tariffs for first year of the Control Period	November 30, 2025	Within fifteen (15) days of issue of the letter seeking information by the Commission	Within one hundred and twenty (120) days of acceptance of the filing
2.	True-Up for the previous year, Annual Performance Review for the current year and ARR & Tariff Determination for the next year of the Control Period	November 30 of the financial year for which APR has been sought	Within fifteen (15) days of issue of the letter seeking information by the Commission	Within one hundred and twenty (120) days of acceptance of the filing

श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-11.12.2025 को पूछे जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या-ज०-35 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि, लघु सिंचाई विभाग से AIBP योजना के तहतृ माइक्रोलिफ्ट एरिगेशन का ऐग्रीमेंट एवं कार्यादेश 2013–14 के तहत् कार्य पूर्ण किया गया था ;	स्वीकारात्क।
2	क्या यह बात सही है कि, वर्तमान स्थिति में उक्त सिंचाई योजना बंद है और संवेदक को भी पूर्ण योजना की राशि का भुगतान नहीं किया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्क।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार संवेदक के द्वारा पूर्ण किए गए योजना की राशि का भुगतान एवं उक्त सिंचाई परियोजना पुनः चालू करने हेतु सार्थक कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	AIBP योजनाओं अंतर्गत लंबित अवशेष राशि की भुगतान हेतु कार्रवाई की जा रही है। पूर्व निर्मित उद्वह सिंचाई योजनाएँ लाभुकों द्वारा रख–रखाव के अभाव में बन्द अथवा जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है। विभाग द्वारा पुरानी बन्द अथवा जीर्ण–शीर्ण अवस्था में अवस्थित उद्वह सिंचाई योजनाओं के स्थल पर सौर उर्जा चलित उद्वह सिंचाई योजना का अधिष्ठापन करने का निर्णय लिया गया है। योजना में पुनः लाभुक समिति गठन करने के उपरांत लाभुकों द्वारा योजना का संचालन, रख–रखाव एवं योजना के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने से संबंधी सहमति प्राप्त होने के उपरान्त प्राक्कलन तैयार कर बजटीय उपबंध, निधि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सौर उर्जा चलित उद्वह सिंचाई योजना के निर्माण विभाग द्वारा आगामी वर्षो में कराया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–10–अ0सु0–10/2025...6064.../ राँची, दिनांक–.....

प्रतिलिपि :–(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक–..... दिनांक–11.12.25 के क्रम में 05 (पाँच) प्रति अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिचांई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/12/25
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

श्री हेमलाल लाल मूर्मु, स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–18, क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे।

क्र0सं0	अल्पसूचित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है, कि राज्य के अधिकांश सरकारी विभागों में लापरवाही एवं अन्य कारणों से मुकदमों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण सरकार के ऊपर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ रहे हैं, और विभागीय पदाधिकारियों को माननीय न्यायालय के समक्ष क्षमा मांगने के लिए विवश होना पड़ता है;	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि सरकार के द्वारा ऐसे मामलों की समीक्षा की जाती है और सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार का आकलन किया जाता है;	स्वीकारात्मक। राज्य सरकार के द्वारा ऐसे मामलों की समीक्षा के लिए स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी गठित की गयी हे। इसके अंतर्गत प्रत्येक विभाग के स्तर से नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए है, जिनके साथ नियमित बैठक की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर इन्पॉवर्ड कमिटि गठित की गयी है। साथ ही Alternate Dispute Redressal (ADR) के माध्यम से भी विवादों के निपटारे का प्रयास किया जाता है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार ऐसे मुकदमों की संख्या में कमी करने हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की लापरवाही से मुकदमों की संख्या बढ़ने के कारण दोषी कर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई करने और अर्थ दण्ड देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यथा उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
विधि विभाग

ज्ञापांकः– ए0/विधि/(वि0स0)–16/2025 2375 /जे0 राँची, दिनांक–08/12/2025

प्रतिलिपिः– प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–3353/वि0स0, दिनांक–03.12.2025 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

8/12/25

(नीरज कुमार श्रीवास्तव)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्रीमती ममता देवी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–11.12.2025 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–15 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती ममता देवी, मा0स0वि0स0, झारखण्ड	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य में अक्टूबर–2025 के अंतिम सप्ताह में खरीफ फसल धान एवं आलू "मोंथा चक्रवात" के कारण अतिवृष्टि से फसल की भारी क्षति हुई है;	आंशिक स्वीकारात्मक। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या–916/राँची, दिनांक–14.08.2024 की कंडिका (1)(क) के अनुसार 'आलू' खरीफ फसल अन्तर्गत अधिसूचित नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि सरकार ने किसानों के इस नुकसान की भरपाई हेतु "बिरसा फसल बीमा योजना" के तहत करने का फैसला लिया है, और इसके लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश भी जारी किए गए है;	स्वीकारात्मक। राज्य में धान के फसल का Insurance बिरसा फसल बीमा योजना से आच्छादित है।
3.	क्या यह बात है कि उक्त योजना के तहत् किसानों को भरपाई में सबसे बड़ी बाधक "72 घंटे के भीतर एप एवं कार्यालय के माध्यम से फसल हानि की सूचना देने की अनिवार्यता" है;	अस्वीकारात्मक। "72 घंटे के भीतर एप एवं कार्यालय के माध्यम से फसल हानि की सूचना देने की अनिवार्यता" का प्रावधान भारत सरकार की मार्गदर्शिका, 2023 की कंडिका–21.6.6.4 & 21.6.6.5 में वर्णित है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार किसानों की भरपाई करने हेतु सूचना देने की समय सीमा अवधि में आवश्यक संशोधन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका–3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक–07/विधानसभा (अल्प–सूचित)–26/2025 सह0 1372 /राँची, दिनांक– 10/12/2025

प्रतिलिपिः–सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0–3356 वि0स0 दिनांक–03.12.2025 के क्रम में सूचनार्थ एवं 200 चक्रलिखित प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.12.2025

(शिव कुमार केडिया)

सरकार के अवर सचिव।

कृ0पृ030

D:\S.Murmu\2025-26\Vidhan sabha Question.docx

श्री आलोक कुमार सोरेन, मा० स० वि० स० के द्वारा दिनांक–11.12.2025 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं० विधि–24 के संबंध में उत्तर प्रतिवेदन।

	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि एकीकृत बिहार राज्य के कार्यकाल में 6 मार्च 1972 में झारखण्ड उच्च न्यायालय रांची सर्किट बेंच की स्थापना की गयी थी।	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि दुमका को उप–राजधानी का दर्जा प्राप्त है, दुमका में सर्किट बेंच के लिए 13.64 डी. भूमि का अधिग्रहण कर वन विभाग को मुआवजा का भुगतान किया गया है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। विधि विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच की स्थापना हेतु 13.84 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि दिनांक–08.01.2015 को दुमका उच्च न्यायालय सर्किट बेंच के पक्ष प्रस्ताव का सदन में पक्ष–विपक्ष द्वारा ध्वनिमत से पारित किया गया था	स्वीकारात्मक।
4.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य बनने के 25 वर्षो बाद भी सर्किट बेंच की स्थापना नही होना जनहित के लिए गंभीर विषय है, जबकि दुमका प्रमंडल के हजारों मुकदमे लंबित है तथा हर महीने 25–30 मुकदमे प्रमंडलीय आयुक्त के विरुद्ध झारखण्ड उच्च न्यायालय रांची आते हैं;	दुमका में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के खण्डपीठ के गठन का मामला वर्तमान में विचाराधीन है। दिनांक–03.11.2015 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आहुत उच्च स्तरीय बैठक में सचिव, भवन निर्माण विभाग से दुमका में खण्डपीठ की स्थापना किये जाने हेतु पुनः जमीन चिन्हित करने एवं यदि माननीय झारखंड उच्च न्यायालय की सहमति हो तो योजना–सह–वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष 2016–2017 में बजटीय एवं अन्य वित्तीय प्रावधान उपलब्ध कराने का निर्देश प्राप्त है। उपरोक्त निर्देश के अनुपालन निमित्त सचिव, भवन निर्माण विभाग के द्वारा प्रस्तावित खण्डपीठ में माननीय न्यायाधीशों की संख्या, निबंधन कार्यालय एवं अन्य कर्मियों की संभावित संख्या वर्ग एवं आवासन आदि की आवश्यकता संबंधी विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उक्त के आलोक में महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के द्वारा उक्त खण्डपीठ का क्षेत्राधिकार निर्धारित करने के परामर्श पर विधि मंत्रालय, केन्द्र सरकार के द्वारा जसवंत सिंह आयोग की अनुशंसाओं में निहित किसी भी उच्च न्यायालय के प्रधान पीठ के अलावा अन्य पीठ की स्थापना हेतु उपयुक्तता एवं वांछनीय योग्यता के निर्धारण के संबंध में विस्तृत सिद्धांत एवं अनुमान्यता का अनुकरण करने का परामर्श दिया गया है। **माननीय विधि (मुख्य) मंत्री जी के द्वारा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार मामले को निम्नांकित 02 कारणों से लंबित रखने हेतु आदेश प्रदान किया गया है:–** **(i) उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कम है।** **(ii) उक्त सर्किट कोर्ट हेतु कोई उपयुक्त स्थान निर्धारित नहीं है।** पुनः मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक–25.06.2018 को आहुत उच्च स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णयानुसार माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय से जसवंत सिंह आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में उक्त खण्डपीठ की स्थापना के संबंध में मार्गदर्शन हेतु अनुरोध किया गया है। मार्गदर्शन प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार समुचित कार्रवाई की जाएगी।

5.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विधि विभाग द्वारा सभी प्रक्रिया पूरी कर चालू वित्तीय वर्ष में सर्किट बेंच स्थापना का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

ह०/–
(नीरज कुमार श्रीवास्तव)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी।

झारखण्ड सरकार
विधि विभाग

ज्ञापांक– ए0/विधि–वि0स0–17/2025– 2402/जे0, राँची, दिनांक– 09/12/. 2025

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–3369 वि०स०, दिनांक–04.12.2025 के प्रसंग में उत्तर प्रतिवेदन की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

नीरज 9/12/25
(नीरज कुमार श्रीवास्तव)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी।

श्री अमित कुमार, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–11.12.2025 को पूछे गये अल्पसूचित प्रश्न सं०– अ० सू०–33 का उत्तर सामग्री–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में गैर अनुदानित सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को साइकिल एवं अन्य सहायक पाठ्य सामग्रियां सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है;	अस्वीकारात्मक। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची का संकल्प संख्या–565, दिनांक–05.03.2021 द्वारा निर्धारित प्रावधान के आलोक में झारखण्ड राज्य अन्तर्गत सभी सरकारी विद्यालयों में वर्ग–8 में अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र–छात्राओं को राज्य–साइकिल योजना अन्तर्गत निःशुल्क साईकिल उपलब्ध करायी जाती है। झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद, राँची के पत्रांक–6201, दिनांक–09.12.2025 द्वारा प्रतिवेदित है कि राज्य सरकार के सरकारी विद्यालयों के कक्षा 8 में अध्ययनरत सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को साईकिल स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से उपलब्ध कराया जाता है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य में सरकार द्वारा अनुदानित विद्यालय के विद्यार्थियों को साईकिल एवं अन्य सहायक सामग्रियां विगत पाँच–छः वर्षो से उपलब्ध नहीं कराया जा रही है ;	झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद, राँची के पत्रांक–6201, दिनांक–09.12.2025 द्वारा प्रतिवेदित है कि :– • राज्य अन्तर्गत गैर–सरकारी अल्पसंख्यक विद्यालयों में वर्ग 1 से 8 में नामांकित एवं अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को पाठ्य– पुस्तकें वर्ष 2007–08 से उपलब्ध करायी जा रही है। • वर्ष 2025–26 से राज्य सरकार के निर्णयानुसार झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद, राँची के द्वारा गैर–सरकारी सहायता प्राप्त वित्त सहित अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय/मदरसा/संस्कृत विद्यालय में वर्ग 9 एवं 10 में नामांकित एवं अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को कॉपी तथा गैर–सरकारी सहायता प्राप्त वित्त सहित अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय में वर्ग 9 एवं 10 में नामांकित एवं अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को पाठ्य–पुस्तक उपलब्ध करायी गई है। • राज्य अन्तर्गत गैर–सरकारी निजी विद्यालयों (वित्त रहित अनुदानित विद्यालय) के विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहीं करायी जाती है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची से संबंधित वस्तुस्थिति खण्ड–1 में स्पष्ट की गई है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–2 में वर्णित विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी खण्ड–1 के विद्यालयों की तरह सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं, तो क्यों ?	उत्तर खण्ड–2 में सन्निहित है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची में सम्प्रति इस प्रकार का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापांक–07/वि०स०अ०सू०–14/2025 – 4121 राँची, दिनांक– 10/12/2025

प्रतिलिपिः– झारखण्ड विधानसभा सचिवालय का ज्ञाप सं०–3409, दिनांक–06.12.2025 के क्रम में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/12/25

(जया रेचल मिंज)
सरकार के उप सचिव।

D:\Amon\Kuldeep Sir\2025 26\Vidhan sabha\Question & Ans..docx

श्री सरयू राय, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–11.12.2025 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या – अ०सू०–28 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि 40 वर्ष पूर्व निर्मित राज्य की महत्वपूर्ण मुराहिर जलाशय योजना से लाभुकों को समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसका कारण है कि जलाशय से लगातार जल रिसाव होते रहता है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि मुराहिर जलाशय को रिसाव रहित करने हेतु जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तकनीकी सुझाव दिया है, जिसे शत–प्रतिशत लागू करने से मुराहिर जलाशय को रिसाव रहित किया जा सकता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सुझाव के विपरीत मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण संगठन एवं जल विज्ञान द्वारा जलाशय मरम्मति का कार्य खण्ड–खण्ड में कराने का निर्देश दिया गया है ;	स्वीकारात्मक। मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची द्वारा स्थल निरिक्षणोपरान्त मुराहिर डैम को रिसाव रहित करने हेतु तत्कालिक एवं स्थायी सुधारात्मक उपाय हेतु सुझाव दिया गया। स्थायी सुधारात्मक उपाय अन्तर्गत मुराहिर डैम का Structural Health Assessment हेतु उपयुक्त Geophysical Test कराते हुए Comprehensive Dam Safety Evaluation कराने का सुझाव दिया गया। तत्कालिक सुधारात्मक उपाय हेतु Curtain Grouting, जंगल सफाई एवं Toe Drain के निर्माण कराने का सुझाव दिया गया।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मुराहिर जलाशय योजना को रिसाव मुक्त करने के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा दिये गये सुझाव के अनुरूप मरम्मति का पूरा कार्य एकमुश्त कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	मुराहिर डैम को रिसाव रहित करने हेतु Comprehensive Dam Safety Evaluation कराने के पश्चात् परामर्शी द्वारा तैयार किए गए DPR के अनुरूप कार्य कराया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०सं०वि०–10–अ०सू०–09/2025 – 6061....... /राँची, दिनांक 10/12/25

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– .... वि०स० दिनांक .... के प्रसंग में अतिरिक्त 20 (बीस) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/सभी मुख्य अभियंता, चांडिल कॉम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/12/25

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

F:\Bose\Vidhan Sabha\Dec-25\Alpsuchit\28 Satya Rai.docx

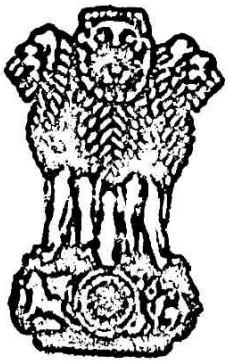

सत्यमेव जयते

षष्ट्म झारखण्ड विधान सभा

चतुर्थ (शीतकालीन) सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग–03

बृहस्पतिवार दिनांक 20 अग्रहायण, 1947(श0) / 11 दिसम्बर, 2025 (ई0) को

प्रश्नों की कुल संख्या–01 (एक)

(1) राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग–01 (एक)

कुलयोग–01 (एक)

झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

षष्टम् झारखण्ड विधान सभा
चतुर्थ (शीतकालीन) सत्र
वर्ग–03

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न बृहस्पतिवार, दिनांक– 20 अग्रहायण ,1947 (श0) .....को झारखण्ड विधान सभा के आदेश पत्र पर अंकित रहेंगे :– 11 दिसम्बर, 2025 (ई0)

कमांक	विभागों को भेजी गई सां0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01-	02-	03-	04-	05-	06-
"क"	67रा–06	श्री अमित कुमार	दोषियों पर कार्रवाई करना।	राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार	01-12-25

नोट :–"क"–67 सदन द्वारा दिनांक–10.12.2025 को दिनांक–11.12.2025 के लिए स्थगित।

रंजीत कुमार
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

राँची,
दिनांक–11,दिसम्बर,2025 (ई0)।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0(प्रश्न)–09/2025..3453...../वि0स0,राँची,दिनांक–..10/12/25.....

प्रतिलिपिः–झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/माननीय मंत्रिगण/नेता प्रतिपक्ष/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नीलेश रंजन 10/12/25
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0(प्रश्न)–09/2025..3453...../वि0स0,राँची,दिनांक–..10/12/25.....

प्रतिलिपिः– अवर सचिव अध्यक्षीय कार्यालय/आप्त सचिव सचिवीय कार्यालय को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन 10/12/25
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0(प्रश्न)–09/2025..3453...../वि0स0,राँची,दिनांक–..10/12/25.....

प्रतिलिपिः–कार्यवाही शाखा,बेवसाईट शाखा,ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन समिति/ शाखा, प्रश्न ध्यानाकर्षण एवं अनागत प्रश्न एवं कियान्वयन समिति /शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नीलेश रंजन 10/12/25
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

10/12

मंगल

श्री अमित कुमार, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–10.12.2025 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा.–06 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री अमित कुमार, माननीय स०वि०स०	माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में मुण्डारी खुटकट्टी जमीन में सेस वसूली परिवार के पुरूष सदस्यों के नाम से ही किया जाता है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के पास खुटकट्टी जमीन में महिला/विधवा के नाम से सेस वसूली हेतु नियम नहीं है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि विभाग के ज्ञापांक–828, दिनांक–21 मार्च, 2025 द्वारा संसूचित है कि खुटकट्टी सेस पंजी के अनुसार मो0 संध्या रानी के नाम से वसूली दर्ज है ;	आंशिक अस्वीकारात्मक। विभाग में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार विभागीय ज्ञापांक–828, दिनांक–21.03.2025 "अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) द्वारा सामुदायिक जेट्टी निर्माण हेतु भू–हस्तातंरण के संबंध में दिशा–निर्देश" से संबंधित है। यह ज्ञापांक मौजा–लान्दुपडीह, मुण्डारी, खुटकट्टी सेस पंजी के अनुसार मो0 संध्या रानी के नाम से वसूली दर्ज है, से संबंधित नहीं है। उपायुक्त, राँची के पत्रांक–147(i), दिनांक–25.08.2025 में उल्लेखित है कि "राँची जिला अंतर्गत सोनाहातु अंचल के मौजा–लान्दुपडीह, थाना–सोनाहातु अंचल के मौजा–लान्दुपडीह, थाना–01, खेवट संख्या–26, कुल रकबा–748.46 एकड़ मुण्डारी खूटकट्टी भूमि है उक्त भूमि का दाखिल–खारिज विविध वाद संख्या–7/2007–08 द्वारा अंचल अधिकारी स्तर से किया गया है। मुण्डारी खुटकट्टी खेवट का दाखिल–खारिज करना अंचलाधिकारी के क्षेत्राधिकार में नहीं है। फिर भी इस जमीन का नामांतरण उपरोक्त विविध वाद द्वारा मो0 संध्या रानी के नाम से किया गया है एवं इसका सरकारी रसीद अंचल कार्यालय से 21.10.2008 को निर्गत है। खुटकट्टी जमीन का रसीद अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत किया जाना नियम विरूद्ध है।" उपरोक्त मामले से संबंधित अंचल एवं हल्का कार्यालय में उपलब्ध राजस्व दस्तावेजों के आधार पर संलग्न पदाधिकारी/कर्मी के विरूद्ध कार्रवाई प्रतिवेदन की मांग की गयी है। निदेशानुसार कार्रवाई प्रतिवेदन निम्नवत् है :– श्री अमूल्य रतन महतो, तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक से उपरोक्त भूमि का जमाबंदी कायम होने से संबंधित कागजात एवं आदेश की मांग की गयी। श्री महतो द्वारा इस संबंध में विविध वाद संख्या–7/07–08 के आदेश पत्र की सच्ची प्रति की छाया प्रति समर्पित किया गया है। विविध वाद संख्या–7/07–08 के अनुसार मो0 संध्या रानी खेवट–26 के अंश के हिस्सेदार स्व0 खुलकेश्वर सिंह मुण्डा की पत्नी है खुलकेश्वर सिंह मुण्डा की मृत्यु के पश्चात् सेस नहीं लिया जाता है तथा मो0

		संध्या रानी सेस सीधे सरकार को देना चाहती थी। अतः खेवट संख्या–26 कुल रकबा–748.46 एकड़ सेस 602.13 रू0 पंजी–2 में आवेदिका के नाम एवं सेस वसूली हेतु तत्कालीन अंचल अधिकारी, सोनाहातु द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू को अनुशंसा सहित अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजा गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू द्वारा मौजा–लान्दुपडीह, खेवट–26, कुल रकबा–748.46 एकड़ सेस 602.13 एकड़ भूमि का सेस अंचल कार्यालय में जमा करने का आदेश दिया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू के पारित आदेश के आलोक में तत्कालीन अंचल अधिकारी, सोनाहातु द्वारा श्री अमूल्य रतन महतो, राजस्व उप निरीक्षक को पंजी–II में आवश्यक संशोधन कर बकाया तथा हाल सेस प्राप्त कर वसूल की गयी राशि अंचल नाजिर के पास जमा करने का निदेश दिया गया। तत्पश्चात् श्री अमूल्य रतन महतो, राजस्व उप निरीक्षक द्वारा सेस वसूली हेतु रसीद निर्गत किया गया। तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक श्री अमूल्य रतन महतो (सेवानिवृत), तत्कालीन अंचल निरीक्षक दिलीन कुमार मित्रा (मृत) एवं तत्कालीन अंचल अधिकारी श्री आलोक कुमार के द्वारा मुण्डारी खुटकट्टी भूमि का सेस का निर्धारण मो0 संध्या रानी के नाम से वसूली करना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपायुक्त, राँची के पत्रांक–176(i) दिनांक–09.12.2025 द्वारा संसूचित है कि संबंधित मामले में दोषियों के विरूद्ध तीन माह के अंदर आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध करा दी जाएगी।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दोषियों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांकः– 6/विधानसभा (तारांकित)–274/2025..3288/रा0, दिनांक–09-12-2025

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–3265/वि0स0, दिनांक–06.12.2025 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/XII/25

सरकार के उप सचिव।

D:\Hema\Local Disk G\Santosh Sir\Vidhansabha ques. answ.docx.3.docx

झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

षष्टम् झारखण्ड विधान सभा

चतुर्थ (शीतकालीन) सत्र

वर्ग–04

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न गुरूवार, दिनांक– **20 अग्रहायण,1947 (श0)** ..... को **11 दिसम्बर 2025 (ई0)**

झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0	विभागों को संसूचित की गई सां0 सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
124.	ज0–01	श्री कुमार उज्जवल,	लिफ्ट एरीगेशन का निर्माण।	जल संसाधन	29.11.2025
125.	ऊ0–02	श्री अनन्त प्रताप देव,	कार्यालय का निर्माण।	ऊर्जा	02.12.2025
126.	ज0–04	श्री जर्नादन पासवान,	सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।	जल संसाधन	29.11.2025
127.	ज0–03	श्री संजय कु0 सिंह यादव,	नहर लाईनिंग का निर्माण।	जल संसाधन	29.11.2025
128.	ऊ0–05	श्री सुदीप गुड़िया,	ट्रॉस्फार्मर लगाना।	ऊर्जा	04.12.2025
129.	ज0–07	श्री रामचन्द्र सिंह,	गार्डवाल एवं बियर निर्माण।	जल संसाधन	02.12.2025
130.	कृष–03	श्री भूषण बाड़ा,	उचित कदम उठाना	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग	02.12.2025
131.	श्रनि0–02	श्री रामचन्द्र सिंह,	नामांकन शुरू कराना।	श्रम नियो0,प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	02.12.2025
132.	ज0–02	श्री संजय कु0 सिंह यादव,	चैकडैम का निर्माण।	जल संसाधन	29.11.2025
133.	क0–02	श्री अमित कुमार यादव,	बजट का प्रावधान करना।	अनु0जनजाति,अ0जा0 अ0सं0एवं पि0वर्ग कल्याण।	02.12.2025

कृ0पृ0उ0/

01	02	03	04	05	06
134.	खा0—01	श्री दशरथ गागराई,	पूर्ण बहाल करना।	खा0,सा0वि0 एव उ0 मामले	29.11.2025
135.	श्रनि0—04	श्री रोशन लाल चौधरी,	जाँच कर कार्रवाई करना।	श्रम,नि0प्र0 एवं कौशल विकास	04.12.2025
136.	ज0—10	श्री कुमार उज्जवल,	डैम निर्माण कराना।	जल संसाधन	04.12.2025
137.	श्रनि0—01	श्रीमती निसात आलम,	शैक्षणिक सत्र शुरू कराना।	श्र0नि0,प्र0 एवं कौशल विकास	25.11.2025
138.	क0—01	डॉ0 नीरा यादव,	बिरहोर समुदाय का संरक्षण करना।	अ0ज0ज0अ0जा0 अ0एवं पि0वर्ग कल्याण	02.12.2025
139.	ऊ0—03	डॉ0 नीरा यादव,	सर्किट लाना	ऊर्जा	02.12.2025
140.	श्रनि0—03	श्री अमित कुमार,	प्रशिक्षण प्रारंभ कराना।	श्रम0नि0,प्र0 एवं कौशल विकास	03.12.2025
141.	कृष—01	श्री चन्द्रदेव महतो,	कोल्ड स्टोरेज निर्माण कराना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	25.11.2025
142.	ज—05	श्री अनन्त प्रताप देव,	डैम का निर्माण	जल संसाधन	02.12.2025
143.	ज0—08	श्री आलोक कु0चौरसिया,	गार्डवाल/Flood Protection Solution निर्माण।	जल संसाधन	02.12.2025
144.	ज0—09	श्री नरेश प्रसाद सिंह,	किसानों को लाभ देना।	जल संसाधन	03.12.2025
145.	कृष0—02	श्री जर्नादन पासवान,	उद्योग स्थापित करना।	कृषि,पशुपालन एंव सहकारिता	29.11.2025
146.	ज0—06	**डॉ0कुशवाहा शशिभूषण मेहता,**	सुविधा उपलबध कराना।	जल संसाधन	02.12.2025
147.	ऊ0—04	श्री उदय शंकर सिंह,	कार्य को पूर्ण कराना।	ऊर्जा	04.12.2025
148.	ऊ0—01	श्री विकास कु0 मुण्डा,	सब—स्टेशन का निर्माण कराना।	ऊर्जा	29.11.2025

राँची
दिनांक—11 दिसम्बर ,2025 (ई0)।

रंजीत कुमार
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

कृ0पृ0उ0/

ज्ञाप संख्या—झा0वि0स0प्रश्न—10/2025—3421/वि0स0,रांची,दिनांक—08.12.25

प्रतिलिपि :— झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/मा0 मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/माननीय नेता प्रतिपक्ष/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08.12.25

(महेश नारायण सिंह)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या—झा0वि0स0 प्रश्न—10/2025—3421/वि0स0,रांची,दिनांक—08.12.25

प्रतिलिपि :— अवर सचिव अध्यक्षीय कार्यालय/सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय एवं संयुक्त सचिव (प्रश्न) वर्ग—04 को सूचनार्थ प्रेषित।

08.12.25

अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या— झा0वि0स0 प्रश्न—10/2025—3421/वि0स0,रांची,दिनांक—08.12.25

प्रतिलिपि :— कार्यवाही शाखा,/बेवसाईट शाखा/ ऑनलाईन शाख/JVS. TV. शाखा एवं आश्वासन शाखा/प्रश्न ध्यानाकर्षण समिति शाखा एवं अनागत प्रश्न एवं क्रियान्वयन समिति/शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08.12.25

अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

Ray/

श्री कुमार उज्जवल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 11.12.2025 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–01 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि, चतरा जिलान्तर्गत प्रखंड मयूरहंड के ग्राम मंझगावा में किसानों को सिंचाई के लिए आज तक अंजनवा डैम के बनने के साठ वर्षों के बाद भी सिंचाई सुविधा नहीं मिल सकी है, जिसके कारण खेती योग्य जमीन भी बंजर होती जा रही है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात भी सही है कि, गोबरदाहा नाला में चेकडैम के साथ अंजनवा जलाशय से बड़की आहर तालाब तक पक्का नहर निर्माण अथवा लिफ्ट एरिगेशन निर्माण होने से 1200 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन में खेती का कार्य किया जा सकता है ;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में चेकडैम के साथ–साथ पक्का नहर अथवा लिफ्ट एरिगेशन का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत योजना का विस्तृत सर्वेक्षणोपरान्त तकनीकी संभाव्यता पाए जाने पर लाभ लागत अनुपात, बजटीय उपबंध एवं निधि की उपलब्धता को देखते हुए योजना के निर्माण पर निर्णय लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारांकित–79/2025– 5994 /राँची, दिनांक 6/12/25

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3179 वि०स० दिनांक–29.11.2025 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/12/25

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

श्री अनन्त प्रताप देव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 11.12.2025 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या ऊ०–02 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री अनन्त प्रताप देव, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला मुख्यालय में Transformor Repair Workshop (T.R.W) नहीं होने के कारण नगर ऊँटारी, डंडई, भवनाथपुर, खरौंधी, केतार, बिशुनपुरा, रमना, धुरकी, सगमा आदि प्रखण्डों के सुदूर इलाकों में विद्युत आपूर्ति हेतु लगे ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी हो जाने पर इनकी मरम्मति में विभाग को विलंब होता है और इस कारण विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल गढ़वा–II (नगर ऊँटारी) अंतर्गत निवास कर रहे लगभग 65 हजार विधुत उपभोक्ता प्रभावित होते हैं;	अस्वीकारात्मक। गढ़वा जिला मुख्यालय में एक TRW निरन्तर 2017 से चालू अवस्था में है और गढ़वा जिला के सभी क्षेत्रों में जले ट्रांसफार्मर की मरम्मति TRW गढ़वा से कराकर प्रभावित क्षेत्रों में भेजी जाती है।
2. क्या यह बात सही है कि विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, गढ़वा–II (नगर ऊँटारी) के पत्रांक–17, दिनांक–10.01.2025 द्वारा जिला उपायुक्त, गढ़वा को पत्राचार कर T.R.W कार्यालय व अन्य निर्माण हेतु लगभग 01 एकड़ आयताकार भूमि उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया है, जो कि पर्याप्त संसाधन मौजूद रहते हुए जिला प्रशासन विगत 10 माह से विद्युत विभाग को भूमि उपलब्ध नहीं करवा सकी है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित प्रखण्डों के विद्युत उपभोक्तओं के हित में नगर ऊँटारी अनुमण्डल अंतर्गत विद्युत विभाग का प्रमण्डल, अवर प्रमण्डल/प्रशाखा/आवास एवं T.R.W कार्यालय के निर्माण का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	जमीन की उपलब्धता होने पर भविष्य में वर्णित कार्यालय का निर्माण किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक.....1685...../ दिनांक...09/12...../2025

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–3307, दिनांक–02.12.2025 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मो. मुस्तकिम अंसारी)
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री जनार्दन पासवान, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 11.12.2025 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–04 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि, चतरा जिला में कुल कृषि योग्य भूमि 1,22,640 हेक्टेयर है, जिसमें Net Sown Area 45 हजार 370 हेक्टेयर है, इसमें Net Irrigated Area 9,360 हेक्टेयर है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि, चतरा जिला में मात्र 26.7% क्षेत्र ही सुनिश्चित सिंचाई सुविधा के तहत् आता है, Dist. Irrigation Plan के अनुसार वर्ष 2022 तक 78% यह लक्ष्य रखा गया था जो अबतक अप्राप्त है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि, चतरा जिला अन्तर्गत मात्र 05 जलाशय परियोजना एवं कई ऐसे छोटे जलाशय मौजुद है जिसका Catchment Area बहुत ज्यादा है पर जल संग्रहण कम है ;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार किसानों के व्यापक हित में चतरा जिला के लघु जलाशय का जल संग्रहण क्षेत्र विस्तार कर किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	चतरा जिला अन्तर्गत अबतक कुल 14,206 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित है, जिसमें सिंचाई उपलब्धि कुल 11,231 हेक्टेयर है। वर्ष 2025–26 में इस जिला में कुल 707 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन संभावित है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारांकित–82/2025– 5997 /राँची, दिनांक 6/12/2025

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3182 वि०स० दिनांक–29.11.2025 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/12/25

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

E:\Bose\Vidhan Sabha\Dec-25\J-04 Janardan Paswan.docx

श्री संजय कुमार सिंह यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–11.12.2025 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज0–03 का उत्तर प्रतिवेदन।:–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि, डालटेनगंज जिला के काषी सोत डैम से निकलने वाली दायी और बायीं नहर का लाईनिंग कार्य 15–20 वर्शो से नहीं कराने के कारण डैम का पानी बर्बाद होता है ;	आंशिक स्वीकारात्क।
2	क्या यह बात सही है कि, डैम के दायीं और बायीं नहर के निर्माण होने से पानी की बर्बादी रूकेगी तथा आस–पास के दो हजार हेक्टेयर क्षेत्र में पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा ;	आंशिक स्वीकारात्क।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त दोनों नहर का लाईनिंग का निर्माण कराना चाहती है, हॉ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	काशीसोत मध्यम सिंचाई योजना से निसृत नहर हेतु कुल रकबा 14.435 एकड़ भूमि के अर्जन हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पलामू द्वारा अधियाचित कुल राशि 7,12,23,798.00 (सात करोड़ बारह लाख तेईस हजार सात सौ अन्ठानवे) का पूर्ण भुगतान कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, हुसैनाबाद द्वारा कर दिया गया है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पलामू द्वारा योजना के हितबद्ध रैयतों को राशि की भुगतान कराने के उपरान्त ही प्राक्कलन तैयार कर बजटीय उपबंध, निधि की उपलब्धता को देखते हुए अगामी वर्षो में नाहर का जीर्णोद्धार कार्य करने हेतु निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारांकित–81/2025 – 5996 /राँची, दिनांक 6/12/25

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक सं० प्र०–3181 वि०स०, राँची, दिनांक– 29.11.2025 के क्रम में ~~05 (पाँच)~~ 200 (दो-सौ) प्रति अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिचांई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/12/25

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

D:\Abhi\My documents\2025-26\Vidhan sabha 2026-27\Sri sanjay Kumar singh yadav_6_20_T_81_25.docx

श्री सुदीप गुड़िया, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 11.12.2025 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या ऊ०–05 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री सुदीप गुड़िया, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि तोरपा विधान सभा अंतर्गत बानो प्रखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे ट्रान्सफार्मर खराब है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि इन क्षेत्रों के छात्र–छात्राओं को पठन–पाठन एवं किसानों को सिंचाई से संबंधित कार्य के लिए कठिनाई हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के खराब ट्रान्सफार्मर बदलने या नये ट्रान्सफार्मर लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	वर्त्तमान में बानो प्रखण्ड अंतर्गत 21 ट्रान्सफार्मर को बदल दिया गया है एवं शेष 08 खराब ट्रान्सफार्मर बदलने की प्रक्रिया में है जिसे 15 दिनों के अन्दर बदल दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक.....1683...../ दिनांक.....09/12...../2025

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–3365, दिनांक–04.12.2025 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/12/25

(मो. मुस्तकिम अंसारी)
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री रामचन्द्र सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 11.12.2025 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–07 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला अन्तर्गत मनिका प्रखण्ड के पंचायत दुन्दु ग्राम लाली में अत्यंत ही रमणीय पर्यटक स्थल दोमुहान, जहाँ दो नदियों का संगम स्थल है में सालो भर हजारों की संख्या में सैलानियों का आवागमन बना रहता है एवं इस स्थल पर वर्ष में दो बार वृहद् मेला का भी आयोजन किया जाता है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान में खण्ड–1 में वर्णित पर्यटक स्थल/मंदिर परिसर की भूमि का कटाव तेजी से करकट एवं सुकरी नदी के तेज बहाव से हो रहा है जिससे उक्त स्थल की क्षति का खतरा बना हुआ है ;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित स्थल के संरक्षण के दृष्टिकोण से नदी के दोनों ओर गार्डवॉल (Flood Protection Solution) एवं वियर निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय पत्रांक-- 738, दिनांक 14.10.2025 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं को वर्ष 2025 के लिए कटाव निरोधक कार्यों का प्रस्ताव तकनीकी सलाहकार समिति (TAC) को समर्पित करने का निदेश दिया गया है। प्रश्नगत स्थल का क्षेत्रीय कटाव निरोधक समिति के निरीक्षणोपरान्त प्रस्ताव प्राप्त होने तथा राज्य तकनीकी सलाहकार समिति (TAC) एवं योजना समीक्षा समिति (SRC) से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर कटाव निरोधक कार्य हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारांकित–86/2025– 6000 /राँची, दिनांक 6/12/2025

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3301 वि०स० दिनांक–02.12.2025 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/12/25

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

E:\Boss\Vikram Sahu\Dec-25\J 07 Ramchandra Singh.docx

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 11.12.2025 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– कृष 03 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री भूषण बाड़ा,
स०वि०स०

उत्तरदाता
डॉ० इरफान अंसारी
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग. झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि, सिमडेगा जिले में सरकारी स्तर पर धान की खरीदारी अबतक प्रारंभ नहीं हो पाई है, जिसके कारण किसान बेहद परेशान हैं;	स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य में 15 दिसम्बर, 2025 से धान अधिप्राप्ति का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है।
(2) क्या यह बात सही है कि, पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में खुदरा बाजार में धान का अधिक मूल्य प्राप्त होता है, दूसरी ओर सिमडेगा के लैम्पस में धान की कीमत कम मिलता है तथा भुगतान में विलंब होता है;	धान अधिप्राप्ति योजना के तहत पूरे राज्य में भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य रूपये 2,369/– प्रति क्विंटल एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त रूपये 81/– प्रति क्विंटल कुल रूपये 2,450/– प्रति क्विंटल की दर से किसानों को एकमुश्त एवं त्वरित भुगतान की व्यवस्था की गई है।
(3) क्या यह बात सही है कि, सिमडेगा जिला में धान क्रय केन्द्रों की भारी कमी है जिसके कारण समय पर किसानों के धान क्रय में कठिनाई हो रही है;	खरीफ विपणन मौसम 2025–26 में सिमडेगा जिला अन्तर्गत धान अधिप्राप्ति हेतु अबतक 16 धान अधिप्राप्ति केन्द्रों का चयन किया गया है।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार, खण्ड–1,2,3 में वर्णित विषयों पर उचित कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–1, 2 एवं 3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

ह0/–
(संजय कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–4/ज०वि०प्र०/वि०स०/61/2025 3250 /राँची, दिनांक 10/12/25

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या–3305/वि०स०, दिनांक 02.12.2025 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/12/25
सरकार के अवर सचिव।

श्री रामचन्द्र सिंह, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–11.12.2025 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–श्रनि0–02 का उत्तर सामग्री।

2048
07/12/2025

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि, लातेहार जिला अन्तर्गत महुआडांड़ अनुमण्डल सह प्रखण्ड मुख्यालय में स्थानीय छात्रों को तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने हेतु लगभग 5 वर्ष पूर्व औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्वीकृति के तत्पश्चात् यहां भवन का भी निर्माण किया जा चुका है परन्तु आज तक उक्त केन्द्र में पठन–पाठन सुचारू रूप से चालू नहीं किया गया है;	**अस्वीकारात्मक।**
2	क्या यह बात सही है, कि खण्ड–1 में वर्णित औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र में पठन – पाठन का कार्य नहीं होने से स्थानीय युवाओं को तकनीकी शिक्षा से वंचित होना पड रहा है साथ ही वर्तमान में निर्मित भवन अब खण्डहर का रूप ले रहा है;	**अस्वीकारात्मक।** औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महुआडांड में वर्ष 2016 में छात्र–छात्राओं का नामांकन कर प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया गया है। वर्णित संस्थान में भिन्न–भिन्न व्यवसाय में 07 प्रशिक्षण अधिकारी पदस्थापित है। विभिन्न शैक्षणिक सत्रों में नामांकन की स्थिति निम्नवत् हैः– 2016–2017–2018 – 11 2017–2018–2019 – 05 2018–2019–2020 – 17 2019–2020–2021 – 27 2020–2021–2022 – 27 2021–2022–2023 – 51 2022–2023–2024 – 26 2023–2024–2025 – 80 2024–2025–2026 – 54 2025–2026–2027 – 104
3	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र में पठन–पाठन हेतु शिक्षक एवं तकनीकी संसाधन बहाल कर नामांकन प्रक्रिया शुरू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महुआडांड में प्रशिक्षण प्रारंभ है। प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण अधिकारी का पदस्थापन कर दिया गया है तथा वर्तमान में शैक्षणिक सत्र 2024–2025–2026 एवं 2025–26–27 में क्रमशः 54 एवं 110 छात्र–छात्राएँ नामांकित है। उक्त संस्थान में प्रशिक्षण कार्य सुचारू रूप से चल रहा है।

07/12/2025

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02/श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–71/2025श्र0नि0–2048 राँची, दिनांक– 07/12/2025

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–3304, दिनांक–02.12.2025 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

07/12/2025

सरकार के अवर सचिव।

E:\San\Rahul\Vidhan Sabha 2025-26\05-71-2025 T.docx

श्री संजय कुमार सिंह यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-11.12.2025 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-ज०-02 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि, हुसैनाबाद अनुमण्डल के सदाबाह नदी पर ग्राम–लोहरपुरवा एवं बरवाडीह ग्राम के बीच में चेकडैम का निर्माण आज तक नहीं कराया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि, चेकडैम के नर्माण होने से उक्त गॉव एवं आस–पास के गॉव के 1000 एकड़ भूमि सिंचित होगा ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार किसानों के हित में उपर्युक्त स्थल पर चेकडैम का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत् योजना का विस्तृत सर्वेक्षणोंपरान्त तकनीकी संभाव्यता पाए जाने पर लाभ लागत अनुपात, बजटीय उपबंध एवं निधि की उपलब्धता को देखते हुए योजनाएँ के निर्माण पर निर्णय लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारांकित–80/2025.......5995 / राँची, दिनांक–6.12.2025

प्रतिलिपि :–(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक–3180 दिनांक–29.11.2025. के क्रम में 05 (पाँच) प्रति अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/12/25

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

D:\ABHI\MY DOCUMENTS\2025-26\VIDHAN SABHA 2026-27\SRI SANJAY KUMAR SINGH_6_20_T_80_25.DOCX

O श्री अमित कुमार यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–11.12.2025 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–क०–02 की उत्तर सामग्री।

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1.	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के समान अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग बाहुल क्षेत्रों में धार्मिक स्थल एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की घेराबंदी कराने हेतु योजना का प्रस्ताव वित्त वर्ष 2024–25 से स्वीकृत किया गया था;	आंशिक स्वीकारात्मक। सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के समान अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग बाहुल क्षेत्रों में धार्मिक स्थल एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की घेराबंदी कराने हेतु योजना का प्रस्ताव वित्त वर्ष 2023–24 में स्वीकृत किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि वित्त वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 में राज्य के सभी जिलों से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग क्षेत्रों में धार्मिक स्थल एवं अन्य महत्वपूर्ण विकास योजना का करीब 500 प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 एवं 2 वर्णित मद में बजट का प्रावधान नहीं किया गया है;	वित्तीय वर्ष 2023–24 में धार्मिक स्थल एवं अन्य महत्वपूर्ण विकास योजना हेतु अनुसूचित जाति क्षेत्रों में 3.00 करोड़ रूपये, एवं पिछड़ा वर्ग क्षेत्रों में 3.00 करोड़ रूपये का बजट उपबंध किया गया था। वित्तीय वर्ष में 2024–25 में में धार्मिक स्थल एवं अन्य महत्वपूर्ण विकास योजना हेतु अनुसूचित जाति क्षेत्रों में 4.50 करोड़ रूपये, एवं पिछड़ा वर्ग क्षेत्रों में 3.00 करोड़ रूपये का बजट उपबंध किया गया था। वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट प्रावधानित नहीं है।
4.	यदि उपर्युक्त तथ्य के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में प्रश्नगत मद में बजट का प्रावधान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के समान अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग बाहुल क्षेत्रों में धार्मिक स्थल एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की घेराबंदी योजना कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में द्वितीय अनुपूरक में बजट उपबंध करने की मांग की गई है।

झारखण्ड सरकार
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांकः– स०म०जा०/SC,BC/वि०स०प्र०/10/2025 -५१२० राँची, दिनांकः– 10.12.2025

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०– 3309, दिनांक–02.12.2025 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09.12.2025
(विनोद कुमार बाँके)
सरकार के संयुक्त सचिव।

E:\Kalyan\Dheeraj sir\Vidhan sabha\Letter % Vidhan Sabha question.docx

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 11.12.2025 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– खा० 01 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री दशरथ गागराई,
स०वि०स०

उत्तरदाता
डॉ० इरफान अंसारी
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला के खूंटपानी प्रखण्ड के अन्त्योदय अन्न योजना के कार्ड संख्या–202006806717 (लाकेश्वर बोदरा) 202006834261 (मुक्ता तियु) समेत 100 से अधिक लाभुकों का राशन कार्ड रद्द (Delete) कर दिया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत खूंटपानी प्रखण्ड के अन्त्योदय अन्न योजना के राशनकार्ड संख्या– 202006806717 (लाकेश्वर बोदरा) रद्द नहीं है। भारत सरकार के निदेशनुसार माह सितम्बर, 2025 से पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुकों को खाद्यान्न SMART PDS के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। राशनकार्ड संख्या–202006834261 (मुक्ता तियु) एवं अन्य कतिपय राशनकार्ड तकनीकी कारणवश विभागीय आहार पोर्टल पर परिलक्षित हो रहे हैं, परन्तु SMART PDS पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो पा रहे हैं जिससे उक्त राशनकार्डधारियों को खाद्यान्न प्राप्त करने में परेशानी हो रही है। इस संदर्भ में शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् उनके जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा द्वारा निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची, तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० तथा SPIT SMART PDS Team, NIC राँची को सूचित किया गया है। उक्त तकनीकी समस्या के त्वरित समाधान हेतु कार्रवाई की जा रही है। जल्द से जल्द उक्त सभी राशनकार्डधारियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
(2) क्या यह बात सही कि उपर्युक्त लाभुकों के कार्ड रद्द होने से उन्हें राशन नहीं मिल रहा है और पेशानियों से जुझना पड़ रहा है;	कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त रद्द कार्डधारियों को पुर्नबहाल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

ह0/–
(संजय कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–4/ज०वि०प्र०/वि०स०/53/2025 3243 /राँची, दिनांक 09/12/25

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या–3183/वि०स०, दिनांक 29.11.2025 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/12/25
सरकार के अवर सचिव।

श्री रोशन लाल चौधरी, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–11.12.2025 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– श्रनि0–04 का उत्तर सामग्री। 2070 10/12/2025

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है रामगढ़ जिला अंतर्गत पतरातू प्रखण्ड पीवीवीएनएल (एनटीपीसी) में दिनांक–22.04.2025 को कारखाना निरीक्षक, हजारीबाग अंचल–01 के द्वारा विभिन्न श्रम कानून एवं फैक्ट्री एक्ट के तहत निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में 50 से अधिक बिंदु पर पाई गई कमियों पर स्पष्टीकरण मांगा गया था लेकिन एजेंसी के द्वारा कर्मियों पर अभी तक कोई सुधार नहीं किया गया है;	अस्वीकारात्मक। कारखाना निरीक्षक, हजारीबाग अंचल–01 के पत्रांक–125 दिनांक–08.12.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक–25.04.2025 के निरीक्षण प्रतिवेदन में कारखाना अधिनियम के वर्णित उल्लघंनों के आलोक में कारखाना प्रबंधन द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है।
2	क्या यह बात सही है, कि रामगढ़ जिला अंतर्गत अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान Jindal Steel & Power Limited (JSPL), Patratu, ब्रहमपुत्रा मैटालिक, IPL, Maa Chhinnmastika Cement and ispat Private Limited (MCCIPL), सीमेंट फैक्ट्री, टायर फैक्ट्री इत्यादि में भी श्रम कानून एवं फैक्ट्री एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है;	स्वीकारात्मक। श्रम अधीक्षक, रामगढ़ के पत्रांक–2229 दिनांक–08.12.2025 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक–06.12.2025 तथा दिनांक–08.12.2025 को उनके द्वारा श्रम अधिनियमों के अंतर्गत Jindal Steel & Power Limited (JSPL), Patratu, ब्रहमपुत्रा मैटालिक, IPL, Maa Chhinnmasika Cement and Ispt Private Limited (MCCIPL) की जाँच की गई। जाँच के क्रम में टायर फैक्ट्री बंद पाया गया एवं ब्रहमपुत्रा मैटालिक, Maa Chhinnmasika Cement and Ispat Private Limited (MCCIPL) में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का उल्लघंन पाया गया है जिस पर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड 1 और 2 में वर्णित संस्थानों में उच्च स्तरीय टीम गठित कर जॉच करा कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका–1 एवं 2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। श्रम अधिनियमों के प्रवर्तन पदाधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
ज्ञापांक–02 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–73 / 2025श्र0नि0– 2070 **राँची, दिनांक–** 10/12/2025

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–3368, दिनांक–04.12.2025 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

श्री कुमार उज्जवल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 11.12.2025 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–10 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि चतरा जिला अन्तर्गत मयूरहंड प्रखंड के हुसिया पंचायत स्थित करकरा में करकरवा नदी पर डैम निर्माण की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात भी सही है कि डैम निर्माण होने से स्थानीय किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा पानी के अभाव से होने वाली कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान हो सकेगा ;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार करकरवा नदी पर डैम निर्माण की योजना का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	उक्त स्थल का विस्तृत सर्वेक्षणोपरान्त तकनीकी संभाव्यता पाए जाने पर लाभ लागत अनुपात, बजटीय उपबंध एवं निधि की उपलब्धता को देखते हुए करकरवा नदी पर चेकडैम या बराज के निर्माण पर निर्णय लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारांकित–90/2025– 6060 /राँची, दिनांक 09.12.25

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3367 वि०स० दिनांक–04.12.2025 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/12/25

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

F:\Boss\Vidhan Sabha\Dec-25\J-10 Kumar Ujjwal.docx

श्रीमती निसात आलम, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–11.12.2025 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–श्रनि0–01 का उत्तर सामग्री।

2071
10/12/2025

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि आई0टी0आई0 कॉलेज, मयुरकोला, बरहरवा, साहेबगंज का भवन का निर्माण कार्य वर्ष 2020 ई0 में पूर्ण हो गया है;	**अस्वीकारात्मक।**
2	क्या यह बात सही है, कि आई0टी0आई0 कॉलेज, मयुरकोला में पढ़ाई अबतक प्रारम्भ नहीं किया गया है, जिससे क्षेत्र के छात्र आई0टी0आई0 की पढ़ाई से वंचित हो रहें है;	**अस्वीकारात्मक।**
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आई0टी0आई0 कॉलेज, मयुरकोला, बरहरवा, साहेबगंज के नव निर्मित भवन में अगले शैक्षणिक सत्र में पढ़ाई प्रारम्भ करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	आई0टी0आई0 कॉलेज, मयुरकोला, बरहरवा, साहेबगंज का भवन श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा स्वीकृत, निर्मित एवं संचालित नहीं है। उपायुक्त, साहेबगंज के पत्रांक –2542/आई0टी0डी0ए0 दिनांक–05.12.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्ष 2012–13 में कल्याण विभाग, झारखण्ड, रांची के पत्रांक–439 दिनांक–19.03.2013 द्वारा एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत बरहरवा प्रखण्ड में आई0टी0आई0 भवन का निर्माण स्वीकृत किया गया है इसलिए इस आई0टी0आई0 भवन में प्रशिक्षण एवं अन्य अग्रेतर कार्रवाई हेतु कल्याण विभाग से अनुरोध किया जा रहा है।

10/12/2025

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02/श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–64/2025श्र0नि0– 2071 राँची, दिनांक– 10/12/2025

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–3150, दिनांक–25.11.2025 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/12/2025

सरकार के अवर सचिव।

E:\San\Rahul\Vidhan Sabha 2025-26\05-64-2025 M & N अ० सू०.docx

डा० नीरा यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–11.12.2025 को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं०–क०–01 का उत्तर सामग्री–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि कोडरमा समेत राज्य के अन्य इलाकों में रह रहे आदिम जनजाति बिरहोर की स्थिति अबतक नहीं सुधर पायी है और ना ही इस साल उन्हें सरकार की ओर से कम्बल का वितरण किया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। कोडरमा जिला अन्तर्गत कम्बल क्रय करने हेतु निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में है। कम्बल आपूर्ति के पश्चात जिलान्तर्गत सभी आदिम जनजाति परिवारों को यथाशीघ्र कम्बल वितरित की जाएगी।
2	क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिला अन्तर्गत मरकच्चों स्थित बिरहोर टोला में अभी तक बुनियादी सुविधाओं का आभाव है और वहां रह रहे बिरहोर अभावग्रस्त जिंदगी व्यतीत कर रहे है;	अस्वीकारात्मक। कोडरमा जिला अंतर्गत मरकच्चों स्थित बिरहोर टोला में बुनियादी सुविधाएं यथा–बिरसा आवास, अबुआ आवास, पी0एम0 आवास, पी0सी0सी0 रोड, पी0एम0 ग्राम सड़क, स्कूल, आंगनबाड़ी सेन्टर, चबुतरा, पेवर ब्लॉक, सोलर जलमीनार, चापानल, सामुदायिक शौचालय, बिजली की सुविधा, मुख्यमंत्री आदिम जनजाति पेंशन, PVTG राशन कार्ड, समय–समय पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन जैसे–बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध है।
3	क्या यह बात सही है कि हाल में उक्त बिरहोर टोला के 35 वर्षीय युवक नरेश बिरहोर की मौत एंबुलेंस नहीं पहुँचने और समय पर ईलाज नहीं होने के कारण हो गयी;	अस्वीकारात्मक। सिविल सर्जन, कोडरमा के पत्रांक–1471, दिनांक–05.12.2025 के अनुसार प्रश्न का उत्तर निम्नवत् हैः– दिनांक–13.11.2025 को सदर सहिया के द्वारा तेलियामारन बिरहोर टाला का गृह भ्रमण के दौरान पाया गया कि 35 वर्षीय युवक नरेश बिरहोर पूर्व से हमेशा शराब की सेवन करते आ रहे हैं, जबकि उन्हें फरका की बीमारी थी। पूर्व में सहिया के द्वारा उन्हें समझाने के बाद भी शराब सेवन नहीं छोड़ा गया। उक्त युवक की बीमार की सूचना दिनांक–13.11.2025 को समय लगभग अपराह्न 05:30 बजे प्राप्त होने के उपरान्त शीघ्रताशीघ्र सहिया के द्वारा एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। परन्तु उसी अवधि में उनकी मृत्यु हो गई।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य में विलुप्त हो रहे बिरहोर समुदाय के संरक्षण और उन्हें बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु सभी उपाय करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यथा वर्णित उपरोक्त कंडिका–02

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापांक–07/वि०स०तारा०–13/2025– 4123 राँची, दिनांक– 10/12/2025

प्रतिलिपिः– अवर सचिव झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–3308, दिनांक–02.12.2025 के क्रम में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/12/25

(जया रेचल मिंज)

सरकार के उप सचिव।

D:\Amof\Kuldeep Sir\2025-26\Vidhan sabha\Question & Ans.docx

6

डॉ० नीरा यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 11.12.2025 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या ऊ०–03 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता डॉ० नीरा यादव, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है, कि कोडरमा जिले के झुमरीतिलैया और अन्य इलाकों में लोग बिजली की कटौती, अनियमित बिजली आपूर्ति और मांग के अनुरूप बिजली नहीं मिलने की समस्या से प्रभावित हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि सरिया ग्रिड (132/33) से एक फीडर 25 एमवीए मरकच्चो आ जाता है और बांझेडीह केटीपीएस (132/33 केवीए) से 25 एमवीए एक और अतिरिक्त सर्किट झुमरीतिलैया ले लिया जाता है तो कोडरमा जिला में बिजली संकट लगभग समाप्त जाएगा;	अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में सरिया ग्रिड से मरकच्चों फीडर को जोड़ने तथा बांझेडीह स्थित केटीपीएस से झुमरीतिलैया के लिए एक अतिरिक्त 25 एमवीए का सर्किट लाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कोडरमा जिले के जयनगर प्रखण्ड के ग्राम महुआटांड़ में JUSNL द्वारा 220/132/33 KV Grid का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है तथा डोमचाँच प्रखण्ड के काराकोट–सिजुआ ग्राम में JUSNL द्वारा 132/33 KV Grid के निर्माण हेतु जमीन अधिग्रहण का कार्य जारी है। इन दोनों ग्रिड के बनने से कोडरमा जिले के झुमरीतिलैया तथा मरकच्चों के लिए दो Power Source से विद्युत आपूर्ति प्रारंभ हो जायेगी, जिससे कोडरमा जिले के विद्युत उपभोक्ताओं को नियमित विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी एवं DVC पर निर्भरता न्यूनतम रह जायेगी।

झारखण्ड सरकार
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक.....1682...../ दिनांक..09/12...../2025

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–3306, दिनांक–02.12.2025 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/12/25

(मो. मुस्तकिम अंसारी)
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री अमित कुमार, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–11.12.2025 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–श्रनि0–03 का उत्तर सामग्री।

2057
09/12/2025

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि, विभाग के ज्ञापांक–341 दिनांक–27.02.2025 द्वारा संसूचित है कि रॉची जिलान्तर्गत सोनाहातु एवं सिल्ली में सत्र 2025–26–27 से प्रशिक्षण प्रारंभ किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि, इस संबंध में अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अपने प्रतिवेदन के अनुसार प्रशिक्षण प्रारंभ करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सोनाहातू के संचालन हेतु Public Private Partnership (PPP) Mode में दिनांक–22.01.2025 को आवंटित की गयी है। परन्तु संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा अभी तक संचालन नहीं किया गया है, जो MoA का उल्लंघन है। संबंधित प्रतिष्ठान को कारणपृच्छा कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिल्ली के भवन निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। जिला अभियन्ता जिला परिषद्, रॉची द्वारा सूचित किया गया है कि वारिश के कारण कार्य बाधित था। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। भवन के हस्तगत होने के पश्चात् प्रशिक्षण प्रारंभ करने की कार्रवाई की जाएगी।

09/12/2025

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–72 / 2025श्र0नि0– 2057 **राँची, दिनांक–** 09/12/2025

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–3347, दिनांक–03.12.2025 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

09/12/2025

सरकार के अवर सचिव।

श्री चन्द्रदेव महतो, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–11.12.2025 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–कृष–01 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री चन्द्रदेव महतो, मा0स0वि0स0, झारखण्ड	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला अंतर्गत गोविंदपुर प्रखंड के मोरंगा, कंचनपुर, जयनगर, मरिचो, पथरिया, तिलैया, नगरकियारी और बलियापुर प्रखंड के बाघमारा, पलानी, बड़ादाहा, घइबड, दोलाबद्, प्रधानखतां, दूधिया, जगदीश, बिरसिंगपुर कृषि बहुल क्षेत्र है, परंतु किसानों के फसल बीज के भंडारण हेतु कोल्ड स्टोरेज का निर्माण अब तक नहीं कराया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। गोविंदपुर प्रखण्ड अन्तर्गत गोविंदपुर पैक्स में 30एम0टी0 कोल्ड रूम एवं विराजपुर पैक्स में 05एम0टी0 सोलर कोल्ड रूम का निर्माण किया गया है। बलियापुर प्रखण्ड में पलानी पैक्स अन्तर्गत 30एम0टी0 कोल्ड रूम का निर्माण किया गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2023–24 अंतर्गत बड़ादाहा पंचायत के रघुनाथपुर पैक्स में 05एम0टी0 सोलर कोल्ड रूम का निर्माण किया जाना स्वीकृत है।
2.	यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में उपरोक्त वर्णित स्थान सहित राज्य के वैसे प्रखंड मुख्यालय जहां कोल्ड स्टोरेज की सुविधा नहीं है, सरकार अविलंब कोल्ड स्टोरेज निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य में प्रखण्ड स्तर पर कोल्ड रूम के निर्माण से संबंधित सरकार स्तर पर कोई भी योजना विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक–03/बजट (विधानसभा)–तारांकित–51/2025 सह0 1357 /राँची, दिनांक– 06/12/25

प्रतिलिपिः–सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0–3151 वि0स0 दिनांक–25.11.2025 के क्रम में सूचनार्थ एवं 200 चक्रलिखित प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.12.25

(राघवेन्द्र झा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\S1\Murmu\2025-26\Vidhan sabha Question.docx

श्री अनन्त प्रताप देव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-11.12.2025 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-ज०-05 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के डंडई प्रखण्ड अंतर्गत पचांयत-पचौर, ग्राम-सुअरजांघा में "कुशुमदाहा डैम" का निर्माण अति आवश्यक है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित डैम के निर्माण से पचौर पंचायत अंतर्गत पचौर, बालेखांड़, सुअरजंघा, लावादुनी, डेलंगी, लवाहीकला, लवाहीखुर्द, फूलवार, तसरार और जरही के लगभग 20 हजार किसानों को कृषि कार्य का लाभ मिलेगा ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित कुशुमदाहा डैम के निर्माण का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	योजना का विस्तृत सर्वेक्षोपरांत प्राक्कलन तैयार कर लाभ--लागत अनुपात, बजटीय उपबंध एवं निधि की उपलब्धता के आलोक में योजना के निर्माण हेतु निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक-6/ज०सं०वि०-20-तारांकित-84/2025....5998 / राँची, दिनांक-6/12/2025

प्रतिलिपि :-(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक-3303 दिनांक-02.12.2025 के क्रम में ~~05 (पांच)~~ 200 (दो सौ) प्रति अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/12

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

D:\Abhi\My documents\2025-26\vidhan sabha 2026-27\Sri anant pratap dev_6_20_T_84_25.docx

श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 11.12.2025 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–08 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिले के बरगड़ प्रखण्ड अन्तर्गत कनहर नदी के कटाव से ग्राम टेंगारी, बरगड़, उगरा, गोठानी, महुआटिकर की किसानों की भूमि प्रत्येक वर्ष जल समाधि लेता जा रहा है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित ग्रामों में नदी से होने वाले भूमि कटाव से किसानों की कृषि योग्य भूमि लगातार घट रही है, जिससे इनके जीविको पार्जन पर संकट मंडरा रहा है ;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित ग्रामों में नदी से होने वाले प्रभावित भूमि का सर्वे कराकर गार्डवॉल/Flood Protection Solution निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय पत्रांक– 738, दिनांक 14.10.2025 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं को वर्ष 2025 के लिए कटाव निरोधक कार्यों का प्रस्ताव तकनीकी सलाहकार समिति (TAC) को समर्पित करने का निदेश दिया गया है। प्रश्नगत स्थल का क्षेत्रीय कटाव निरोधक समिति के निरीक्षणोपरान्त प्रस्ताव प्राप्त होने तथा राज्य तकनीकी सलाहकार समिति (TAC) एवं योजना समीक्षा समिति (SRC) से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर कटाव निरोधक कार्य हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारांकित–87/2025– 6001 /राँची, दिनांक 6/12/25

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3300 वि०स० दिनांक–02.12.2025 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/12/25

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

E:\Docs\Vidhan Sabha\Dec-25\1 08 Alok Kumar Chourasia.docx

श्री नरेश प्रसाद सिंह माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 11.12.2025 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–09 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिलान्तर्गत बरडीहा प्रखण्ड के ग्राम कौवाखोह एवं काडी प्रखण्ड के ग्राम भरत पहाड़ी के बीच से होकर बांयी बांकी सिंचाई योजना नहर का निर्माण हुआ है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त वर्णित प्रखण्डों के निम्नांकित ग्रामों के बीच सटे पश्चिम दिशा में घने जंगल पहाड़ से बरसात के दिनों में चार कोण से पानी निकलता है जो डैम में जमा न होकर बांयी बांकी नहर के नीचे से बह जाता है जिससे किसानों को सिंचाई का लाभ नहीं मिल पा रहा है ;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त वर्णित ग्रामों के बीच बांयी बांकी नहर के एक साईड वॉल देकर जंगल पहाड़ से निकले हुए पानी के Over Top करा कर नहर में डाल देने से किसानों को सिंचाई का लाभ दुगना मिलेगा ;	सर्वेक्षणोपरान्त तकनीकी संभाव्यता के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित ग्रामों के बीच बांयी बांकी नहर के एक साईड वॉल देकर जंगल पहाड़ से निकले हुए पानी को Over Top करा कर नहर में डालकर किसानों को सिंचाई का दुगुना लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारांकित–88/2025– 6002 /राँची, दिनांक 6/12/2025

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3346 वि०स० दिनांक–03.12.2025 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/12/25

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

E:\Boss\Vidhan Sabha\Dec-25\J-09 Naresh Prasad Singh.docx

4/C

श्री जर्नादन पासवान, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-11.12.2025 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-कृष-02 का उत्तर प्रतिवेदन :-

प्रश्नकर्त्ता- श्री जर्नादन पासवान, मा0स0वि0स0		उत्तरदाता-माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार की एक जिला एक उत्पाद (One District One Product) नीति के तहत चतरा जिला में टमाटर उत्पाद का चयन है;	आंशिक स्वीकारात्मक। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक- F. No.-11-26/2019-NFSM दिनांक-11.05.2021 द्वारा निर्गत One District One Focus Produce की सूची में चतरा जिला के लिए Focus Produce के रूप में Tomato चयनित है।
2	क्या यह बात सही है कि चतरा जिला में टमाटर की खेती लगभग 6000 हे0 में होती है तथा लगभग 3.56 मि0टन है, जो उत्पादन के क्षेत्र में झारखण्ड के अग्रणी जिला में से है;	चतरा जिला में टमाटर की खेती लगभग 3036.20 हे0 में होती है तथा कुल उत्पादन लगभग 4.85 मि0टन है।
3	क्या यह बात सही है कि चतरा जिला में इतना व्यापक मात्रा में टमाटर का उत्पादन होने के बावजूद जिला में टमाटर के उपयोग जैसे केचअप, टोमैटो सॉस इत्यादि निर्माण का कोई सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित नहीं है;	उद्योग विभाग से संबंधित है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चतरा जिला में किसानों के लिए कोई मंडी (बाजार) विकसित करने पर विचार रखती है, साथ ही टमाटर उत्पाद की क्षमता को देखते हुए जिला में इस उत्पाद के उपयोग के लिए कोई लघु उद्योग स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	सम्प्रति "कृषि निर्यात एवं कृषि विपणन-सह-पोस्ट हार्वेस्ट आधारभूत संरचना का विकास" योजनान्तर्गत के अन्तर्गत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में टमाटर के सॉर्टिंग एवं ग्रेडिंग इकाई चतरा जिला में भी स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। लघु उद्योग स्थापित करने का कार्य कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-03/कृ0वि0स0(ता0)-05/2025 2699 कृ0, राँची, दिनांक-10-12-2025

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-3185/वि0स0 दिनांक-29.11.2025 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.12.25

(विभाष चन्द्र सिंह)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ0वि0स0(ता0)-05/2025 2699 कृ0, राँची, दिनांक-10-12-2025

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, प्रशाखा-09, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.12.25

सरकार के उप सचिव।

डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 11.12.2025 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–06 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत पांकी विधान–सभा क्षेत्र की 90 प्रतिशत कृषि पर आश्रित जनता, समुचित सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने के कारण अधिकतर किसान आशा अनुरूप खेती नहीं कर पाते है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि चाको, सोनरे एवं जमुने जैसी अत्यंत महत्वकांक्षी सिंचाई परियोजनाएँ वर्षों से संबंधित मंत्रालय में स्वीकृति हेतु लंबित है ;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि पांकी विधान–सभा क्षेत्र अन्तर्गत पिरी सिंचाई परियोजना का डी०पी०आर० बनाने का कार्य वर्षों से लंबित है ;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त तीनों खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार चाको, सोनरे एवं जमुने सिंचाई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर ससमय निर्माण कराने तथा पिरी सिंचाई परियोजना का डी०पी०आर० बनवाकर, स्वीकृति प्रदान कर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पिरी सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य का डी०पी०आर० सूत्रण कार्य प्रक्रियाधीन है। बजट उपबंध एवं क्षेत्रीय संतुलन के मद्देनजर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त योजना का कार्यान्वयन कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारांकित–85/2025– 5999 /राँची, दिनांक 6/12/2025

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3302 वि०स० दिनांक–02.12.2025 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा--6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/12/25

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

.docx

श्री उदय शंकर सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 11.12.2025 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या ऊ०–04 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री उदय शंकर सिंह, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि सारठ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत MUJY योजना के तहत 400 नए टोलों–महल्लों में विद्युत आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे मात्र 10 प्रतिशत तक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराई जा सकी है;	आंशिक स्वीकारात्मक। सारठ प्रखण्ड में मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखण्ड योजना (MUJY) के अन्तर्गत 15 नए टोले/ मोहल्लों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वहीं पालोजोरी प्रखण्ड में 32 नए टोले/मोहल्लों के विद्युतीकरण का कार्य मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखण्ड योजना (MUJY) अन्तर्गत किया जा रहा है, जिसे पूर्ण करने का लक्ष्य मार्च 2026 तक है।
2. क्या यह बात सही है कि सारठ विधान सभा क्षेत्र के प्रखण्ड क्रमशः सारठ, पालोजारी तथा करमाटाँड़ अन्तर्गत LUMINO कम्पनी द्वारा खुले एल०टी० तार, एवं एच०टी० तार को अंडर केबलिंग में बदलने तथा Distribution Transformer मांग के अनुपात में स्थापित नहीं हुई है, जिससे विद्युत संचरण व्यवस्था में कठिनाईयाँ हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। सारठ विधान सभा क्षेत्र के प्रखण्ड क्रमशः सारठ, पालोजोरी तथा करमाटांड के अन्तर्गत RDSS योजना के तहत एजेंसी Lumino कम्पनी द्वारा खुले एल०टी० तार को Arial Bunch Cable में आवश्यकता अनुसार बदलने एवं Distribution Transformer आवश्यकता अनुसार स्थापित किया जा रहा है, जबकि एच0टी0 तार को भूमिगत केबल (अन्डरग्राउंड केबलिंग) में बदलने का प्रावधान स्वीकृत RDSS योजना में नहीं है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कि खण्ड–01 में वर्णित कार्य को निर्धारित समय में पूर्ण करने एवं खण्ड–02 में वर्णित कार्य को प्राक्कलन व माँग के अनुरूप अविलम्ब पूर्ण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखण्ड योजना (MUJY) का कार्य सारठ विधान सभा के सारठ एवं पालोजोरी प्रखण्ड में मार्च 2026 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। RDSS योजना का कार्य सितंबर–2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक.....1679...../ दिनांक 09/12/2025

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं.–3366, दिनांक–04.12.2025 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/12/25

(मो. मुस्तकीम अंसारी)
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री विकास कुमार मुण्डा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 11.12.2025 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या ऊ०–01 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री विकास कुमार मुण्डा, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि ऊर्जा विभाग के अपने पत्रांक संख्या–1542, दिनांक–02.08.2023 के माध्यम से मांग के पश्चात खूंटी जिला के अड़की प्रखण्ड में एक नए विद्युत सब स्टेशन 2024–25 में पूर्ण करने को स्वीकार किया था;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि 2025 वित्तीय वर्ष बीतने को कुछ माह शेष है, परंतु अब तक उक्त कार्य की निविदा नहीं निकली है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सब स्टेशन निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रस्तावित स्थान पर नया विद्युत शक्ति उपकेन्द्र निर्माण के लिए आवश्यक भूमि आवंटन हेतु विद्युत कार्यपालक अभियंता, खूँटी द्वारा पत्रांक 10216 दिनांक 06.09.2023, 1466 दिनांक 29.11.2025 एवं पत्रांक 897 दिनांक 23.06.2025 द्वारा उपायुक्त, खूँटी को पत्राचार किया गया है। उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने पर प्रस्तावित सब–स्टेशन का निर्माण कार्य आरम्भ की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक.....1684...../ दिनांक...09/12...../2025

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–3184, दिनांक–29.11.2025 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/12/25

(मो. मुस्तकिम अंसारी)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

षष्ठम् झारखण्ड विधान–सभा
संख्या–04

चतुर्थ (शीतकालीन) सत्र
बुधवार, दिनांक–10 दिसम्बर, 2025 ई०।

समय–11.00 बजे पूर्वा० से 02.20 बजे अप० तक।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1.प्रश्नकालः–

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ–

(कुल अल्पसूचित प्रश्नों की संख्या–18)

(क) उत्तरित कुल–03

क्रम सं०–68,	अ०सू०–08	श्री शत्रुघ्न महतो,	स०वि०स०,
क्रम सं०–69	अ०सू०–13	प्रो० स्टीफन मराण्डी,	स०वि०स०,
क्रम सं०–70,	अ०सू०–04	श्री हेमलाल मुर्मू,	स०वि०स०।

(ख) अनागत कुल–15 क्रम सं०–71 से 85 तक।

(कुल तारांकित प्रश्नों की संख्या–60)

(क) उत्तरित कुल–04

तारां० क्रम सं०–29,	श्री रामचन्द्र सिंह, (दिनांक–09.12.2025 से स्थगित।)	स०वि०स०,
तारां० क्रम सं०–64,	श्री सुदीप गुड़िया,	स०वि०स०,
तारां० क्रम सं०–65,	श्रीमती पूर्णिमा साहू,	स०वि०स०,
तारां० क्रम सं०–66,	श्री कुमार उज्ज्वल,	स०वि०स०।

(ख) स्थगित मात्र–01

तारां० क्रम सं०–67,	श्री अमित कुमार,	स०वि०स०।

(ग) अनागत कुल–56, तारां० क्रम संख्या–68 से 123 तक।

2.शून्यकालः–

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–303 के तहत आज के लिए स्वीकृत शून्यकाल की सूचनाएँ निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी गयीः–

श्री मंगल कालिन्दी,
श्री चन्द्रदेव महतो,
श्रीमती मंजु कुमारी,
श्रीमती पूर्णिमा साहू,
श्री जनार्दन पासवान,
श्री शत्रुघ्न महतो,

श्री कुमार उज्ज्वल,
श्री जयराम कुमार महतो,
श्री निर्मल महतो,
श्री भूषण तिर्की,
श्री राम सूर्या मुण्डा,
श्री अनन्त प्रताप देव,
श्री रामचन्द्र सिंह,
श्री नागेन्द्र महतो,
श्री अमित कुमार,
श्री संजीव सरदार,
श्री समीर कुमार मोहन्ती,
श्री सोमेश चन्द्र सोरेन,
श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी,
श्री सुदीप गुड़िया,
श्री अरूप चटर्जी,
श्री उमाकांत रजक,
श्री नरेश प्रसाद सिंह,
श्री दशरथ गागराई,
श्री भूषण बड़ा।

3.ध्यानाकर्षण की सूचनाएँ:--

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम--147 के तहत प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना एवं उनपर दिये गये वक्तव्य निम्नवत् हैं--

I-माननीय सदस्य, श्री दशरथ गागराई द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

II-माननीय सदस्य, श्री राज सिन्हा द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

III-माननीय सदस्य, प्रो० स्टीफन मराण्डी द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

Iv-माननीय सदस्य, श्री मनोज कुमार यादव द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

4.सूचना का दिया जाना:--

प्रथम पाली की कार्यवाही के दौरान निम्न सूचनाएँ प्राप्त हुई--

(क) माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री बाबू लाल मराण्डी द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसके आधार पर दिल्ली स्थित झारखण्ड भवन में माननीय सदस्यगण एवं पदाधिकारियों एवं सिर्फ उनके परिजन ही अनुशंसा पर रह सकेंगे। ये गम्भीर विषय है जिसकी जाँच कराकर इसमें संशोधन कराया जाय ताकि माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर उनके क्षेत्र के लोगों को भी झारखण्ड भवन में रहने की अनुमति मिले जिसपर संसदीय कार्यमंत्री, श्री राधा कृष्ण किशोर ने संज्ञान लेते हुए इसपर सम्यक् विचार करने का आश्वासन दिया।

(ख) माननीय सदस्य, श्री नवीन जयसवाल ने आसन को सूचित किया कि डॉ० नीरा यादव अपने कतिपय माँगों को लेकर धरने पर बैठी हुई हैं कृपया उन्हें ससम्मान सदन में लाया जाय तदुपरांत आसन की अनुमति से माननीय सदस्या, डॉ० लुईस मराण्डी एवं श्रीमती पूर्णिमा साहू द्वारा उन्हें सदन में लाया गया।

(ग) माननीय सदस्य, श्री अनन्त प्रताप देव द्वारा सदन को सूचित किया गया कि पूर्व में माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर 10 चापानल प्रावधानित था जिसे पुनः लागू किया जाय।

(घ) माननीय सदस्य, श्री सुरेश पासवान द्वारा सदन को सूचित किया गया कि पिछले सत्र के दौरान उनकी सूचना पर संज्ञान लेने का आश्वासन दिया गया था कि पुनासी जलाशय योजना के माध्यम से देवघर शहरवासियों को जलापूर्त्ति की जाएगी, जो अब तक पूरी नहीं हुई है।

(च) माननीय सदस्य, डॉ० नीरा यादव द्वारा सदन को सूचित किया गया कि पी०जी० के मेडिकल छात्राओं को उनके मातृत्व अवकाश में रहने पर वेतन नहीं दिया जाता है साथ ही आगामी परीक्षाओं में भी उन्हें शामिल होने से वंचित किया जाता है, जिसे संज्ञान लेकर समाधान किया जाय।
(छ) माननीय सदस्य, डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता द्वारा सदन को सूचित किया गया कि उनके विधान सभा क्षेत्र के मनातू, तरहसी एवं अन्य जगहों पर तीन साल से बी०डी०ओ० एवं सी०ओ० नहीं हैं जिससे महत्वपूर्ण कार्य बाधित रहता है, सरकार इसे संज्ञान लेकर यथाशीघ्र इनकी प्रतिनियुक्ति करे।
(ज) माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री बाबू लाल मराण्डी द्वारा सदन को सूचित किया गया कि पूर्वी सिंहभूम के डी०सी० के द्वारा अक्टूबर में अजय मुण्डा नामक बीमार बच्चे की समुचित ईलाज का आदेश दिया गया था, परन्तु विभाग के कर्मचारी दिसम्बर में गये तब तक उस बच्चे की मौत हो चुकी थी। जो अत्यंत गम्भीर विषय है जिसकी अविलम्ब जाँच कराकर दोषियों पर समुचित कार्रवाई की जाय।

(अन्तराल)

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

8.विधायी कार्य:–

1. उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग, माननीय प्रभारी मंत्री, श्री सुदिव्य कुमार के द्वारा दिनांक–02 अगस्त, 2023 को सभा द्वारा पारित **"सी०वी०रमण ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक, 2023"** को झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–110 के अधीन सदन की स्वीकृति के उपरांत वापस लिया गया।
2. उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग, माननीय प्रभारी मंत्री, श्री सुदिव्य कुमार के द्वारा दिनांक–02 अगस्त, 2023 को सभा द्वारा पारित **"आरोग्यम् इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2023"** को झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–110 के अधीन सदन की स्वीकृति के उपरांत वापस लिया गया।
3. उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग, माननीय प्रभारी मंत्री, श्री सुदिव्य कुमार के द्वारा दिनांक–21 मार्च, 2023 को सभा द्वारा पारित **"जैन विश्वविद्यालय विधेयक, 2023"** को झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–110 के अधीन सदन की स्वीकृति के उपरांत वापस लिया गया।
4. उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग, माननीय प्रभारी मंत्री, श्री सुदिव्य कुमार के द्वारा दिनांक–20 दिसम्बर, 2023 को सभा द्वारा पारित **"शाईन नेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2023"** को झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–110 के अधीन सदन की स्वीकृति के उपरांत वापस लिया गया।

राजकीय विधेयक:–

"झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन (संशोधन) विधेयक, 2025"

माननीय प्रभारी मंत्री, पर्यटन, कला–संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, श्री सुदिव्य कुमार द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड–02, खण्ड–03, खण्ड–04, खण्ड–05 एवं 06, खण्ड–07, खण्ड–08 से 10, खण्ड–11, खण्ड–12, खण्ड–01, प्रस्तावना तथा नाम बारी–बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात् **"झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन (संशोधन)विधेयक, 2025"** सभा द्वारा टंकणीय भूल संशोधन के साथ स्वीकृत हुआ।

माननीय सदस्य, श्री राज सिन्हा एवं माननीय सदस्य, श्री नवीन जयसवाल द्वारा विधेयक को प्रवर समिति में भेजने सम्बन्धी संशोधन एवं अन्य संशोधन तथा माननीय सदस्य, श्री जयराम कुमार महतो द्वारा प्रस्तुत संशोधन ध्वनिमत से अस्वीकृत हुआ।

तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक–11.12.2025 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

रंजीत कुमार,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

राँची,
दिनांक–10 दिसम्बर, 2025 ई०।

झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

षष्ठम झारखण्ड विधान-सभा

चतुर्थ-(शीतकालीन)-सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 11.12.2025 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	डॉ0 नीरा यादव स0वि0स0	झारखण्ड में छोटे परंतु अत्यंत गंभीर मामलों को सरकार को गंभीरता से लेने की जरूरत है। राज्य में सभी जगहों पर सड़क हादसों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और युवा ही इसके अधिक शिकार हो रहे हैं। इसपर प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक पहल और उपाय करने की जरूरत है। जागरूकता ही बचाव है, इसके संदेश के साथ ही स्पेशल ड्राइव चलाकर लोगों को शराब पीकर वाहन चलाने, मोबाइल का उपयोग करते हुए वाहन चलाने पर प्रभावी नियंत्रण करना जरूरी है। सड़कों पर डेंजर जोन के पास रंबल स्ट्रीप और साइनेज लगाने की जरूरत है। वही घटना के बाद त्वरित इलाज के लिए हर जिले में ट्रामा सेंटर चालू किया जाए। राज्य के सभी प्रखंड स्वास्थ्य केन्द्रों में पोस्टमार्टम की व्यवस्था शुरू की जा सकती है तो वहीं हर प्रखंड मुख्यालय में अग्निशमन केंन्द्र की व्यवस्था आज की जरूरत है। एक और महत्वपूर्ण मामले की ओर ध्यान आकृष्ट कराना है कि आग	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन

01.	02.	03.	04.
		लगने की खबर के बाद जब तक जिला मुख्यालय से वाहन पहुँचता है, बड़ा नुकसान हो चुका होता है। इसलिए हर प्रखंड में अग्निशमन केंद्र की व्यवस्था की जाय।	
02-	श्री सुरेश पासवान स0वि0स0	मेरे विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत मोहन पुर प्रखण्ड के हेल्प सब सेन्टर नावाकुरा NH-133 मेन रोड से वोकनाटोला पथ का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कराया जा रहा है। इस पथ में संवेदक मुकेश कुमार सिंह है। संवेदक द्वारा बिना मुझे बताए पथ निर्माण कार्य किया जा रहा है। जब मेरे प्रतिनिधियों द्वारा यह कार्य की जानकारी लेने पर संवेदक द्वारा यह कहा जाना की निर्माण कार्य में विधायक द्वारा शिलान्यास कराने का कोई नियम नहीं है। और मेरे विरूद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने से मैं दूखी है। इस सम्बन्ध में विभागीय अभियन्ताओं द्वारा भी घोर लापरवाही वरती गई हैं यह जनप्रतिनिधि अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि उपरोक्त बिन्दुओं पर उच्चस्तरीय जाँच करवा कर दोषी संवेदक पर उचित कार्रवाई की जाए।	ग्रामीण कार्य
03-	श्री उमाकंत रजक स0वि0स0 श्री अरूप चटर्जी स0वि0स0 श्री भूषण बड़ा स0वि0स0	स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखण्ड सरकार का मुख्य उद्देश्य स्वस्थ झारखण्ड खुशहाल झारखण्ड। परन्तु झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या- 13 (13), दिनांक- 24.01.2025 में वर्णित कंडिका-3 के अन्तर्गत Category-A,B,C के बीमारियों के चिकित्सा हेतु 05 (पाँच) लाख रूपये तथा गंभीर बीमारियों के लिए 10 (दस) लाख रूपये अधीसीमा निर्धारित की गई हैं। इसके अन्तर्गत बीमा कम्पनी द्वारा अलग-अलग बीमारियों के लिए अलग-अलग व्यय की सीमा निर्धारित की गई है। साथ ही कई अस्पतालों में कैशलेश की सुविधा नहीं होने के कारण	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

कृ0पृ0उ0

01.	02.	03.	04.
		तत्क्षण चिकित्सा राशि उपलब्ध करने में काफी कठिनाईयाँ होती है। अतएव उपरोक्त संकल्प में अंकित कंडिका–3 के अन्तर्गत Category-A,B, और C के बीमारियों के चिकित्सा हेतु अंकित राशि 05 (पाँच) लाख के स्थान पर 10 (दस) लाख एवं गंभीर बीमारियों के लिए 10 (दस) लाख के स्थान पर 15 (पन्द्रह) लाख करने के साथ ही किसी भी बीमारी के चिकित्सा के लिए सम्पूर्ण बीमित राशि में से चिकित्सा में हुए सम्पूर्ण व्यय राशि का भुगतान किये जाने तथा राज्य सरकार के सूची अन्तर्गत अस्पतालों में कैशलेस की सुविधा कराने के साथ ही राज्य एवं राज्य के बाहर किसी भी अस्पतालों में चिकित्सा कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	
04–	श्री निर्मल महतो स0वि0स0 श्री कुमार उज्जवल स0वि0स0	झारखण्ड सरकार की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ई कल्याण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024–2025 में पोस्ट मैट्रिक पाठ्यक्रमों इंटरमीडिएट, डिपलोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी या उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा में अध्ययनरत SC और ओबीसी के 5,16,266 छात्रों–छात्राओं को से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। छात्रवृत्ति नहीं मिलने से कॉलेजों फी बकाया के कारण इंटरमीडिएट, डिपलोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी या उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा की परीक्षा फॉर्म भी भर नहीं पा रहे हैं। जिसके कारण लाखों छात्र–छात्राएँ पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। अतः आपके माध्यम से सरकार से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान शीघ्र कराने की मांग करता हूँ।	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण

01.	02.	03.	04.
05-	श्री राजेश कच्छप स0वि0स0 श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी स0वि0स0 श्री भूषण बड़ा स0वि0स0	राज्य में 134 गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय एकीकृत बिहार के समय से ही सूदूर ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में समाज के सभी वर्गो के बच्चों की Ouality Education में सदैव अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं। राज्य गठन के बाद भी विद्यालय इमानदारी पूर्वक अपनी दायित्वों का निर्वहन कर रहें है लेकिन इस संस्थानों में पिछले 22 माह से 150 शिक्षकों का नियुक्ति अनुमोदन निदेशालय में धूल फांक रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की Latter No- 1443, दिनांक- 23/08/2021 से प्रभावित शिक्षक/प्र0अ0 को विद्यालय में योगदान की तिथि से वेतन भुगतान भी लंबित रखें गये है जबकि Latter No- 2624, दिनांक- 18/09/2024 तथा Latter No- 3395, दिनांक- 24/12/2024 के आलोक में जिलों से प्रतिवेदन भी प्राप्त हो चुका है। इतना ही नहीं पत्रांक- 2837, दिनांक- 24/12/1999 का अनुपालन में कोताही बरती जा रही है। अतः Doctorine of Welfare State के तहत आसन के माध्यम से सरकार से यथाशीघ्र निर्णय लिये जाने की मांग सरकार से करता हूँ।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता

राँची,
दिनांक- 11 दिसम्बर, 2025 ई0।

रंजीत कुमार
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ0पृ0उ0-

ज्ञाप सं0–ध्या0प्र0 –54/2025–...../वि0स0,राँची,दिनांक–

प्रतिः– झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/नेता विरोधी दल/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/ सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/सचिव, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्प संख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वीरेन्द्र कुमार 10.12.25

(वीरेन्द्र कुमार)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0–ध्या0प्र0–54/2025–3464/वि0स0,राँची,दिनांक– 10.12.25

प्रतिः– अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

वीरेन्द्र कुमार 10.12.25

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष

10/12/25

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

षष्ठम झारखण्ड विधान सभा के चतुर्थ (शीतकालीन) सत्र में दिनांक–11.12.2025 को सदन में लिये जाने वाले गैर सरकारी संकल्पों की श्लांकित सूची:–

क्र0सं0	मा0 सदस्यो का नाम	संकल्प का विषय	संबंधित विभाग
01.	02	03	04
01.	श्री जगत माझी स0वि0स0	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्तावं करती है कि वन पट्टाधारियों के जाति प्रनाण पत्र नहीं वनने के कारण वन पट्टाधारियों के अलावा उनके वच्चे शिक्षा के साथ–ही–साथ अन्य जनाकांक्षी सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। अतः नैं सरकार से नाँग करता हूँ कि वन पट्टाधारियों का यथाशीघ्र जाति प्रमाण पत्र वनाने का कार्य किया जाय।	राजस्व,निर्वचन एवं भूनि सुधार।
02.	श्री देवेन्द्र कुंवर स0वि0स0	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्तावं करती है कि राज्य के संथाल परगणा प्रनंडल नें पिछड़ो, अति पिछड़ों की आवादी कुल जनसंख्या–69,69,097 का साठ प्रतिशत से अधिक है; परन्तु आरक्षण 'शून्य' कर दिया गया है। आरक्षण 'शून्य' हो जाने से इतनी वड़ी आवादी का अस्तित्व खतरे नें है, जो संविधान की अनुच्छेद–14 से 18 का स्पष्टतः उललंधन है। संथाल परगणा प्रनंडल नें निवासित पिछड़ों /अति–पिछड़ों की जीवन स्तर एवं सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक प्रगति में व्यापक अवरोध पैदा हो गई है। अतः आसन के माध्यन से संथाल परगणा प्रनंडल में पिछड़ों /अति पिछड़ों का आरक्षण पुनर्बहाल करने तथा इनका अस्तित्व अक्षुण बनाये रखने की माँग सरकार से करता हूँ।	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा।
03	श्री आलोक कुमार चौरसिया स0वि0स0	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि मेरे डालटेनगंज विधान–सभा क्षेत्र के भंडरिया प्रखंड (गढ़वा जिला) के ग्राम तिहारो हरता में कोयला का भंडार प्रचुर मात्रा में है। यदि सरकार राजस्व हित एवं जनहित को ध्यान में रखकर खनन् कार्य चालू कर देती है तो यहाँ के स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध होगें एवं सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी होगी। अतः उक्त परिपेक्ष्य में जनहित में माँग करता हूँ कि उक्त वर्णित स्थल पर राज्य सरकार सर्वे कराकर खनन् कार्य चालू करें।	खान एवं भूतत्व।

क्र0सं0	मा0 सदस्यो का नाम	संकल्प का विषय	संबंधित विभाग
01	02	03	04
04.	श्रीमती निसात आलम स0वि0स0	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि साहेबगंज जिला मुख्यालय से बड़हरवा प्रखंड मुख्यालय की दूरी लगभग 72 कि0मी0 है, जबकि पाकुड़ जिला मुख्यालय से बड़हरवा प्रखंड मुख्यालय की दूरी मात्र 22 कि0मी है। अतएव साहेबगंज जिला से बड़हरवा प्रखंड को अलग कर पाकुड जिला में शामिल करने की वर्षो पुरानी आमजनों की माँग को महत्व देते हुए सरकार बड़हरवा प्रखंड को पाकुड़ जिला में शामिल करने संबंधी विषयों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें।	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा।
05.	श्री संजीव सरदार स0विस0	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि भूमिज जनजाति समुदाय की आबादी चार लाख से अधिक है, जो झारखण्ड राज्य के धालभूम, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला –खरसावां जिले में प्रमुख रूप से निर्वासित है, पूर्व की परीक्षाओं में जैसे टेट–2016, वनरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा–2014,कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा–2015 में भूमिज भाषा सम्मिलित थी तथा अनेक अभ्यार्थिगण उक्त भाषा के सम्मिलित थे तथा अनेक अभ्यार्थिगण उक्त भाषा (भूमिज) में परीक्षा देकर नियुक्ति प्राप्त किये थे, लेकिन 2023 में जारी संशोधित नियमावलीयों में भूमिज भाषा को सूची से विलोपित कर दिया गया। जिसके कारण भूमिज समुदाय में गहरा असंतोष व्याप्त है। यह कृत्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 350(A) में प्रावधानित स्थानीय जनजातीय भाषाई सुरक्षा का हनन् है, जो बेहद गंभीर विषय है। अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में 10th JTET, JPSC द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भूमिज भाषा को पुनः शामिल किया जाय।	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा।

आकाश

01	02	03	04
06	श्री अरूप चटर्जी स0वि0स0	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि "धनबाद जिला अन्तर्गत चिरकुण्डा से बलियापुर सड़क भाया पतलाबाड़ी (लंबाई 25 कि0मी0) जनसंख्या बहुलता लिए हुए आस-पास के ग्रामीण इलाकों की शहरी Connectivity एवं आमदरफ्त का एक मुख्य क्षेत्रिय सड़क है, इसलिए उक्त सड़क का 07-10 मीटर चौड़ीकरण के साथ इसके दोनों किनारे कंक्रीट ड्रेनेज एवं Road Marking Cat's Eye Reflector स्ट्रीट लाईट के साथ सुसज्जित कर इस कार्य योजना के पुनर्निर्माण प्रस्ताव को स्वीकृत कराते हुए अविलम्ब कार्यान्वित किया जाय।	नगर विकास एवं आवास
07	श्री सुदीप गुड़िया स0वि0स0	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि तोरपा विधान सभा क्षेत्र एक विस्तृत आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहाँ लगभग 2.6 लाख से अधिक की जनसंख्या निवास करती है। यहाँ के ग्रामीण एवं दूरस्थ इलाकों में शिक्षा की स्थिति सुधारने के लिए गणवतापूर्ण एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में तोरपा, रनियाँ,बानो तथा कर्रा प्रखण्ड के युवाओं को B.Ed/D.El.Ed. के लिए रांची, बुंडू, सिमडेगा, लोहरदगा या राज्य के अन्य जिलों की ओर जाना पड़ता है। इससे आर्थिक बोझ बढ़ता है। गुणवतापूर्ण प्रशिक्षण सभी को उपलब्ध नहीं हो पाता है। छात्राओं एवं ग्रामीण युवा वर्ग को दूरी के कारण अवसर नहीं मिल पता है। स्थानीय विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी बनी रहती है। तोरपा प्रखण्ड राज्य के मध्य स्थित होने के कारण यहाँ एक प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना से पूरे क्षेत्र को लाभ प्राप्त होगा। क्षेत्र में विद्यालयों की संख्या अधिक है, परंतु प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता सीमित होने से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना से क्षेत्र के युवाओं को गुणवतापूर्ण प्रशिक्षण नजदीक उपलब्ध होगा, विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ेगी स्थानीय युवाओं विशेषकर महिला अभ्यथियों को शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे, क्षेत्र में रोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा समग्र रूप से तोरपा विधान सभा के ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। अतः तोरपा प्रखण्ड में प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना हेतु आवश्यक कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ की जाय।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता

कृ0पृ0उ0/

01	02	03	04
08	श्री अमित कुमार स0वि0स0	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि " राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के ज्ञापांक–828, दिनांक–21.03.2025 द्वारा संसूचित है कि खुटकट्टी सेस पंजी के अनुसार मो0 संध्या रानी के नाम से वसूली दर्ज है।" अतः दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाय।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार
09	श्री रोशन लाल चौधरी स0वि0स0	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–648/नि0रा0, दिनांक–11 सितम्बर 2025 के माध्यम से "झारखण्ड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग (गठन कार्य एवं दायित्व) नियमावली–2025" अधिसूचित की गई है,परंतु वर्तमान नियमावली अपने स्वरूप में अधूरी, अधिकार विहीन एवं प्रशासन–निर्भर है। अधिसूचना के अनुसार आयोग केवल LARRAct-2013 की धारा–109 (4) के अन्तर्गत केवल सलाहकार इकाई है, जिसके पास न सुनवाई का अधिकार है, न निर्णय का बल,न स्वतंत्रता/आयोग पर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण होने के कारण वह स्वतंत्र रूप से विस्थापितों की शिकायतों पर कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति में विस्थापन, पुर्नवास, रोजगार, आजीविका और मानवाधिकारों से जुड़ी मूल समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। झारखण्ड जैसे राज्य में जहाँ खनन, औद्योगिक परियोजनाएँ, रेलवे, सड़क,ऊर्जा, बाँध इत्यादि के कारण लाखों परिवार प्रभावित होते रहे हैं, वहाँ एक प्रभावी न्यायोन्मुख एवं शक्तिसंपन्न आयोग की आवश्यकता केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि सामाजिक–नीतिगत अनिवार्यता है। आयोग को सिविल कोर्ट जैसी शक्तियाँ, विस्तृत कार्यक्षेत्र, स्वतः संज्ञान का अधिकार और सभी विभागों पर बाध्यकारी आदेश देने की क्षमता मिलनी चाहिए। आदेशों की अवहेलना पर दंडात्मक प्रावधान भी अनिवार्य हों। इसलिए आयोग को विभागीय अधिसूचना से नहीं, बल्कि अधिनियम (Act) के रूप में वैधानिक शक्ति दी जाय।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार
10	श्री चन्द्रदेव महतो स0वि0स0	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि झारखण्ड के खनिज संपदा पर आधारित केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा झारखण्ड के तकनीकी एवं उच्च शिक्षा के संस्थानों में प्लेसमेंट नही के बराबर किया जाता है। झारखड सरकार एक स्पष्ट स्थानीय प्लेसमेंट/कैंपस सिलेक्शन अनिवार्यता प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजे जिसके तहत् खनिज व अन्य संपदा आधारित केन्द्रीय उपक्रमों व निजी कंपनियों को झारखण्ड के तकनीकी व उच्च शैक्षणिक संस्थानों से खनिज व अन्य संपदा के आनुपातिक दोहन आधारित प्लेसमेंट अनिवार्य किया जाय।	उच्च, तकनीकी शिक्षा

कृ0पृ0उ0।

01	02	03	04
11	श्री सरयू राय स0वि0स0	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि "भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय एवं शहरी विकास मंत्रालय की पहल पर आरंभ रिवर सिटी अलायंस कार्यक्रम अंतर्गत नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा स्वीकृत एक्शन प्लान 2025 के अनुरूप झारखण्ड के प्रमुख नदियों स्वर्ण-रेखा और खरकई के किनारे अवस्थित राँची और जमशेदपुर शहरों के लिए तैयार की गई योजनाओं को सार्वजनिक करे और प्राथमिकता के आधार पर शहर नदी प्रबंधन की इन योजनाओं को लागू करें।	नगर विकास एवं आवास
12	श्रीमती मंजु कुमारी स0वि0स0	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि जमुआ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत प्रखण्ड जमुआ एवं देवरी पूर्णतः कृषक बहुल क्षेत्र है, जहाँ कृषि ही जीवन एवं अर्थव्यवस्था की रीढ़, है, परंतु कृषि शिक्षा, तकनीक और कृषि आधारित उद्योगों के अभाव के कारण बड़ी संख्या में इस क्षेत्र के युवा रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों की ओर पलायन कर रहे है। ऐसे में जमुआ विधान-सभा क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय की स्थापना समय की माँग है। कृषि महाविद्यालय की स्थापना हो जाने से न सिर्फ जमुआ विधान-सभा बल्कि पूरे गिरिडीह जिला समेत सीमावर्ती जिलों के युवाओं को आधुनिक कृषि तकनीक प्रसंस्करण, वैज्ञानिक खेती इत्यादि का प्रशिक्षण उपलब्ध करायेगा। इससे कृषि आधारित उद्योगों और उद्यमों की स्थापना को नई गति मिलेगी और स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। महाविद्यालय के संचालन से उत्पन्न प्रत्यक्ष नौकरियाँ तथा उससे प्रेरित कृषि उद्योगों से होने वाले अप्रत्यक्ष रोजगार दोनों मिलकर इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देंगे। अतः मैं जमुआ विधान सभा क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय एवं कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने की सरकार से मांग करती हूँ।	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता
13	श्री मथुरा प्रसाद महतो स0वि0स0	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि धनबाद जिलान्तर्गत टुण्डी प्रखण्ड के गोयदाहा मोड़ RCD पथ से नौमोरी, शहरपुरा भाया बरवाडीह, गोड़ापहाड़ी, डंडाटांड़ होते हुए गिरिडीह जिला के हरलाडीह RCD मुख्य पथ अत्यंत ही जर्जर अवस्था में है, जिससे दो जिला धनबाद एवं गिरिडीह के लोगों का आवागमन होता रहता है। अतएव उपर्युक्त अंकित पथ की मरम्मति पथ निर्माण विभाग (RCD) द्वारा कराया जाय, ताकि दोनों जिला के रहने वाले लोगों को आवागमन शुलभ हो सके।	पथ निर्माण
14	श्री समीर कुमार मोहन्ती स0वि0स0	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि " झारखण्ड राज्य के कई जिले जैसे पूर्वी सिंहभूम, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, में भारी संख्या में माल व दण्डछत्र माझी जाति के लोगों का निवास है। काफी गरीबी तथा तंग हालत में जीवन यापन करने वाले उक्त जाति के लोग बिहार सरकार के समय से उनकी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग करते आ रहे हैं। झारखण्ड सरकार में भी हर कार्यकाल में माँगे उठती रहीं, परंतु आज तक उक्त जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की दिशा में सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है। झारखण्ड के प्रतिवेशी राज्य पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा में माल जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है। अतः माल व दण्डछत्र माझी जाति को अनुसूचित जाति वर्ग में सम्मिलित करने के लिए ठोस एवं निर्णायक पहल की जाय।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

ह0/ह030-

क्रम सं0	मा0 सदस्यों का नाम	संकल्प का विषय	संबंधित विभाग
01	02	03	04
15.	श्रीमती रागिनी सिंह स0वि0स0	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि धनबाद नगर निगम में जो 27 ग्रामीण गाँवों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें झरिया विधान सभा के जीतपुर, डुमरी, भूतगड़िया, सिरगुजा, कपुरगड़ा, पैरो, गोरखुटी, मोहलबनी, परघाबाद और नुनुकडीह शामिल हैं। ये सभी क्षेत्र आज भी पूर्णतः ग्रामीण स्वरूप वाले हैं, परंतु नगर निगम में जोड़ दिये जाने के बाद भी सड़क, जलापूर्ति, प्रकाश व्यवस्था, निकासी, स्वच्छता जैसी आधारभूत सुविधाएँ उन्हें उपलब्ध नहीं हैं। दूसरी ओर इन क्षेत्रों से नियमित कर वसूली की जा रही है और ग्रामीण योजनाओं से भी वंचित कर दिया गया है। इसके विपरीत नगर निगम सीमा से सटे कई क्षेत्र स्वाभाविक रूप से शहरी स्वरूप ग्रहण कर चुके हैं, परंतु अब तक उन्हें निगम क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया । इससे वहाँ की जनता योजनाओं और सुविधाओं दोनों से वंचित रह रही है। मेरा आग्रह है कि वास्तविक ग्रामीण स्वरूप वाले गाँवों को पुनः ग्रामीण विकास विभाग के अधीन लाया जाए। जो क्षेत्र स्वाभाविक रूप से शहरी हो चुके हैं, उन्हें विधिवत् नगर निगम में सम्मिलित किया जाय। अतः मैं अनुरोध करती हूँ कि इस पूरे विषय की जाँच हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाए।	नगर विकास एवं आवास विभाग।

16.	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता स0वि0स0	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि झारखण्ड राज्य में ओ0बी0सी0 वर्ग की आबादी कुल आबादी का 55 प्रतिशत है, परन्तु इस वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। राज्य के कई जिलों में जिला स्तरीय पदों में ओ0बी0सी0 वर्ग का आरक्षण शून्य है। "झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण(संशोधन) विधेयक 2022" के आलोक में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी ओ0बी0सी0 वर्ग की आबादी को ध्यान में रखते हुए आरक्षण सीमा को 14 प्रतिशत से बढ़ाते हुए 27 प्रतिशत करने की अनुशंसा की है। पड़ोसी राज्य बिहार की सरकार नें आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए सबसे पहले जातीय आधारित सर्वेक्षण कराकर सर्वेक्षण रिर्पोट के आधार पर आरक्षण संशोधन बिल लाकर सदन से पास कराया गया। अगर इस तर्ज पर झारखण्ड सरकार के द्वारा ओ0बी0सी0 वर्ग के आरक्षण में संशोधन का प्रयास किया गया होता तो निश्चित ही तकनीकी पहलुओं में विधेयक को मंजूरी मिल गई होती। मैं इसी वर्ष सभी प्रकार की तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ओ0बी0सी0 वर्ग की आरक्षण सीमा को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत लागू करने की माँग सरकार से करता हूँ।	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।
17.	श्री शत्रुध्न महतो, स0वि0स0	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि बाघमारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत NH-18A का राजगंज–चास खंड अतिव्यततम मार्ग है, जिस पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में वाहन का आवागमन होता है। उक्त मार्ग पर अवस्थित सोनारडीह एवं लिलौरी स्थान रेलवे क्रासिंग होने के कारण भीषण जाम	पथ निर्माण विभाग।

		की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लिलौरी स्थान एवं सोनारडीह रेलवे क्रासिंग पर फ्लाई ओवर का निर्माण किए जाने से इस संकट से निजात मिल सकता है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से यह माँग करता हूँ कि लिलौरी स्थान एवं सोनारडीह रेलवे क्रॉसिग पर फ्लाई ओवर का निर्माण कराई जाय।	
18.	श्री राजेश कच्छप स0वि0स0	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि राज्य के आदिवासियों/मूल निवासियों के जमीन की सुरक्षा हेतु 11/11/1908 को Chota Nagpur Tenancy Act लागू हुआ जो आज 118वें वर्ष में प्रवेश कर गई है। लेकिन प्रारंभ से अबतक Tenancy Act में संसीमित Land का Non-Stop लूट, अधिग्रहण, प्रकृति से छेड़छाड़ कर Land को सामान्य बनाने का खेल बदस्तुर जारी है। Records of Rightsका संरक्षित स्थल अभिलेखागारों से रिकॉर्ड गायब करना, Record फाड़ देने का कार्य बेधड़क चल रहा है। इन्हीं कारणों से Land की चाक चौबंद सुरक्षा-सह-हड़पी भूमि काश्तकारों को वापसी सुनिश्चित करने हेतु CNTA-1908 कीSection-49 में प्रावधनित न्यायालय का गठन, जिसका पीठाशीन जज, मंत्री राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग होते हैं। अबतक Constitute नहीं होने से काश्तकारों की भूमि वापसी लंबित है तथा अन्य समस्यायें भी दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। काश्तकार आदिवासी मूलवासी भूमि से तेजी से बेदखल हो रहे हैं, जो बेहद चिंता का विषय है। मानव तस्करी एवं पलायन भयानक रूप ले लिया है। अतः आसन के	राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

		माध्यम से CNTA 1908 की धारा 49 के तहत भू-वापसी सुनिश्चित करने तथा अन्य समस्याओं के निदान हेतु मंत्री राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को पीठासीन जज बनाते हुए न्यायालय का संचालन राज्यहित में करने की माँग करता हूँ।	
19.	श्री नवीन जयसवाल स0वि0स0	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि हटिया विधान सभा एच0ई0सी0 क्षेत्र अंतर्गत बाईपास रोड पत्थर कोचा, लंका कॉलोनी, सुंदरगढ़, स्टेशन रोड, बिरसा चौक एवं अनेकों जगहों पर 50वर्षो से गरीब जनता अपना झुग्गी-झोपड़ी बनाकर रहते आ रहे हैं। यह स्थान काफी बड़ा स्लम क्षेत्र है। यहाँ की गरीब जनता मजदूरी कर एवं दूसरे के घरों में काम करके अपना एवं अपने परिवार का पालन-पोषण करते आ रहे हैं। वर्तमान में सरकार के द्वारा वर्षो से रह रहे गरीब जनता का झुग्गी-झोपड़ी को तोड़कर हटा दिया गया है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर रह रहे गरीब जनता पूरी तरह से बेघर हो गये है। इन लोगों के पास रहने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। सरकार ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में वादा किया था कि "ऐसे गरीब जनता जो भूमिहीन है एवं जिनके पास रहने के लिए अपना कोई घर नहीं है और वर्षो से अपना झुग्गी-झोपड़ी बनाकर रह रहें हैं। वैसे भूमिहीन परिवारों को भूखंड उपलब्ध कराकर पुनर्वास किया जायेगा।" परन्तु पुनर्वास तो दूर की बात है, सरकार यहाँ की गरीब जनता के द्वारा तिनका-तिनका जोड़कर बनाये गये झुग्गी-झोपड़ी को तोड़कर बेघर करने का काम कर रही है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से मेरा विशेष अनुरोध है कि जनहित में राज्य सरकार के घोषणा-पत्र वादे के अनुसार एवं	नगर विकास एवं आवास विभाग।

		दिल्ली के तर्ज पर झुग्गी-झोपड़ीयों पर निवास करने वाली गरीब जनता, जो वर्षो से जिस जगह पर अपना घर बनाकर रह रही है, उनकी जमीन का पट्टा देकर मालिकाना हक देने हेतु यह सभा सरकार से अभिस्ताव करती है।	
20.	श्री जिगा सुसारन होरो स0वि0स0	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि गुमला जिलान्तर्गत भरनो प्रखंड में जमीन का ऑनलाईन पंजी-2 एवं खतियान हाल सर्वे 1994 के आधार पर किया जा रहा है। जमीन का पंजी-2 एवं खतियान ऑनलाईन में काफी त्रुटियाँ पाये गये हैं, जिससे रैयतों को जमीन का ऑनलाईन कराने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः आसन के माध्यम से रैयतों के हितो को देखते हुए भरनो प्रखंड में हाल सर्वे 1994 को रद्द कर 1932 खतियान के आधार पर जमीन का ऑनलाईन कराने की माँग करता हूँ।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
21.	मो0 ताजुद्दीन स0वि0स0	साहेबगंज जिला स्थित राजमहल प्रखंड का तीनपहाड़ पंचायत नए प्रखंड की सारी अर्हताओं को पूरा करता है। कई वर्षो से स्थानीय नागरिकों के द्वारा तीनपहाड़ को प्रखण्ड का दर्जा दिए जाने की माँग की जाती रही है। तीनपहाड़ प्रखण्ड का निर्माण होने से क्षेत्र का सामाजिक, आर्थिक, सामुदायिक, कृषि एवं ग्रामीण विकास सहित एवं छात्र एवं छात्राओं को अनेक समस्याओं से निजात मिलेगा। वर्त्तमान में तीनपहाड़ प्रशासनिक इकाई थाना के रूप में 8 वर्षो से भी अधिक समय से कार्यरत है। साहेबगंज जिला के राजमहल प्रखण्ड से तीनपहाड़ बाबूपुर, दरला, पडरिया,	ग्रामीण विकास विभाग।

		दुर्गापुर पंचायतों एवं उधवा प्रखंड से जोंका एवं सुतियारपाड़ा पंचायत एवं तालझारी प्रखण्ड से बाकुड़ी एवं वृन्दावन पंचायत को काटकर एक नए प्रखण्ड तीनपहाड़ का निर्माण करवाया जाय। अतः मैं इस सभा के माध्यम से अभिस्ताव करता हूँ कि तीनपहाड़ को प्रखंड बनाया जाय।	
22.	श्री कुमार उज्जवल स0वि0स0	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि चतरा जिलें के सिमरिया विधान सभा क्षेत्र में शीघ्र एक सरकारी महाविद्यालय की स्थापना की जाय। वर्तमान में हमारे क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लगभग 60 कि0मी0 दूर हजारीबाग या चतरा जाना पड़ता है, जो विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए अत्यंत कठिन है। सरकारी महाविद्यालय की स्थापना से क्षेत्र में शिक्षा का स्तर सुदृढ़ होगा तथा अधिक-से-अधिक छात्र-छात्राएँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।
23.	श्री हेमलाल मुर्मू स0वि0स0	पाकुड़ जिला के अमड़ापाड़ा प्रखण्ड में कोयला खदान है। कोल खदान एवं अन्य व्यवसायी गतिविधियों के कारण कोयला का धूल पूरे क्षेत्र में उड़ने के कारण इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोग विभिन्न बीमारियों यक्ष्मा, हृदय रोग, अस्थमा आदि गंभीर बीमारियों से अक्रांत हो रहे है। यह क्षेत्र आदिवासी बहुल इलाका है। अतः यह सभा व्यापक लोकहित में अभिस्ताव करती है कि अमड़ापाड़ा प्रखण्ड में कोयला खदानों से उत्पन्न प्रदूषण को रोकने के लिए अविलंब आवश्यक कार्रवाई की जाय और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जाय।	खान एवं भूतत्व विभाग।

24.	श्री जयराम कुमार महतो स0वि0स0	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि सभी सरकारी रिक्त पदों पर एक वर्ष के अन्दर नियुक्ति की जाय और निजी क्षेत्रों की नियुक्तियों में स्थानीय के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाय। झारखण्ड राज्य में विभिन्न विभागों में लगभग 2,87,000 पद वर्षो से रिक्त है। राज्य में विज्ञापन निकलते हैं, फिर रद्द हो जाते हैं। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। नियुक्ति कैलेंडर भी निकलते हैं लेकिन अनुशासन सुनिश्चित नहीं हो पाता है। राज्य में सरकारी नियुक्तियों में भ्रष्टाचार अपने चरम पर होता है। झारखण्ड एक ऐसा राज्य है, जहाँ 11 नियुक्तियों में सी0बी0आई0 की जाँच चल रही है। झारखण्ड के निजी क्षेत्रों में स्थानीय के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान 29 जुलाई 2022की तिथि से लागू की गई थी। 12 दिसम्बर 2024 को झारखण्ड उच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र में 40,000/-रूपये तक की नौकरियों में 75 प्रतिशत स्थानीय को आरक्षण देने वाले कानून पर रोक लगा दी। अतः यह सभा राज्य सरकार से अनुरोध करती है कि सभी सरकारी रिक्त पदों पर एक वर्ष के अंदर नियुक्ति को सुनिश्चित किया जाय एवं मंत्री की अध्यक्षता में कम-से-कम 5 विधायकों की एक समिति बनाई जाय, जो इन दोनों गंभीर विषयों पर निगरानी रखे।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।
25.	श्री जनार्दन पासवान स0वि0स0	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि व्यापक लोकहित में चतरा जिला के प्रखण्ड प्रतापपुर के तीन पंचायतों में (उसके आबादी से भी अधिक) 15,835 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र (दूसरे जिला एवं दूसरे राज्य) बनाने वाले जिम्मेवार सभी अधिकारी /कर्मचारी पर नियम सम्मत	ग्रामीण विकास विभाग।

		कि उक्त वर्णित जीर्णशीर्ण पथों का मजबूतीकरण (चौड़ीकरण) करावें।	
29.	श्री भूषण बड़ा स0वि0स0	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि तत्कालीन बंगाल प्रोविंस के छोटानागपुर क्षेत्र जो बिहार राज्य का दक्षिणी हिस्सा बना और अब झारखण्ड राज्य का अनुसूचित क्षेत्र में परिवर्त्तित हुई, जहाँ आदिवासी एवं मूलवासी समुदाय की भूमि रक्षा हेतु ग्यारह(11) नवम्बर 1908 को सी0एन0टी0 एक्ट लागू की गई। उक्त अधिनियम की सेक्शन3(1) में राजस्व थाना के स्थान पर पुलिस स्टेशन का जिक्र, जो गलत है, काश्तकारी अधिनियम में पुलिस शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। 1996 के पहले की मूल किताब में राजस्व थाना का जिक्र है। अधिनियम की धारा 46(A) में ट्राईबल लैंड सुरक्षा का व्यापक प्रावधान किया गया है, जिसके तहत् नागरिक जमीन की खरीद-बिक्री एक ही थाना एरिया में बाध्यता अर्हता कर दी गई है। अब ये राजस्व के बदले साजिशन पुलिस थाना कर दी गई है, जो आदिवासी-मूलवासी काश्तकारों के हित में नहीं है। सी0एन0टी0 एक्ट लागू होते समय चुनिंदा राजस्व थाने थे, जो रिविजनल सर्वे 1932 में मौजा के साथ थाना जोड़ दिया गया एवं आगे चलकर पुलिस स्टेशन कर दिया गया। अतः आसन के माध्यम से सी0एन0टी0एक्ट की धारा3(1) राजस्व थाना को पुनर्बहाल कर धारा 46(A) में प्रावधानिक समान थाना एरिया की बाह्यता को समाप्त/विलोपित करने की माँग सरकार से करता हूँ।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

		कार्रवाई सुनिश्चित हो चुकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, भ्रष्टाचार एवं सरकारी में लापरवाही का विषय है।	
26.	श्रीमती श्वेता सिंह स0वि0स0	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि बोकारो में अमृतसर–कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत प्रस्तावित Integrated Manufacturing Cluster का निर्माण कार्य अविलंब शुरू करायी जाय।	उद्योग विभाग।
27.	श्री संजय कुमार सिंह यादव स0वि0स0	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद प्रखण्ड के बंशीबिगहा नहर मोड़ से गम्हरिया तक नाला का निर्माण जल्द–से–जल्द कराने की माँग करता हूँ।	ग्रामीण विकास विभाग।
28.	श्री राज सिन्हा स0वि0स0	धनबाद बरमसिया एफ0सी0आई0 गोदाम से आमटाल–बेलगढ़िया–परघा–कुसुमाटाँड़ होते हुए बलियापुर झरिया रोड पथ जीर्णशीर्ण अवस्था में हो गई है। इस पथ की मजबूतीकरण व दोहरीकरण (चौड़ीकरण) नहीं होने के कारण आवागमन में कठिनाईयाँ होती है। इस पथ पर स्थानीय आमजन सहित दूरदराज से आवागमन करने वाले गाड़ियों का परिचालन होता है तथा यह पथ जिला मुख्यालय आवागमन हेतु एक महत्वपूर्ण पथ है। अतः यह सभा व्यापक लोकहित में अभिस्ताव करती है	पथ निर्माण विभाग।

.01.	02.	03.	04.
32.	श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह व्यापक लोकहित में राज्य में "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून-2013" प्रभावी ढंग से अक्षरशः लागू हो ताकि गरीबों को सस्ते दर पर निर्धारित मात्रा में गुणवत्तापूर्ण अनाज ससमय उपलब्ध हो सके।	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले।
33.	श्री अमित कुमार यादव, स0वि0स0	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि झारखण्ड में हाथियों के उत्पात से मृत व्यक्तियों के परिजनों को मिलने वाली मुआवजा राशि, घर को हुए नुकसान, फसलों का नुकसान तथा घायलों को हुए नुकसान की मुआवजा राशि में कई वर्षों से वृद्धि नहीं की गई है। मैं सरकार से माँग करता हूँ कि मुआवजा राशि की वृद्धि दो गुणा कर दी जाय, ताकि नुकसान की भरपाई संभव हो सके।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन।
34.	श्री दशरथ गागराई, स0वि0स0	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सरायकेला-खरसावां जिला के आमदा में विगत 12 वर्षो से निर्माणाधीन 500 बेडं वाले अस्पताल का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करावें।	स्वास्थ्य,चिकित्सा, शिक्षा, एवं परिवार कल्याण।
35.	श्री अनन्त प्रताप देव, स0वि0स0	गढ़वा जिलान्तर्गत तुलसीदामर डोलोमाइट खदान का लीज नवीनीकरण नहीं होने के कारण यह खदान दिनांक-31 मार्च2020 से बंद है। खदान के बंद होने से क्षेत्र के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से निर्भर हजारों लोग बेरोजगार हो गए है। इस खदान को पुनः चालू होने से यहाँ के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलने के साथ-साथ पलायन पर भी रोक लगेगी। अतः जनहित में झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (JSMDC) के माध्यम से तुलसीदामर खदान को पुनः चालू करने की माँग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूँ।	खान् एवं भूत्तत्व।
36.	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, स0वि0स0	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि पिछले 6 वर्षो से राज्य के लगभग 444 चिहिन्त बालू घाटों का ऑक्शन/टेंडर नहीं होने के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए, इन सभी बालू घाटों की निलामी/ टेंडर करने की माँग करता हूँ; ताकि सर्वसाधारण को सुलभ तरीके से बालू उपलब्ध हो सकें एवं कालाबाजारी पर रोक लगे।	खान् एवं भूत्तत्व।

क्रम सं०	माननीय सदस्यों का नाम	संकल्प का विषय	संबंधित विभाग
30.	श्री रामचन्द्र सिंह, स०वि०स०	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि लातेहार जिला के सभी अंचलों में पिछले हाल सर्वे में हुई त्रुटियों के कारण भू-स्वामियों को हो रही कठिनाईयों को देखते हुए, राज्य सरकार के राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना सं०-438, दिनांक-30.10.2019 निर्गत किया गया, जिसमें लातेहार जिला के अंतिम प्रकाशित सभी अंचलों के राजस्व ग्रामों का पुनः भू-सर्वेक्षण (Revisional Survey) कराने हेतु आदेश पारित है, परन्तु आज तक विभाग के पदाधिकारियों द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया है, जिससे पूरे लातेहार जिला में भूमि संबंधित हजारों की संख्या में आपसी विवाद उत्पन्न है। अतः उक्त परिपेक्ष्य में जल्द-से-जल्द लातेहार जिला के सभी अंचलों में पुनः भू-सर्वेक्षण (Revisional Survey) कराने हेतु आदेश का त्वरित अनुपालन कराया जाय।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार।
31.	श्री नरेश प्रसाद सिंह, स०वि०स०	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है क "गढवा जिला में जदपुरा से नारायणपुर तक बायीं बाकी नहर का निमार्ण वित्तीय वष-2019-20 में किया गया है, जिसमें बरडीहा प्रखण्ड के ग्राम लेभरी में नहर लाईन में काफी लिकेज है, जिससे सारा पानी खेतों में पहुँचने से पहले ही बह जाता है, जिससे किसानों को सिंचाई का लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही बरडीहा प्रखण्ड के ग्राम खरडीहा में पुल के नीचे से नहर क्रॉस किया है। वह पुल काफी ही जीर्णशीर्ण अवस्था में है। कभी भी वह पुल ध्वस्त हो सकता है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हादसा के भय से ग्रामीण उक्त पुल से न जाकर काफी दूरी तय कर आवागमन कर रहे हैं। बरडीहा प्रखण्ड के ही ग्राम सलगा में ग्रामीणों का रास्ता अवरूद्ध कर सीधा नहर क्रॉस कर दिया गया है, जिससें वहाँ के आम जनता के साथ-साथ मवेंशियों को भी आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है। अतः सरकार से माँग करता हूँ कि उक्त नहर लाईन में वर्णित स्थानों पर नहर लाईन में लिकेज ठीक, पुल निर्माण एवं रास्ता का निर्माण यथाशीघ्र करावें।	जल संसाधन।

01.	02.	03.	04.
37.	श्री प्रकाश राम, स0वि0स0	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि लातेहार जिला के लातेहार मुख्यालय में डिग्री महाविद्यालय तथा महिला डिग्री महाविद्यालय में प्राध्यापकों तथा कर्मचारियों के पद स्वीकृत कर पठन–पाठन की सुविधा जल्द-से-जल्द बहाल करने की माँग करता हूँ।	उच्च, तकनीकी शिक्षा।
38.	श्री निरल पुरती, स0वि0स0	यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि राज्यहित में नवनिर्मित कोल्हान प्रमण्डल के पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत तांतनगर प्रखण्ड में New pharmacy institute, chaibasa भवन का निर्माण के पश्चात् दिनांक–23.08.2023 को स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है तथा इस भवन की कुल लागत 15,30.44 लाख रुपये हैं। लेकिन अभी तक इस Pharmacy institute में शैक्षणिक कार्य प्रारंभ नहीं की गई है। अतएव उपर्युक्त New Pharmacy Institute, Chaibasa में शैक्षणिक कार्य प्रारंभ किया जाय।	स्वास्थ्य,चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण।
39.	श्री सुरेश कुमार बैठा, स0वि0स0	काँके विधान सभा क्षेत्र के राँची जिलान्तर्गत काँके प्रखण्ड आता है, जिसमें कुल 32 पंचायत हैं, बहुत से ऐसे पंयचात है, जो काँके प्रखण्ड कार्यालय से लगभग 30 से 35 कि0मी0 की दूरी पर स्थित होने के कारण, पंचायत के अंतर्गत आने वाले गाँव के लोगों को सरकारी योजना एवं मूलभूत आवश्यकता का निष्पादन के लिए कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः मामले की गंभीरता को देखते हुए काँके प्रखण्ड को दो भागों में विभाजित कर एक अलग प्रखण्ड कार्यालय स्थापित करने की माँग आसन के माध्यम से सरकार से करता हूँ।	ग्रामीण विकास।

10/12/25

(जितेन्द्र कुमार)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

(178)

ज्ञापांक–गैर सरकारी संकल्प सं0–49/2020–2668/वि0स0,राँची,दिनांक–10/12/25

प्रतिः– माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रीगण/ माननीय नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान सभा, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ महाधिवक्ता, झारखण्ड / सभी विभागों के प्रधान सचिव/ सचिव/ संसदीय कार्य विभाग/ मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय संसदीय कार्य)/ नागर विमानन प्रभाग/ कार्मिक, प्रशासनिक सुधान तथा राजभाषा विभाग/ गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग/ जल संसाधन विभाग/ कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता (भूमि संरक्षण) विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग/ स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/ स्कूली शिक्ष एवं साक्षरता विभाग/ उच्च, तकनीकी शिक्षा विभाग/ नगर विकास एवं आवास विभाग/ ऊर्जा विभाग/ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/ विधि विभाग/ भवन निर्माण विभाग/ खान् एवं भूतत्व विभाग/ पथ निर्माण विभाग/ वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग/ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/ पर्यटन, कला– संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग/ श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग/ उद्योग विभाग/ राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/ परिवहन विभाग तथा राज्य सरकार के अन्य विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/12/25

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक–गैर सरकारी संकल्प सं0–49/2020–2668/वि0स0,राँची,दिनांक–10/12/25

प्रतिः– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रभारी सचिव महोदय के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय, झारखण्ड विधान सभा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/12/25

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

10/12/25

काजल/–